खण्ड-322, अंक-5
मंगलवार, 21 वैशाख, शक संवत् 1898
(11 मई, 1976 ई0)

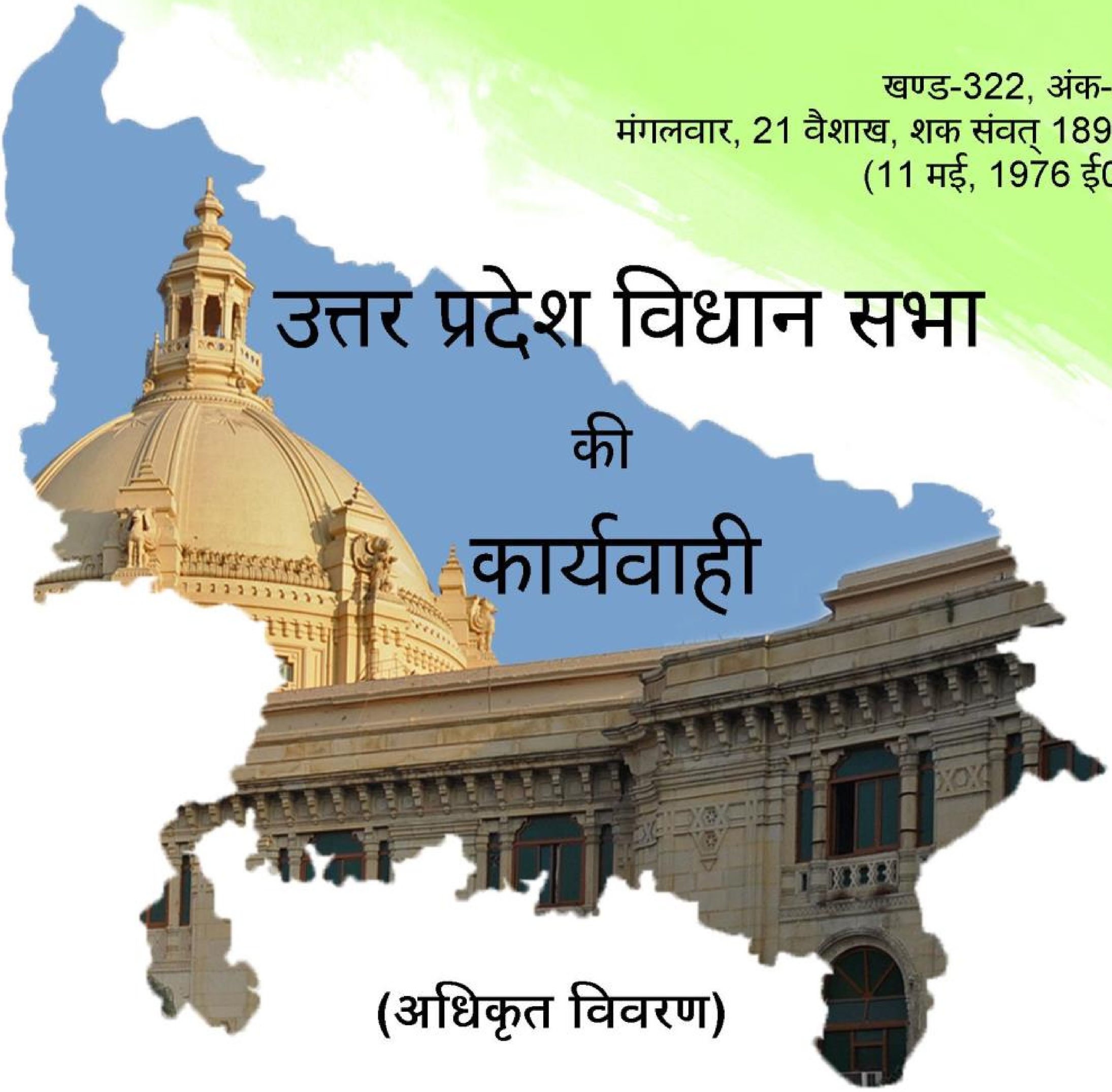

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 322 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	361–363
प्रश्नोत्तर	364–385
उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	385
श्री डी0 पी0 वरुण के विरुद्ध, विशेषाधिकार समिति के सदस्यों पर तथा कथित प्रभाव डालने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना	385–386
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	386–387
उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य संचालन) (संशोधन) विधेयक, 1976 (पुरःस्थापित किया गया) ..	387
1976–77 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 44—कृषि, अनुदान संख्या 46—भूमि तथा जल संरक्षण, अनुदान संख्या 47—क्षेत्र विकास, अनुदान संख्या 76—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 92—ऋण और अग्रिम—कृषि (स्वीकृत)	387–431
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1976 (पारित) ..	431–446
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1976 (पारित) ..	447–454
उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य संचालन) (संशोधन) विधेयक, 1976 (पारित)	454–456
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में संकल्प (स्वीकृत)	456–458
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	458–459
लखनऊ नगर में जूते के कारखाने बन्द कर दिए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	459–461
नत्थियां	462–466

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 11 मई, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—243

अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां,
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीनाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया सिंह, श्री
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जगदीश अवस्थी, श्री

जगदीश मिश्र, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगल किशोर यादव, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दीप नारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देवकुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्मचन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
नन्हे लाल श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महावीर प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह, श्री (एडवोकेट)
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहम्मद हयात, हाजी
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुवीर सिंह श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)

रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राज बहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजीलाल केन, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम पाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम रतन सिंह श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
विजय कुमार, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान श्रीमती
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट—परिवहन मंत्री, श्री शिव प्रसाद सिंह, स्वायत्त शासन राज्य मंत्री, श्री श्रीकृष्ण गोयल तथा ग्राम्य विकास राज्य मंत्री, श्री हबीबुर्रहमान नोमानी भी सदन में उपस्थित थे।

———

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 11 मई, 1976

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिला नियोजन अधिकारी, बस्ती का स्थानान्तरण का न होना

**1--श्री सोहन लाल धुसिया (जिला बस्ती)--

क्या यह सही है कि जिला बस्ती के वर्तमान प्लानिंग आफिसर गोरखपुर कमिश्नरी में पिछले लगभग दस वर्षों से समय-समय पर विभिन्न पदों पर इसी कमिश्नरी में कार्य करते चले आ रहे हैं ? यदि हां, तो इनको इस कमिश्नरी से अब तक न हटाने के क्या विशेष कारण हैं?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री हबीबुर्रहमान नोमानी)--

जी हां, परन्तु वर्तमान जिला नियोजन अधिकारी, बस्ती अगस्त, 1968 से मार्च, 1973 तक कृषि उद्योग निगम के अन्तर्गत शाखा प्रबन्धक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर गोरखपुर में कार्यरत थे। मण्डल में किसी अधिकारी की नियुक्ति की अवधि के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से उन्हें किसी अन्य मण्डल में स्थानान्तरित नहीं किया गया।

श्री सोहन लाल धुसिया--

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बस्ती जिले के प्लानिंग आफिसर कुछ समय पूर्व इसी जिले में बी0 डी0ओ0 थे ? फिर कौन से सरकमस्टांसेज थे कि 54 जिलों को छोड़कर प्रमोशन होने पर, फिर उनको बस्ती जिले में भेजा गया है, जहां वे अपने पुराने अहलकारों से दुश्मनी निकाल कर उनको उत्पीड़ित कर रहे हैं ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी--

जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बतलाया है, वैसे तो सन् 68 में वे वहां रहे हैं लेकिन बाद में गोरखपुर में थे। इस तरह की कोई पाबन्दी तो है नहीं कि जिस जिले में कोई पहले रहा हो तो वहां न भेजा जाय, इसलिये उनको बस्ती भेज दिया गया है।

श्री सोहन लाल धुसिया--

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि मेम्बरों के प्रश्नों का उत्तर साफ मिले। हमने पूछा है कि कौन से ऐसे स्पेशल सरकमस्टांसेज थे कि बी0 डी0ओ0 से जब प्रमोशन हुआ तो फिर प्लानिंग आफिसर बना कर उनको बस्ती में ही भेजा गया है ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी--

वे पहले आजमगढ़ में थे, फिर बस्ती गये हैं।

श्री सोहनलाल धुसिया--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं। पहले वे बस्ती में बी0 डी0 ओ0 थे। हमने पूछा है कि कौन से ऐसे स्पेशल सरकमस्टांसेज थे कि जब प्रमोशन हुआ तो फिर उनको बस्ती में भेज दिया गया है ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी--

उनके बारे में कोई शिकायत नहीं थी, इसलिये उनको दोबारा बस्ती भेज दिया गया, तो इसमें कोई आपत्ति थोड़े ही की जा सकती है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि आजमगढ़ जिला परिषद् ने इस अधिकारी के विरुद्ध स्थानान्तरण के लिये कोई प्रस्ताव पास किया था ? यदि हां, तो उस पर कोई कार्यवाही हुई ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी--

यह सही है कि वहां की जिला परिषद् ने उनके ट्रांसफर के बारे में प्रस्ताव पास किया था।

श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि इस बी० डी० ओ० ने पिछली गर्मी में अपनी लड़की की शादी बस्ती के एक एडवोकेट के लड़के के साथ की है, यदि जानकारी नहीं है तो क्या इसकी सूचना मंगा कर इस अधिकारी का स्थानान्तरण करायेंगे ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी--

इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री सोहन लाल धुसिया--

क्या सरकार ऐसे प्रश्नों को सुनकर ऐसा विचार कर रही है कि उनको इस कमिश्नरी के बाहर कर दिया जाय ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी--

अगर माननीय सदस्य को उनके बारे में कोई शिकायत है...

श्री सोहन लाल धुसिया--

प्रश्न किसलिये है, प्रश्न इसीलिये तो है।

श्री राज बहादुर चन्द--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी आश्वासन दे दें।

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी--

मान्यवर, मैंने कहा कि अगर शिकायतें हों, तो लिखकर दे दें।

(अनेक माननीय सदस्यों ने बोलना शुरू कर दिया।)

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी--

मेरी बात सुन लें। अगर बस्ती के सम्बन्ध में कोई शिकायत हो तो लिखकर दे दें उनकी इन्क्वायरी करा ली जायगी। सालाना ट्रांसफर होने जा रहे हैं, उसमें आपकी भावनाओं का ध्यान रखेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

आजमगढ़ की जिला परिषद् ने एक प्रस्ताव भी पास किया था। ट्रांसफर तो कोई ज्यादा पनिश्मेंट है नहीं। मंत्री जी शिकायतों को लिखकर देने को कहते हैं, आजमगढ़ में, जिला परिषद् ने एक प्रस्ताव भी दिया था। इसके अलावा बस्ती और गोरखपुर के माननीय सदस्यों ने जो कहा है, वही काफी है। शिकायतें मांगने की जरूरत नहीं है।

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी--

श्रीमन्, ट्रांसफर होने वाले हैं उसमें आपकी भावनाओं का ध्यान रखा जायगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक गजटेड अफसर का मामला है। एक गजेटेड अफसर जो गलती करता है वह एक साधारण आदमी से कई गुना बड़ी होती है। इनको वहां से हटाना ही काफी नहीं है। इनको दण्डित क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी--

मान्यवर, अगर कोई गलती इनकी पायी जायगी तो दण्डित भी किया जायगा। शासन को कोई हर्ज नहीं है।

श्री राम पूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, आजमगढ़ की जिला परिषद् ने उनके खिलाफ एक प्रस्ताव भी पास किया था। वहां से हटाकर इनको बस्ती भेजा गया तो इसमें जांच करने की कोई बड़ी आवश्यकता है नहीं। मंत्री जी स्वयं जानते हैं कि ये किस तरह के आदमी हैं। लिहाजा उनको तुरन्त हटाने की व्यवस्था करें।

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी--

मान्यवर, मैंने अर्ज किया कि ट्रांसफर हो रहे हैं उसमें आपकी भावना को ध्यान में रखेंगे।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित एम० आई० जी० भवनों का विवरण

**2--श्री राम औतार सिंह भदौरिया (जिला कानपुर)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि शहर कानपुर के अन्तर्गत कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित्त डब्लू ब्लाक जूही में 10 एम0 आई0 जी0 भवनों से प्रत्येक कितने-कितने क्षेत्रफल में और कितनी-कितनी लागत से निर्मित्त हुये हैं तथा आवन्टितों को किस-किस मूल्य और शर्तों पर उपरोक्त भवन दिये जाने की नीति अपनाई गई है तथा उपरोक्त भवनों में निर्माण सम्बन्धी ऐसे कौन-कौन से आवश्यक निर्माण कार्य शेष हैं जो आवन्टियों को स्वयं कराने होंगे ?

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्रीमती इन्द्र मोहनी)--

शहर कानपुर के अन्तर्गत कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित्त डब्लू ब्लाक जूही में 10 एम0 आई0 जी0 भवनों में प्रत्येक की भूमि का क्षेत्रफल, निर्माण की लागत तथा आवंटियों द्वारा देय मूल्य से सम्बन्धित सूचना संलग्नक-1 में और उपर्युक्त भवनों के आवंटन की शर्तें संलग्नक-2 में दी गयी है। उपर्युक्त भवनों में सभी कार्य पूरे हो गये हैं, केवल दरवाजे एवं खिड़कियों के पल्ले, अन्दरूनी सेनेट्री एवं वाटर सप्लाई तथा अन्दरुनी बिजली कार्य आवंटियों को स्वयं कराने होंगे।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 462-463 पर)

श्री राम औतार सिंह भदौरिया--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि यह जो कीमत, भवन निर्माण की लागत दिखायी गयी है, जैसा उन्होंने उत्तर में कहा है, तो क्या इसमें भूमि की कीमत भी शामिल है ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी--

इसमें भूमि की कीमत भी शामिल है।

श्री राम औतार सिंह भदौरिया---

मान्यवर, एक प्रश्न और करना चाहता हूं। जब इसमें भूमि की कीमत भी शामिल है और निर्माण-कार्य की कीमत भी शामिल है तो पौने 6 हजार रुपये मध्यम आय वर्ग के लोगों से अधिक क्यों चार्ज किये जा रहे हैं ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी---

मान्यवर, जितनी कीमत होती है उसके ऊपर थोड़ासा उसमें इंसीडेंटल चार्जेज होते है, सुपरविजन वगैरह के, वह लिये जाते हैं। बाकी नहीं लिया गया है।

श्री राम औतार सिंह भदौरिया---

मान्यवर, एक प्रश्न और करना चाहता हूं। जैसा आपने उत्तर दिया कि निर्माण की लागत इतनी है और भूमि की लागत भी उसमें शामिल है तो इंसीडेंटल चार्जेज क्या चीज है ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी---

यह सुपरविजन चार्जेज है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

नया बाजार, लखनऊ में घड़ियों की फर्जी बिक्री

*1---श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार को जानकारी है कि स्टाक टेकिंग में पाई गई घड़ियों की कमी को पूरा करने हेतु दिनांक 30 जन, 1975 को, जब कि नया बाजार लखनऊ की क्रय बिक्री बन्द थी, साढ़े अट्ठारह हजार रुपये की घड़ियां फर्जी व्यक्तियों के नाम क्रेडिट मेंमोज काट कर बेची गई, दिखाई गई ? क्या यह भी सही है कि इन घड़ियों को इस प्रकार बेचने की स्वीकृति जनरल मैनेजर, नया बाजार, लखनऊ ने दी थी ? यदि हां, तो स्वीकृति किन परिस्थितियों में दी गई ? क्या संबंधित दोषी व्यक्तियों के प्रति सरकार कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री विजय कुमार)---

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मान्यवर, यह लखनऊ तो नजदीक है, इसमें सूचना एकत्र करने में मंत्री जी को कितना समय लगेगा ?

श्री विजय कुमार ---

सूचना आ गई है, लेकिन किसी की जिम्मेदारी उसमें निश्चित नहीं की गई थी, वह सूचना नहीं थी और आप पूरी सूचना चाहते थे। अतः वह फिर मंगाई है, आ जायेगी तो आपको दे दूंगा।

नोट---नियम 29(4) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 1, श्री गोविन्द सिंह नेगी द्वारा पूछा गया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

कल से तो सदन उठ जाएगा, जितनी भी मंत्री जी के पास सूचना हो, क्या वह ही देने की तब तक कृपा करेंगे ?

श्री विजय कुमार---

इसमें फाइल गई है वह आ जायेगी, तो दे दूंगा, आधी सूचना देने से कोई फायदा नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि कल तक वह तमाम सूचना एकत्र करके सदन के सामने दे देंगे ?

सहकारिता मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)---

कल तक यह सम्भव नहीं हो सकता है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

---

*1-2---श्री मोहम्मद शकील अहमद---

[7वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1-2 पर स्थानान्तरित]

[सोमवार, 11 मई, 1976 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जिला सहकारी संघ, आजमगढ़ के संचालक मंडल का गठन के संबंध में रिट

*1---श्री राम सुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)---

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी संघ, आजमगढ़ के संचालक मण्डल का मनोनयन सरकार द्वारा अभी हाल ही में किया गया था जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट दाखिल कर दी गई है ? यदि हां, तो सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री विजय कुमार---

जी हां। रिट का विरोध करने के लिये मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को आदेश दे दिये गये हैं।

श्री राम सुन्दर पान्डेय---

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि संघ के लोग रिट करके बराबर स्टे करा लेते हैं। तो उसमें सरकार की ओर से पैरवी किस प्रकार की होती है कि वर्षों लग जाते हैं और फैसला नहीं होता है, कारण क्या है ? 4-4 साल तक फैसला नहीं होता है। ऐसा लगता है कि सरकार की ओर से पैरवी ढीली है, इसलिये फैसला नहीं होता है। दूसरे जिलों में फैसला हो जाता है लेकिन आजमगढ़ में पड़ा है। इसके क्या कारण हैं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

मान्यवर, ऐसी कोई बात नहीं है। यह बात जरूर है कि थोड़ी परेशानी हो गयी थी। एडवोकेट जनरल से हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की है और 29-4 के मामले तथा अन्य मामलों को कन्सालीडेट कर दिया गया है सब को मिलाकर 27-5 को एक सुनवाई होगी उसमें विभाग के अधिकारी जायेंगे। इस प्रकार मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में फैसला हो जायगा।

श्री ऊदल—

मान्यवर, क्या इसके अलावा भी सरकार किसी ऐसे प्रश्न पर विचार कर रही है कि भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये लोग रिट में न जायं तो कोई कानूनी संशोधन करने का सरकार का क्या विचार है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

मान्यवर, इसकी ओर सरकार का ध्यान गया है और हम सोच रहे हैं।

जिला कोआपरेटिव बैंक, आजमगढ़ से संबन्धित रिट

*2—श्री रामसुन्दर पान्डेय—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कोआपरेटिव बैंक, आजमगढ़ को लगभग 3 वर्षों से सरकार द्वारा भंग कर दिया गया है जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट दाखिल किया गया है और सरकार की ओर से उचित पैरवी न होने के कारण अब तक निर्णय नहीं हो सका है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री विजय कुमार—

जी हां। शासन की ओर से इस याचिका की पैरवी उचित ढंग से की जा रही है।

श्री राम सुन्दर पान्डेय—

अध्यक्ष जी, इस प्रश्न में 1972 में रिट दाखिल हुई थी और फैसला अभी तक नहीं हुआ है। दूसरा आदेश दाखिल किया गया और वह भी स्टे हो गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि 1972 का फैसला अभी तक न होने का क्या कारण है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, यह तो कोर्ट के सामने है। आप जानते हैं कि जैसी व्यवस्था पड़ी है कि दरख्वास्त दे देते हैं और पोस्टपोन हो जाता है, तो हम सतर्क हैं। हमने एक स्पेशल आदमी भेज दिया है और एडवोकेट जनरल से कहा है कि आप हमारी इसमें मदद करें।

*3—श्री श्रीनारायण—

[5वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7 पर स्थानान्तरित।]

*4—श्री श्रीनारायण—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

गांव सभा, पूरा रघुनाथपुर, वाराणसी का अर्ध-निर्मित नलकूप

*5—श्री ऊदल—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा पूरा रघुनाथपुर, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में गांव सभा का स्माल ट्यूबवैल लगाने हेतु पंचायत राज विभाग,

वाराणसी ने सन् 1970 से 1972 के बीच 10,000 रु0 कर्जा दिया था ? क्या यह बात सत्य है कि उक्त ट्यूबवैल आज तक नहीं लगा और सारा रुपया गबन कर दिया गया और सिर्फ बोरिंग गांव सभा से छब्बीस सौ रुपए चन्दा मांग कर कराया गया है ? यदि हां, तो इसके अब तक न लगने का क्या कारण है ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---

नियोजन विभाग द्वारा "अधिक अन्न उपजाओ एवं राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना" के अन्तर्गत इस गांव सभा को लघु नलकूप लगाने हेतु 6,761 रु0 का ऋण इस अवधि में दिया गया था ।

यह सही है कि ट्यूबवैल आज तक नहीं लगा है मगर यह सही नहीं है कि रुपया गबन कर लिया गया है । ग्रामवासियों ने इस नलकूप के लिए केवल 1,715 रु0 का चन्दा दिया था । इस सम्पूर्ण धनराशि को बोरिंग, पाइप, कूप निर्माण आदि पर धनराशि व्यय किया गया है । नलकूप न लगने का मुख्य कारण यह है कि जिस फर्म से मोटर आदि खरीदी जा रही थी, उसका दीवाला निकल गया ।

श्री ऊदल---

श्रीमन्, उसकी बगल में ही मेरा घर है । जौनपुर-वाराणसी के सड़क के किनारे का मामला है ।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

सड़क की चौड़ाई क्या है ?

श्री ऊदल---

यह सड़क का नहीं, पंपिंग सेट का मामला है । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब फर्म का दीवाला निकल गया तो जो 6,761 रु0 प्रधान को दिया गया, उसकी वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---

यह और चन्दा मिलाकर कुल 8,776 रु0 होता है । उसने कुल 9,644 रु0 खर्च किया । 3,761 रु0 उसने पेशगी दिया फर्म को जिसका नाम कृषि यंत्र फर्म, वाराणसी है । इस फर्म को किसने मान्यता दी थी और किस आधार पर दी इसकी जांच कराने और एडवान्स देने में किसकी जिम्मेदारी थी इसको देखने के आदेश दिये हैं । दूसरी बात यह है कि इसी सिलसिले में दीवानी के जो वकील है उनसे राय ली गयी कि यह रुपया प्रधान से किस तरह से वसूल किया जाय । उन्होंने जो राय दी है उसके मुताबिक जिला परीक्षा अधिकारी को कह दिया गया है कि वह कार्यवाही करें ।

श्री ऊदल---

इसमें दो सवाल बनते हैं । एक तो यह है कि फर्म का दीवाला निकल गया लेकिन फर्म का मालिक है । क्या इसकी जांच करवायी कि उस फर्म के मालिक के पास कोई प्रापर्टी है या नहीं ? अगर है तो उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवायी और उसकी प्रापर्टी को अटेच क्यों नहीं किया ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---

हमने यह भी कहा है कि कौन मालिक था और उसके पास कोई प्रापर्टी है या नहीं, इसकी भी जांच हो । साथ ही यह भी देखा जाय कि एक तरफा कार्यवाही क्यों हुई ? डिटेल्ड आदेश दिये गये हैं ।

श्री ऊदल---

अध्यक्ष जी, यह पुराने कुंए में बोरिंग हुआ है, नया नहीं बना। क्या मंत्री जी इस विशेष मामले की जांच अपने विभाग के किसी उच्च अधिकारी को भेजकर करायेंगे ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---

मैं माननीय सदस्य की बात को मानकर इसकी इन्क्वारी करा लूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र---

माननीय ऊदल ने जितने सवाल किये और माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिये उनसे यह साफ है कि प्रारम्भिक अवस्था में जिस अधिकारी ने पैसा दिया, प्रधान को जिसकी जांच कराने के लिए कह रहे हैं, तो वह तो सब फाइल में होगा। प्राइमरी स्टेज पर किसने पैसा दिया उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? यह तो एक साजिश थी जिसमें प्रधान और पैसा देने वाला अधिकारी शामिल था। आपस में साजिश की कि पुराने कुयें में बोरिंग करवायेंगे। जो भत्ता बनायेंगे उसमें आधा हमारा और आधा तुम्हारा। इसमें जांच की जरूरत नहीं है। फाइल में ही यह सारी चीजें विद्यमान होंगी।

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---

मान्यवर, हमारे पास जो सूचना है कि कुंआ खोदा गया लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा तो हमने यह कहा कि हम इसकी जांच करवा लेंगे। किस अधिकारी के जमाने में यह हुआ है इसकी भी जांच करवा लेंगे।

ब्लाक प्रमुख नौगढ़, वाराणसी के विरुद्ध खाद का ब्लैक किये जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*6---श्री ऊदल---

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक नौगढ़, जिला वाराणसी के बी0 डी0 ओ0 ने सन् 1974 में खाद ब्लैक करने के सिलसिले में एक लिखित नामजद रिपोर्ट ब्लाक प्रमुख के खिलाफ नौगढ़ थाने में किया था और उस सम्बन्ध में लिखित शिकायत ए0 डी0 एम0 (पी0), वाराणसी तथा और अधिकारियों को दिया था ? इस सम्बन्ध में उस क्षेत्र के नागरिकों की एक दरख्वास्त प्रश्नकर्ता ने माननीय मुख्य मंत्री को 5 सितम्बर, 1975 को दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---

जिला कार्यालय के अभिलेखों में यह उल्लेख पाया गया है कि खण्ड विकास अधिकारी, नौगढ़ ने एक पत्र 25 जनवरी, 1974 को थानाध्यक्ष, नौगढ़ को ब्लाक प्रमुख द्वारा खाद के ब्लैक किये जाने के सम्बन्ध में भेजा था और उसकी प्रतिलिपि ए0डी0 एम0 (पी) वाराणसी तथा अन्य अधिकारियों को भेजी थी। लेकिन थानाध्यक्ष से विदित हुआ है कि खण्ड अधिकारी के पत्र का कोई उल्लेख थाने के रिकार्ड में नहीं है। नागरिकों की दरख्वास्त भी उपलब्ध नहीं है। अतः कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री ऊदल---

मान्यवर, इसमें भी हंसने की बात है। आप देखेंगे कि माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि कार्यालय के अभिलेखों में यह उल्लेख पाया गया है कि खण्ड विकास अधिकारी, नौगढ़ ने एक पत्र 25 जनवरी, 1974 को थानाध्यक्ष, नौगढ़ को ब्लाक प्रमुख द्वारा खाद के ब्लैक किये जाने के सम्बन्ध में भेजा था और उसकी प्रतिलिपि ए0 डी0 एम0 (पी) तथा अन्य अधिकारियों को भेजी थीं। अगर थानाध्यक्ष, नौगढ़ ने उसको अपने रोजनामचे में से फाड़ डाला तो वह जो अन्य दूसरे अधिकारियों को दिया गया था उसकी नकल तो बाकी है। क्या उस पत्र की नकल मिली है और अगर मिली है, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी—

अभिलेखों को देखने से मालूम हुआ कि इस तरह की कोई रिपोर्ट थाने में की गई थी परन्तु कोई कागज नहीं मिल सका। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य अधिकारियों को भी कापी भेजी गई थी। मैंने तो स्पष्ट कहा है कि अगर आप दुबारा दरख्वास्त दे देते हैं तो मैं निश्चित रूप से उसकी पूरी जांच करवा लूंगा। आप कह रहे हैं कि 5 सितम्बर, 1975 को दी थी तो उसकी कापी ही मुझको दे दें और मैं दुबारा जांच करवा लूंगा।

श्री ऊदल—

मैंने माननीय मुख्य मंत्री, श्री बहुगणा को दरख्वास्त दी थी। जो कापी बी० डी० ओ० और ए० डी० एम० (पी) को भेजी गई थी उन सभी की कापियों को उसमें नत्थी किया था और भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने उसका एकनालेज भी किया था। अब माननीय मंत्री जी इंकार कर रहे हैं कि वह भी नहीं मिला है। क्या माननीय मंत्री जी 5 सितम्बर, 1975 के सभी अभिलेखों का जो मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में हैं, जांच करवायेंगे और यह मालूम करेंगे कि किस अधिकारी ने उनको गायब कर दिया था ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी—

हमने इस बात को मालुम करवाया लेकिन कोई कापी नहीं मिली। अगर शिकायत वाले पत्र की कापी दे दें तो उस पर जांच करवा ली जायेगी, यह मैं आश्वासन देता हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि यह अभिलेख पाया गया कि 25 जनवरी, 1974 को पत्र भेजा गया जो अन्य अधिकारियों को भी भेजा गया। क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात की कोई जांच करवाई है कि अभिलेख में जो जिक्र है कि शिकायत का जो पत्र भेजा गया है, क्या उसकी भी कोई जांच करवायी गई है ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी—

मैंने इसको देखा और यह कहा कि जब अभिलेख मिला है तो कागज भी मिलना चाहिये। अगर नहीं मिलता है तो छानबीन की जायगी कि किसकी जिम्मेदारी है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

जाहिर है कि इस कागज को गायब कर दिया गया। साल भर हो गया एक जिम्मेदार अधिकारी ने ब्लाक प्रमुख के खिलाफ गबन की शिकायत की तो क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि वह कागज कैसे गायब हुआ और कौन सा अधिकारी उसके लिये जिम्मेदार है और उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी—

गबन की कोई बात नहीं है। ब्लाक प्रमुख के खिलाफ शिकायत थी कि उसने खाद का ब्लैक किया है। 86 बोरे अमोनिया का उसे परमिट मिला और सहायक विकास अधिकारी के द्वारा तकसीम की जाने को थी। छानबीन से इसका पता नहीं चला, इसलिए मैंने यह कहा कि ऊदल जी ने जो शिकायती-पत्र मुख्य मंत्री को दिया था, उसकी कापी वह हमें दे दें, हम उसकी जांच करा लेंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

ऊदल जी कोई नौकर नहीं हैं। आपकी नोटिस में विकास अधिकारी ने यह लाया कि ब्लाक प्रमुख ने गबन किया है। यह भयानक अभियोग है लेकिन जो शिकायत-पत्र गबन का था वह गायब कर दिया गया, और उसका रिकार्ड आपके यहां नहीं है, तो क्या आपने इस बात की जानकारी की कि किस अधिकारी ने इस शिकायती-पत्र को गायब किया और उस अधिकारी के खिलाफ अगर आपने अभी तक कार्यवाही नहीं की है, तो आगे करेंगे ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---
मैंने बताया किसी गबन की शिकायत नहीं थी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

आपने उत्तर में स्वीकार किया है खाद का ब्लैक किया जाना और जब यह इतना गम्भीर आरोप है और अभिलेखों में उसका जिक्र है, लेकिन ओरिजिनल कम्प्लेंट नहीं मिल रही है, तो क्या माननीय मंत्री जांच करायेंगे किन परिस्थितियों में इसको गायब किया गया ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---
जांच कर लूंगा ।

इलाहाबाद में सहायक बोरिंग मैकेनिक के प्रमोशन में कथित पक्षपात

*7---श्री अठईराम (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)---

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में सहायक बोरिंग मेकैनिक के प्रमोशन में पक्षपातपूर्ण प्रमोशन कर दिया गया है जिससे अच्छे कार्य करने वाले सीनियर बोरिंग मेकैनिक असन्तुष्ट हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)---

(1) इलाहाबाद जनपद में सहायक बोरिंग मेकैनिक के पक्षपातपूर्ण प्रमोशन नहीं किये गये हैं तथा अच्छे कार्य करने वाले ज्येष्ठ कूप छेदकों में कोई असंतोष नहीं है ।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बहराइच के कतिपय विकास खंडों में लघु सीमान्त कृषक विकास योजना

*8---श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार को जानकारी है कि बहराइच जनपद का सर्वाधिक पिछड़ा एवं उपेक्षित विकास खण्ड हरिहरपुर रानी सिरसिया सम्पूर्ण तथा इकोना गिलोला का दोआबा क्षेत्र हैं ? यदि हां, तो लघु सीमान्त कृषक विकास योजना को हरिहरपुर रानी व सिरसिया तथा इकौना ब्लाक में न लागू करने का क्या कारण है ?

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)---

चूंकि यह परियोजना केन्द्रीय सरकार द्वारा वित पोषित है, अतः भारत सरकार के निर्देशानुसार परियोजना क्षेत्र का निर्धारण हुआ है ।

*9---श्री ऊदल---

[11वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 पर स्थानान्तरित ।]

*10---चौधरी रामपाल सिंह यादव-

[23 मार्च, 1976 को तारांकित प्रश्न संख्या 27 पर उत्तरित ।]

गोंडा में मनकापुर-उतरौला रोड पर ट्रक दुर्घटना

*11---श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा) (अनुपस्थित) तथा श्री बाबू लाल वर्मा---
(जिला बहराइच) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में मनकापुर उतरौला रोड पर 20 मई, 1975 को ट्रक दुर्घटना में 4 व्यक्ति मरे तथा 14 व्यक्ति बुरी तरह घायल हो

गए ? क्या यह सही है कि ट्रक माल से लदी थी फिर भी उस पर बरातियों को बैठाया गया था, जिससे एक दुल्हन भी मर गयी ? यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की ?

परिवहन मंत्री (श्री शिव प्रसाद सिंह)---

सूचना एकत्र की जा रही है।

*12---श्री त्रिवेणी सहाय---

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

*13---श्री रघुनाथ, श्री देव कुमार यादव तथा श्री चन्द्रभान आजाद---

[7वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 29 पर स्थानान्तरित।]

फर्रुखाबाद-इलाहाबाद मार्ग पर रात्रि बस सेवा की समाप्ति

*14---श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद डिपो के अन्तर्गत रात्रि सेवा बसों को अभी कुछ दिनों पूर्व बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त)---

जी हां। फर्रुखाबाद डिपो से एक रात्रि बस सेवा फर्रुखाबाद-इलाहाबाद मार्ग पर दिनांक 16 दिसम्बर, 1975 से चलाई गई थी लेकिन परिचालन अलाभकर हो के कारण इस सेवा को दिनांक 1 अप्रैल, 1976 से बन्द कर दिया गया।

श्री अनवार जमील---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि 16 दिसम्बर से चलाया गया और 1 अप्रैल को बन्द कर दिया। मेरा निवेदन है कि जाड़े में यात्री कम करते हैं। इसलिये मैं मंत्री जी से इस्तदुआ करूंगा गर्मियों में चला कर देखें और तब भी वह अलाभ कर हो तो न चलायें, यदि लाभकर हो तो चलायें।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त---

जैसा माननीय सदस्य ने बतलाया साढ़े तीन महीने जाड़े का अनुभव यह था कि वह अलाभकर था। अब गर्मी में चलाने की बात उन्होंने उठाई है तो हम गर्मी में भी ट्रायल करा लेंगे। लाभकर होगा तो अवश्य चलायेंगे।

जिला परिषद्, बाराबंकी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव

*15---श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)---

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 वर्ष पूर्व बाराबंकी जिला परिषद् के निर्वाचित अध्यक्ष का निधन हो गया था और उपाध्यक्ष का चुनाव वर्तमान परिषद् गठित होने के बाद से अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इन रिक्त पदों का चुनाव न कराए जाने का क्या कारण है ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---

जी हां। आपातकालीन स्थिति लागू होने के कारण अभी तक इन रिक्त पदों के चुनाव नहीं कराये जा सके।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह---

क्या शासन का कोई ऐसा निश्चय है कि आपातकालीन स्थिति जब तक है तब तक कोई चुनाव न कराये जाएं ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---

चुनाव के बारे में विचार हो रहा है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जल्दी ही चुनाव हो जायेगा ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---

मान्यवर, इस आपातकालीन स्थिति में विधान परिषद् के चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव, टीचर्स कांस्टीटुयेन्सी के चुनाव, ग्रेजुएट और असेम्बली कांस्टीटुयेन्सी के चुनाव हो गये तो क्या जिला परिषदों के चुनाव नहीं कराये गये ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---

इन्हीं चीजों को देखते हुए यह बात विचाराधीन है कि चुनाव करा दिये जाएं ।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह---

जिलाधिकारी जो हैं, वे अध्यक्ष हैं, जो कि जिला परिषदों में ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड अपना रहे हैं । सारे अधिकारों का अतिक्रमण करके उनको डिफेंक्ट किया जा रहा है । तो माननीय मंत्री जी कोई निश्चित तारीख बतायेंगे कि बाराबंकी में कब तक चुनाव करा देंगे ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---

विचाराधीन है, जल्दी ही चुनाव करने के लिये विचार कर रहे हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बाराबंकी के बारे में आश्वासन दिया है, उपाध्यक्षों का चुनाव प्रदेश में कहीं नहीं हुआ है, तो क्या उपाध्यक्षों का चुनाव भी विचाराधीन है ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---

वह भी विचाराधीन है ।

श्री ऊदल---

मान्यवर, मैं समझता हूं कि शासन जिन चीजों की आड़ लेकर बचना चाहता है, बच नहीं रहा है । इलेक्शन हुआ, विरोधी लोग भी लड़े और प्रचार भी हुआ और ब्लाकों में सभापतियों की मीटिंगें भी हुई । जो उनकी बात हो रही है, वह विचाराधीन है । सब जगह छोड़िये, बाराबंकी के बारे में आप चुनाव कराने की कोई निश्चित तिथि बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---

अभी कोई निश्चित तिथि नहीं बता सकते । आपकी भावनाओं के आधार पर जल्दी ही चुनाव करा देंगे ।

श्री अध्यक्ष---

अब तक चुनाव न कराने का कारण आपने आपात्कालीन स्थिति बताया है । तो क्या आपातकालीन स्थिति समाप्त हो जायेगी, जो विचार आप कर रहे हैं ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव जो हैं, वे बहुत दिनों से नहीं हुए उसके पीछे यही बात थी---आपातकालीन स्थिति। जैसा मैंने कहा, विधान परिषद् के चुनाव हो गये, सरकार इसके ऊपर भी विचार कर रही है कि इसके भी चुनाव करा दिये जाएं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

आपने इस बात को स्वीकार किया है कि लोकल बाडीज की तरफ से विधान परिषद् के चुनाव हुए। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह कैबिनेट का फैसला है कि जब तक आपातकालीन स्थिति है तब तक प्रदेश के अन्दर कोई भी चुनाव नहीं होंगे ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---

अगर ऐसा फैसला हुआ होता तो विधान परिषद् के चुनाव न हो पाते।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि आपातकालीन स्थिति थी इसलिये चुनाव नहीं हुए। इसलिये मैं प्वाइन्ट आउट करना चाहता हूं कि क्या यह मंत्रिमण्डल का फैसला है कि जब तक आपातकालीन स्थति होगी, तब तक प्रदेश के अन्दर कोई चुनाव नहीं होंगे ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---

अभी तक चुनाव नहीं हो सके थे, इसलिये मैंने कहा। अब विधान परिषद् के चुनाव हो गये।

श्री अध्यक्ष---

विधान परिषद् के चुनाव तो चुनाव आयोग कराता है। स्थानीय निकायों का तो उत्तर प्रदेश शासन कराता है।

स्वायत्त शासन मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)---

मान्यवर, मंत्रि-परिषद् का ऐसा कोई फैसला नहीं है कि कोई ऐसे चुनाव न कराये जाएं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मान्यवर, मंत्रिमण्डल का ऐसा कोई फैसला नहीं है और माननीय मंत्री जी कह चुके हैं। लिहाजा उन्होंने सदन को गुमराह किया है। मैं आपको इसकी नोटिस देता हूं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कोई गुमराह करने की बात नहीं है। माननीय सदस्य से मैं यह कहना चाहती हूं कि मेरी बात में और मंत्री जी की बात में कोई फर्क नहीं है। मंत्रि-परिषद् ने कोई ऐसा जनरल फैसला नहीं लिया कि कोई चुनाव आपातस्थिति में न हों। जो मंत्री जी ने कहा है उसमें और मेरी बात में कोई विराधाभास नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

(श्री गोविन्द सिंह नेगी के खड़े होने पर) आप लिख कर दीजिए।

बाराबंकी जिला परिषद् के जूनियर इंजीनियरों की सेवा समाप्ति

*16---श्री राम चन्द्र बक्श सिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान जिलाधिकारी अध्यक्ष, जिला परिषद् बाराबंकी ने क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 43(1) द्वारा

प्रतिनिहित परिषद् के अधिकारों का अतिक्रमण करके 2 जूनियर इन्जीनियरों, जो 200 रु0 प्रतिमाह से अधिक वेतन भोगी कर्मचारी थे, की सेवायें समाप्त कर दी हैं? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला परिषद्, बाराबंकी ने अगस्त, 1975 में जिला परिषद्, बाराबंकी के दो जूनियर इंजीनियरों (अधिदर्शकों) की सेवायें अनुशासनात्मक कार्यवाही के फलस्वरूप समाप्त कर दी है। इन आदेशों के विरुद्ध सम्बन्धित कर्मचारियों ने आयुक्त, फैजाबाद मण्डल को अपीलें की हैं।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह---

प्रश्न का उत्तर साफ-साफ नहीं आया। प्रश्न पूछा गया था कि 'क्या धारा 43 (1) द्वारा प्रतिनिहित परिषद् के अधिकारों का अतिक्रमण करके दो जूनियर इंजीनियरों, जो 200 रुपये प्रतिमाह से अधिक वेतन भोगी कर्मचारी थे, की सेवायें समाप्त कर दी है ? इसका कोई जवाब नहीं आया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या धारा 43 (1) को मंत्री जी ने देखा है, जिसमें स्पष्टरूप से लिखा है कि परिषद् एप्वाइंटिंग अथॅरिटी है और अध्यक्ष उसे नहीं हटा सकते ?

श्री काशीनाथ मिश्र---

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह नहीं पूछ सकते हैं कि क्या मंत्री जी ने फलां-फलां धारा देखी है 'मंत्री इज नाट इक्सपैक्टेड टु नो एवरी धारा'।

श्री अध्यक्ष---

इसमें माननीय काशी नाथ जी की उक्ति तो तीव्र थी लेकिन इसमें व्यवस्था का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त कैसे है ?

श्री ऊदल---

इनडायरेक्टली ठीक ही कहा।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह---

मैं फिर प्रश्न पूछ लूं। अध्यक्ष को इनकी सेवायें समाप्त करने का अधिकार नहीं है यह अधिकार परिषद् को है। तो क्या वह इस बात की जांच करवायेंगे कि उन्होंने अधिकार का अतिक्रमण किया है और गलत तरीके से सेवायें समाप्त कर दी गई हैं। और अब इसमें अपील का खर्चा परिषद् देगी या यह उनकी परसनल लाइबिलिटी होगी कि अपील का खर्चा वह दें ?

श्री अध्यक्ष---

वह तो देखा जायगा। आप प्रश्न करें।

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---

उन्होंने जब अपील कर दी है फैजाबाद आयुक्त के पास तो वहां से फैसला हो जायगा। वैसे इसमें दो आदमी जो हैं एक तो श्री शान्ति प्रसाद मिश्र हैं जिनके ऊपर 8 आरोप हैं। दूसरे श्री अमरनाथ हैं उनके खिलाफ 12 आरोप हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

सवाल यह नहीं है अपील कर दी है तो क्या होगा इससे इसका तालुक नहीं है। सवाल यह है कि क्या मंत्री जी को इस बात का ज्ञान है कि जिला परिषद् अध्यक्ष को अधिकार नहीं है कि वह जूनियर इंजीनियर को निकाल सके? यह अधिकार केवल जिला परिषद् को है। यदि यह ठीक है तो आपने जिला परिषद् अध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्यवाही की गैर कानूनी काम करने के लिए ?

श्री अध्यक्ष---

अगर जिला परिषद् की बैठक नहीं हो रही हो और अध्यक्ष देखता है कि कोई चोरी कर रहा है, गबन कर रहा है तो क्या वह इस आशा में बैठा रहे कि परिषद् बैठे तब कार्यवाही करे ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

तो यही उत्तर दे दें ।

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से बताना चाहता हूं कि इनकी नियुक्ति 185 के ग्रेड में हुई थी, तो जिला परिषद् के अध्यक्ष के अण्डर में यह थी ही ।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह---

आप इसको साफ समझ लीजिए, 200 रु0 पाने वाले की बात है, ग्रेड की कोई बात नहीं है । 200 रु0 पाने वाले के लिए परिषद् ही कर सकती है ?

श्री रूद्र प्रसाद (जिला मिर्जापुर)---

यह इन्टरप्रेटेशन आफ स्टैट्च्युट की बात है, इसको यह सदन कैसे देख सकता है ?

श्री अध्यक्ष---

सारवान वस्तु इसमें महत्वपूर्ण है । मात्र तकनीकी दृष्टि से यह यही है या नहीं ? फैसला तो प्रक्रिया सम्बन्धी दोष से सम्बन्धित है और उसको ऊपर देखा जा सकता है । अगर उसके विरुद्ध आरोप हैं और सारवान है, सारतः वह दोषी है, तो ठीक है अब प्रक्रिया सम्बन्धी यदि कोई दोष होगा, तो इसके लिए वह अपील में जाएगा । अब आप प्रक्रिया पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं ?

श्री रामचंन्द्र बक्श सिंह---

क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि---

श्री अध्यक्ष---

इसमें इसकी क्या जरूरत है ? यदि कोई शिकायत है तो वह ऊपर जायेंगे, मण्डल में और कोर्ट में जायेंगे और प्रक्रिया सम्बन्धी दोष के तहत बरी हो सकता है । आपका यह जोर क्यों है कि उसको छोड़ा जाय, क्योंकि कोई टेक्निकल दोष पकड़ने में हो गया है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)---

यह हमारा मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनको छोड़ा जाय, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके पास कोई आदमी ऐसा नहीं है जो उन्हें बरखास्त कर सके ? और क्या वही यह कार्यवाही करेगा, जिसको इसका अधिकार नहीं है ?

श्री अध्यक्ष---

आगे के लिए आप बात कह रहे हैं, लेकिन जो चीज हो चुकी है उसके बारे में क्या किया जाए ?

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग---

तो क्या दूसरा आदमी पास कर दे उसे ?

श्री ऊदल---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को बतायेंगे कि जिला परिषद्, बाराबंकी के अध्यक्ष प्रिसाइड करते हैं, जिला परिषद् का गठन करते हैं, तो क्या इन्होंने इन दोनों व्यक्तियों को निकालने के लिए कोई प्रस्ताव पास किया था ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी--

श्रीमन्, इसकी तो इस वक्त आवश्यकता नहीं प्रतीत हो रही है क्योंकि एक कार्यवाही हो चुकी है और उसकी अपील भी हो चुकी है और उसको वह वहां चैलेंज करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

यह तो आपको मालूम होना चाहिए कि यह जो कार्यवाही हुई है, वह लीगल है, इल्लीगल है । नहीं तो आप अपने लीगल रिमेम्ब्रेसर से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । इसमें गलत कार्यवाही हुई है और यह वहां छूट जायेंगे तो सरकार का खर्चा होगा और बदनामी भी होगी ।

जालौन में हरिजनों के लिये कूप निर्माण संबंधी शिकायत

*17--डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शासन को जिला जालौन में हरिजन पेय जल के लिए खोदे गये कुओं में से, कितनों को अपूर्ण तथा कम लागत से गलत कुंए खोदे जाने की शिकायतें इस वर्ष मिली हैं तथा उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामजी लाल सहायक--

वर्ष 1975-76 में चार कुंओं के अपूर्ण होने की तथा दो कुंओं की कम लागत की होने की शिकायतें मिली हैं । चार में से तीन अपूर्ण कुंओं के सम्बन्ध में की गई शिकायत की जांच चल रही है । शेष एक अपूर्ण कुंए पर कार्य चल रहा है । दो कुंओं को कम लागत पर बनाने की शिकायत जांच में सही नहीं पाई गई ।

*18--श्री मुहम्मद असरार अहमद--

[पुर्नविचार पर निरस्त ।]

इण्टरनेशनल डेवलपमेन्ट एसोसियेशन कमीशन द्वारा स्वीकृत कथित सिंचाई प्रसार योजना

*19--श्री गिरिजाशंकर पाठक तथा श्री रामरति बिन्द (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिसम्बर 63 में इन्टर नेशनल डेवलपमेन्ट एसोसिएशन कमीशन द्वारा स्वीकृत सिंचाई प्रसार योजना के नाम से प्रदेश में कोई योजना प्रारम्भ की गयी थी ? यदि हां, तो इस योजना में केन्द्रीय सरकार एवं विश्व बैंक ने कितनी धनराशि दिया था और योजना का क्या लक्ष्य था तथा यह पूरा हुआ या नहीं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

दिसम्बर, 1963 में इन्टरनेशनल डेवलपमेन्ट एसोसिएशन कमीशन द्वारा सिंचाई प्रसार योजना के नाम से प्रदेश में कोई योजना प्रारम्भ नहीं की गयी थी ।

अतारांकित प्रश्न

1--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

[13वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 4 पर स्थानान्तरित]

केन सोसाइटी, सेवहारा, बिजनौर के डाइरेक्टर्स का चुनाव

2--श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर)--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि केन सोसाइटी सेवहारा, जनपद बिजनौर में सर्किल रैनी व सर्किल सहसपुर में कितने ग्राम ऐसे हैं जो आबाद हैं और कितने गैर आबाद

हैं तथा इन दोनों प्रकार के गांवों से कितने डेली गेट व डाइरेक्टर दिनांक 15 फरवरी, 1976 को चुने गये हैं व उनके नाम क्या हैं ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

केन सोसाइटी सेवहारा, जिला बिजनौर की सर्किल रैनी में 12 आबाद एवं 14 गैर आबाद ग्राम हैं तथा सहसपुर सर्किल में 11 आबाद तथा 18 गैर आबाद ग्राम हैं ।

गैर आबाद ग्रामों से डेलीगेट चुनने का कोई प्रश्न नहीं उठता । दिनांक 15-2-76 को इन सर्किलों में डेलीगेटों का कोई चुनाव नहीं हुआ, केवल डाइरेक्टर का चुनाव सम्पन्न हुआ जिसमें सर्किल रैनी से श्री तेज सिंह तथा सर्किल सहसपुर से श्री विजेन्द्र सिंह डाइरेक्टर चुने गये ।

फर्रुखाबाद की सहकारी समिति, खड़िनी के सचिव के विरुद्ध शिकायती-पत्र

3---डाक्टर धर्मपाल सिंह (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला फर्रुखाबाद, ब्लाक सौरिख, क्षेत्र सहकारी समिति खड़िनी के सचिव के विरुद्ध अनेक गम्भीर अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायती-पत्र अध्यक्ष तथा बहुमतीय संचालक मण्डल द्वारा रजिस्ट्रार, सह0 विभाग, लखनऊ को दिनांक 8 अप्रैल, 1975 को दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

जी हां । शिकायती-पत्र पर क्षेत्रीय लेखाधिकारी सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा जांच कराई गई । समिति के सचिव के विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार पाये गये, समिति में पिछले आठ वर्षों से वार्षिक अधिवेशन व निर्वाचन न कराये जाने के कारण सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां ने समिति के संचालक मण्डल के स्थान पर सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता), हसैरन को प्रशासक नियुक्त किया है । समिति के सचिव जो इस समिति में आठ वर्ष से कार्यरत हैं, के स्थानान्तरण हेतु क्षेत्रीय उप निबन्धक द्वारा सहायक निबन्धक, फर्रुखाबाद तथा अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक, फतेहगढ़ से अनुरोध किया गया है ।

बाराबंकी, श्रम संविदा समिति "बंकी" के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

4---श्री राम सजीवन (जिला बांदा)---

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी श्रम संविदा समिति "बंकी" द्वारा बरती जा रही घोर अनियमितताओं के विरुद्ध दिनांक 2 सितम्बर, 1975 को एक शिकायती प्रार्थना-पत्र पर सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, बाराबंकी द्वारा जांच कराई गई और अनियमितताएं प्रकाश में आयीं ? यदि हां, तो इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

जी हां । जांच निरीक्षक वर्ग-1 से कराई गई । जांच आख्या में किसी घोर अनियमितता का उल्लेख नहीं है । जांच अधिकारी ने समिति में सचिव की नियुक्ति नियमानुसार कराने, चुनाव कराने, अभिलेखों को नियमानुसार सुरक्षित रखने, मासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदनों को समय से प्रेषित करने का सुझाव दिया है । उनके सुझावानुसार कार्यवाही करने के लिये समिति के अध्यक्ष को निदेशित कर दिया गया है ।

बस्ती में रमवांपुर फली स्थित सहकारी चीनी फैक्टरी के कर्मचारी

5---श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी (जिला बस्ती)---

क्या सरकार बतलाने का कष्ट करेगी कि बस्ती जनपद के रमवांपुर फली नामक स्थान पर पूर्वांचल विकास निगम द्वारा जो सहकारी फैक्टरी चीनी बनाती है, उसमें दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले मजदूरों के अतिरिक्त कुल कितने अधिकारी व कर्मचारी हैं, क्या इसमें दूसरे जिले के रहने वालों की संख्या प्रचुर है ? यदि हां, तो क्या सरकार बस्ती जनपद के विशेष स्थानीय लोगों को ही इन स्थानों पर भी लगाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

कुल नौ अधिकारी/कर्मचारी हैं जिसमें एक अधिकारी व 8 कर्मचारी हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला परिषद्, बिजनौर के आय-व्यय का विवरण

6---श्री अब्दुल वहीद---

क्या सरकार कृपया बतलाएगी कि अध्यक्ष, जिला परिषद् जिला बिजनौर के चुनाव के बाद से 29 फरवरी, 1976 तक कितनी आमदनी जिले से हुई और कितनी सरकार से सहायता मिली और कितनी धनराशि किन-किन कार्यों पर व्यय की गई ?

श्री रामजी लाल सहायक---

आय व व्यय का वांछित विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 464 पर)

फतेहपुर की खजुहा-अमौली सड़क का निर्माण

7---श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)---

क्या सरकार कृपया बताएगी कि खजुहा-अमौली रोड, जिला फतेहपुर जिसका त्वरित योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण हुआ, वह कितने किलोमीटर बनने को बाकी रह गई थी और क्या उक्त दोनों ब्लाकों के मुख्यावास को जोड़ने वाले इस उपयोगी मार्ग को बनाने का कार्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

श्री रामजी लाल सहायक---

ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत निर्मित खजुहा-अमौली रोड का 8.9 कि0 मी0 का हिस्सा निर्माण हेतु शेष रह गया है जिसके पूर्ण कराने के प्रश्न पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है ।

बहराइच के मिहीपुरवा विकास खण्ड के ग्राम सेवकों तथा पंचायत सेवकों का कार्यकाल

8---श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)---

क्या पंचायती राज मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद बहराइच के मिहीपुरवा, विकास खण्ड में कितने पंचायत सेवक एवं ग्राम सेवक 6 वर्ष से अधिक समय से एक ही क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं ? इसका कारण क्या है ?

श्री रामजी लाल सहायक---

चार पंचायत सेवक 6 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं लेकिन ग्राम सेवक कोई भी इस अवधि से अधिक काल का नहीं है ।

शासन से निर्देश दिये गये हैं कि मितव्ययता व प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए यथा-सम्भव कर्मचारियों का स्थानान्तरण न किये जाएं जब तक कि प्रशासकीय कारणों से ऐसा करना अनिवार्य न हो ।

परिवहन विभाग द्वारा टूरिस्ट गाड़ियों के परमिट देने हेतु आये आवेदन-पत्र तथा उससे प्राप्त जमानत की धनराशि

9---श्री राज किशोर तिवारी (जिला जौनपुर)---

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 1974 में परिवहन विभाग ने सम्पूर्ण भारत वर्ष के लिये टूरिस्ट परमिट देने हेतु मिनी बस, बस टैक्सियों के लिये आवेदन-पत्र मांगा था ? यदि हां, तो कितने आवेदन-पत्र आए थे और जमानत के रूप में कुल कितनी धनराशि जमा हुई थी तथा आवेदकों में से कितनों को परमिट दिया गया ?

श्री शिव प्रसाद सिंह---

जी हां । मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 63(7) के अन्तर्गत केवल टूरिस्ट ओमनी बस व टूरिस्ट कैब (टैक्सी) हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक 31-7-74 तक मांगे गये थे । निर्धारित तिथि तक 369 प्रार्थना-पत्र ओमनी बस तथा 69 प्रार्थना-पत्र टैक्सियों हेतु प्राप्त हुए और 4,69,500 रु0 की धनराशि जमानत के रूप में जमा हुई । उक्त प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण अभी नहीं हुआ है ।

सीमान्त कृषक विकास योजना रसड़ा, बलिया के अन्तर्गत निर्मित निजी नलकूप

10---श्री रघुनाथ (जिला बलिया)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जनपद के रसड़ा तहसील में कार्यान्वित लघु सीमान्त कृषक विकास योजना के अन्तर्गत कितने सीमान्त कृषकों को निजी नलकूप हेतु कर्ज वितरण किया गया और कितने-कितने किसानों को छूट दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

सीमान्त कृषक विकास योजना रसड़ा (जिला बलिया) में योजना के आरम्भ में 31 मार्च, 1976 तक 354 सीमान्त कृषकों को निजी नलकूप हेतु बैंकों द्वारा ऋण वितरण किया गया जिनमें से 152 सीमान्त कृषकों को अनुदान दिया गया । अवशेष 202 कृषकों में से 15 मामलों में अभी विकास खण्डों से कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा 75 कार्य अभी बन रहे हैं । 112 मामले अनुदान हेतु निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत न होने के कारण अस्वीकृत किए गए ।

मुख्य मंत्री-आवास पर व्यय की गयी धनराशि

11---श्री रेवती रमण सिंह (जिला इलाहाबाद)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य मंत्री निवास पर सन् 1975 से 15 फरवरी, 1976 तक कितना रुपया प्रति मास खर्च किया गया ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

मुख्य मंत्री आवास पर सन् 1975 से 15 फरवरी, 1976 तक प्रति मास हुए व्यय निम्नवत् हैं :

	माह	व्यय की धनराशि
		रु0
1	जनवरी 1975	8,680.06
2	फरवरी, 1975	1,492.66
3	मार्च, 1975	4,389.73
4	अप्रैल, 1975	873.12
5	मई, 1975	4 239.07
6	जून, 1975	3,595.47
7	जुलाई, 1975	2,585.62
8	अगस्त, 1975	994.59
9	सितम्बर, 1975	4,225.60
10	अक्तूबर, 1975	2,683.26
11	नवम्बर, 1975	1,223.74
12	दिसम्बर, 1975	3,021.55
13	जनवरी, 1976	2,583.12
14	फरवरी, 1976	1,961.13

इसके अतिरिक्त साज-सज्जा के रख-रखाव के लिये नियुक्त कर्मचारियों के वेतन पर उक्त अवधि में 3,916.24 रु0 तथा विशेष मरम्मती कार्य पर 8,179.02 रु0 और मूल निर्माण-कार्यों पर 697.75 रु0 व्यय हुआ।

ग्राम बालापुर, बहराइच में आलू शोध केन्द्र की कथित स्थापना

12---श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि ग्राम-बालापुर, विकास खण्ड विशेश्वरगंज, जनपद बहराइच में आलू शोध केन्द्र, जनवरी, 1976 में खोलने हेतु भूमि की व्यवस्था हो गई है और कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक आलू शोध केन्द्र उक्त स्थान पर खोल कर कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जी नहीं।

श्री रघुराज सिंह, इंटर कालेज, शाहजहांपुर में पौष्टिक आहार योजना (ए० एन० पी०) न लागू किया जाना

13---श्री रेवती रमण सिंह--

प्रथम सत्र 1976 के 3रे मंगलवार दिनांक 6 अप्रैल, 1976 के लिए निर्धारित नत्थी 'क' के प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र विकास अधिकारी, जैतीपुर ने क्या जांच रिपोर्ट दी और दिनांक 2 जनवरी, 1976 को जो प्रार्थना-पत्र दिए गए वह क्या हैं ? तथा किस तारीख में बी0 डी0 ओ0 ने जांच की और पहले क्षेत्र विकास अधिकारी, जैतीपुर ने क्यों इस विद्यालय का चयन किया था ?

श्री रामजी लाल सहायक—

क्षेत्र विकास अधिकारी, जैतीपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति तथा प्रबन्धक, श्री रघुराज सिंह, इन्टर कालेज, खेड़ा-बझेड़ा, शाहजहांपुर के दिनांक 2-1-1976 के प्रार्थना-पत्र की प्रतियां संलग्न हैं। क्षेत्र विकास अधिकारी ने दिनांक 11-3-1976 को जांच की थी। क्षेत्र विकास अधिकारी ने उक्त विद्यालय का चयन नहीं किया था। बल्कि क्षेत्र समिति ने अपनी दिनांक 24-12-1975 की बैठक में विद्यालय का चयन किया था।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 465–466 पर)

जौनपुर की बरसठी-बंधवा सड़क का निर्माण

14—श्री राज किशोर तिवारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड बरसठी, जिला जौनपुर में बरसठी से बंधवा तक सड़क त्वरित योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1972–73 व 1973–74 में निर्मित हुई है ? यदि हां, तो उस पर कितना धन लगा है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां। इस सड़क पर कुल 1,45,029 रु0 व्यय हुए हैं।

15- श्री राज किशोर तिवारी—

[7वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 8 पर स्थानान्तरित।]

सहायक विकास अधिकारियों के पद और उन पर स्थायीकरण

16—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि कुल कितने सहायक विकास अधिकारियों के पद ग्राम्य विकास संगठन में स्वीकृत हैं, उनमें से कितने पद स्थाई हैं, उनके अन्तर्गत कितने व्यक्ति स्थायी किए गए हैं, कितने पद रिक्त हैं तथा कितनों का स्थायीकरण पद रिक्त होते हुए भी नहीं किया गया है और क्यों ?

श्री रामजी लाल सहायक—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जौनपुर की शीतलगंज–मोकल सड़क का निर्माण

17—श्री राज किशोर तिवारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के विकास खण्ड, मड़ियाहूं की शीतलगंज से मोकल पर सड़क का निर्माण त्वरित योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1972–73 अथवा 1973–74 में हुआ है ? तो उस पर कुल कितनी लागत लगी ? सड़क की चौड़ाई क्या है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां। 4.20 किलोमीटर लम्बी इस सड़क पर कुल 2,16,299 रु0 व्यय हुआ है। सड़क की चौड़ाई सामान्यतया 3.0 मीटर है किन्तु कुछ स्थानों पर यह 3.2 मीटर चौड़ी है।

औगासी घाट के ठेकेदार के विरुद्ध शिकायती-पत्र

18 ---श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बांदा-फतेहपुर जिले के बीच जमुना नदी पर गांव औगासी घाट के ठेकेदार के विरुद्ध उतरने वालों से ज्यादा पैसा किराए के रूप में वसूलने की शिकायतें 20 व 25 दिसम्बर, 1975 के आस-पास रजिस्ट्री द्वारा प्राप्त हुयी है ? यदि हां, तो शिकायतों का पूरा विवरण क्या है तथा सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामजी लाल सहायक--

औगासी घाट के ठेकेदार के विरुद्ध जिला परिषद्,फतेहपुर में एक शिकायत इस आशय की प्राप्त हुई थी कि उक्त ठेकेदार निर्धारित रेट से अत्यधिक उतराई, रसीद न देना तथा इच्छानुसार उतराई न देने पर दिन भर खड़ा रखता है ।

शिकायत प्राप्त होने पर जिला परिषद्, द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए उतराई की दरें प्रदर्शित करते हुए सूचना-पट लगा दिया गया है । ठेकेदार को चेतावनी दे दी गई है और जिला अधिकारी से नौघाट अधिनियम तथा सम्बन्धित नियमों का पालन सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया गया है ।

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन†

*कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)--

मैं, विशेषाधिकार समिति का सभापति, सर्वश्री त्रिवेणी सहाय, बाबूलाल वर्मा एवं दशरथ सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा के इस कथन पर कि "जब 300 रु0 ही विधायक बेचारे को मिलता है तो बेईमानी न करे तो क्या करे" श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर जो श्री अध्यक्ष द्वारा 27 फरवरी, 1975 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था, समिति की ओर से उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री डी० पी० वरुण के विरुद्ध विशेषाधिकार समिति के सदस्यों पर तथाकथित प्रभाव डालने के संबंध में, विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष--

कल मैंने श्री काशीनाथ मिश्र द्वारा श्री डी0 पी0 वरुण के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना से सदन को अवगत कराया था और यह कहा था कि इस पर मैं निर्णय आज दूंगा । माननीय श्री काशीनाथ मिश्र ने अपनी सूचना में यह लिखा है कि श्री आर0 के0 गर्ग ने उन्हें बताया कि श्री वरुण ने विशेषाधिकार समिति के समक्ष लम्बित अपने विरुद्ध सदन की पदाधिकारी दीर्घा से पर्चे बांटने हेतु सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में श्री गर्ग के पास दिल्ली सुप्रीम कोर्ट कार्यालय में बात करने हेतु मिले थे । माननीय सदस्य श्री गर्ग को एक पत्र श्री वरुण से हुई अपनी वार्ता के सम्बन्ध में दिनांक 8-5-1976 का एक पत्र माननीय उपाध्यक्ष (सभापति, विशेषाधिकार समिति) को प्राप्त हुआ।

---

†छापा नहीं गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अध्यक्ष]--

है। उक्त पत्र माननीय सभापति, विशेषाधिकार समिति के विचाराधीन है और उस पर विशेषाधिकार समिति आवश्यक कार्यवाही करेगी। अतएव, अलग से इस प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में इस सदन में उठाने की इजाजत में नहीं देता।

यह जो प्रश्न है जिसका कि विशेषाधिकार समिति में पहले से मामला चल रहा है, तो यह भी सूचना विशेषाधिकार समिति को चली जाएगी। अब इस पर नया निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस पर भी अपना निर्णय विशेषाधिकार समिति दे सकती है। जैसे कोई अदालत होती है और अदालत का कोई अवमान करता है, तो अदालत उसको स्वयं ले लेती है।

*श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

मान्यवर, एक ही केस तो नहीं चलेगा, जब दो बार अवमान हुआ, तो मान्यवर अलग-अलग दो केस चलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

यह जो पत्र लिखा है, सभापति, विशेषाधिकार समिति को दिया है। आपका तो बाद में आया है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मैं केवल यह चाहता हूं कि अब विशेषाधिकार समिति के सामने ही डी० पी० बरुण के विरुद्ध दो मामले गिने जाएं। एक मामला पहले से ही लम्बित था।

श्री अध्यक्ष---

आपका जो है, उस पर अब हम इसलिए फैसला नहीं कर सकते हैं, मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं, क्योंकि श्री आर० के० गर्ग ने चिट्ठी आपके विशेषाधिकार के सवाल देने के पहले ही सभापति जी को उन्होंने भेज दिया है, जो उनके समक्ष है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय-निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

अब मुझे नियम 225 के अन्तर्गत कार्य-मंत्रणा समिति की सूचना देना है। कल कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुई और यह निश्चय हुआ कि आज जो कार्य सूची में ये बिल हैं, इनको लिया जाय। आज इनको पूरा करने का निर्णय हुआ। इसको मैं पढ़े देता हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 10-5-1976 की बैठक में विधान सभा के 11 मई, 1976 के उपवेशन में वित्तीय वर्ष 1976-77 के पूर्व निर्धारित अनुदानों की मांगों पर मतदान के पश्चात् निम्नलिखित कार्यों को लिए जाने की सिफारिश की है --

1--उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1976 पर विचार एवं उसका पारण।

2--उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1976 पर विचार एवं उसका पारण।

3--उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य संचालन) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार एवं उसका पारण।

4—उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में संकल्प का प्रस्ताव किया जाना तथा उस पर विचार ।

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, से सहमत है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से,जिसकी सूचना अध्यक्ष द्वारा माननीय सदन को दी गयी है, से सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य संचालन) (संशोधन) विधेयक, 1976

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य संचालन) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य-संचालन) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य-संचालन) (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं ।

1976–77 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 44–कृषि अनुदान संख्या 46-भूमि तथा जल संरक्षण, अनुदान संख्या 47-क्षेत्र विकास, अनुदान संख्या 76-कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 92-ऋण और अग्रिम-कृषि ।

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44—कृषि के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,20,18,900 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46—भूमि तथा जल संरक्षण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]--

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,20,93,500 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47--क्षेत्र विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,27,67,100 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76--कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,65,41,000 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 92--ऋण और अग्रिम-कृषि के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,40,63,100 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के लगभग 76 प्रतिशत व्यक्ति अथवा इससे भी कुछ अधिक जो नई भूमि आवंटित हुई है, इस वक्त कृषि पर लगे हुए हैं । इतनी बड़ी जनसंख्या खेती पर लगी होने के कारण भी हम कृषि उत्पादन में आत्म निर्भर नहीं थे, यह कृषकों और प्रदेश की सरकार के लिए एक चुनौती थी । गत वर्ष जब से, मान्यवर, मुझे यह विभाग मिला, मैंने तब से लगातार इस बात का प्रयास किया कि कृषि, उद्यान और सब्जी के क्षेत्र में चौमुखी विकास किया जाय । एग्रो और मंडी समितियों द्वारा जो कृषकों की सेवा की जा रही थी, उसमें भी सुधार लाया जाय आपको और इस सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि गत वर्ष खरीफ में चावल का उत्पादन हमारे प्रदेश में 43 लाख 90 हजार टन हुआ जब कि उससे पहले वर्ष में इस प्रदेश में 35 लाख 89 हजार टन चावल का उत्पादन हुआ था । गत वर्ष मान्यवर, रबी में गेहूं, जो हमारी मुख्य फसल है, का उत्पादन 70 लाख 44 हजार टन हुआ और जो अब रबी की फसल चल रही है, यह आशा की जाती है कि गत वर्ष की तुलना में 10 लाख टन अधिक उत्पादन इस वर्ष गेहूं का होगा । तो चावल और गेहूं, दोनों के उत्पादन में, प्रदेश ने कीर्तिमान स्थापित किया है और आज तक प्रदेश में इतना गेहूं और चावल का उत्पादन नहीं हुआ है । तिलहन का भी उत्पादन उत्तर प्रदेश में 20 लाख 6 हजार टन हुआ है जो उससे पहले वर्ष में केवल 19.1 लाख टन हुआ था ।

माननीय प्रधान मंत्री जी के आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत जो पहली कृषकों की चुनौती थी, उत्तर प्रदेश के कृषकों ने उस को स्वीकार करके प्रदेश में खाद्यान्न के उत्पादन में आशातीत वृद्धि की है । इससे उपभोक्ता को भी सहूलियत मिली है और कृषकों के उत्पादन में और अधिक वृद्धि के कारण उनकी आर्थिक अवस्था में भी सुधार आया है । इसके अतिरिक्त, मान्यवर, हमारे उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, इसमें 3-4 बातों की ओर हमने विशेष ध्यान दिया है । पहला यह है कि गत वर्ष में बीते वर्ष की तुलना में 1 लाख 5 हजार मीट्रिक टन अधिक खाद का वितरण किया गया, कृषकों ने अधिक खाद का प्रयोग किया । अच्छे किस्म का बीज चाहे कृषि फार्म सेग तराई सीड कार्पोरेशन से या राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा पहले वर्ष की तुलना में, मान्यवर, लगभग 32 हजार या 34 हजार क्विंटल अधिक उत्तम किस्म का बीज कृषकों में बांटा गया । पौधों को

रक्षा के कार्य में भी वृद्धि की गई और इस चालू वित्तीय वर्ष 1976-77 में केन्द्रीय सरकार की सहायता से यह और विचार हो रहा है कि 16 उप-निदेशक और एक संयुक्त निदेशक, जिसके 75 प्रतिशत के ऊपर भार सरकार वहन करेगी, प्रदेश में और तैनात किये जा रहे हैं। क्योंकि जितना सरकार का ध्यान उत्पादन की तरफ गया है, उतना ही अगर फसल सुरक्षा की तरफ अब से पेश्तर जाता तो हम कृषि उत्पादन में और अधिक सफलता प्राप्त कर सकते थे। जैसा आपने सुना है, मैं चूहों के बहुत ज्यादा खिलाफ हूं, इस वजह से कि वह देश और किसान का शत्रु है। अनाज भी बरबाद करता है और फसल भी, कपड़े भी बरबाद करता है और किताबें बच्चों की कापियां भी और गलती से ग्रामीण कहीं अपना नोट छोड़ जायं तो उसको भी काट डालता है। विशेषज्ञों के अनुसार 700 करोड़ रुपये का नुकसान प्रति वर्ष चूहों के जरिये देश में फसल को होता है। इसलिए गत वर्ष भी चूहा निवारण अभियान चला था। उतना सक्रिय तो नहीं हो सका जितना मैं चाहता था, क्योंकि जरा सी पुरानी आदतें बदलनी हैं। अबकी दफा पुनः 15 मई से चूहा निवारण का अभियान चलाया जा रहा है। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि किसानों के इस बड़े शत्रु के विनाश के लिए वह सहयोग प्रदान करें। स्कूल के बच्चों से भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है, किसानों को सहयोग दिया जायगा और लिया भी जायगा।

इसके अतिरिक्त हमारे लिए कृषि के उत्पादन में आवश्यक है कि हम खाद का संतुलित प्रयोग कर सकें। अभी तक किसान नत्रजन का प्रयोग करता है, फास्फेट्स और पोटाश के लाभ अच्छी तरह से नहीं जानता। इसलिए नत्रजन का प्रयोग तो बढ़ता चला गया और फास्फेट्स का प्रयोग न करने से जितना दाना स्वस्थ होना चाहिए था, बाली में जितने दाने पड़ने चाहिए थे वह नहीं पड़ पाते, जिसके फलस्वरूप कृषि का उत्पादन बढ़कर उतना नहीं हो पाता था जितना कि दूसरे प्रदेशों में लाया जा रहा है और होना चाहिए और बीमारी भी अधिक लगती है। तो हमने चेष्टा की है कि प्रत्येक जनपद में स्वायल अनैलेसिस की लेबोरेटरीज, मृदा परीक्षण केन्द्र स्थापित किये जायें इस समय 40 जिलों में--आठों जिले पहाड़ के और 32 मैदान के--मृदा परीक्षण की सुविधाएं प्रदान की गयी हैं। हमारा प्रयास होगा कि प्रदेश के 15 जिलों में भी ऐसी सुविधाएं कर दी जायं जिससे कृषि खाद का संतुलित प्रयोग अपनी भूमि में कर सकें। किस जमीन में किस फसल के लिए कौन-सी खाद कितनी मात्रा में देनी चाहिए और किसान दे सके उसके लिए मृदा परीक्षण केन्द्र प्रदेश के सभी जिलों में कृषक की सुविधा के लिए स्थापित किये जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त हमारे दो कृषि विश्वविद्यालयों पन्तनगर और कानपुर को मृदा परीक्षण की सुविधाओं का विस्तार करने के लिये दस-दस लाख रुपया दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस प्रदेश में 23 कृषि महाविद्यालय हैं। उनको भी जिनके पास लेबोरेटरीज हैं उनको सुसज्जित करने के लिये 40 हजार रुपया प्रत्येक कृषि महाविद्यालय को दिया गया है, जिससे कि अपने क्षेत्र में मृदा परीक्षण की सुविधायें प्रदान करके खाद का सही उपयोग उनको बता सकें।

इसके अतिरिक्त हमारा बीज जो गत वर्ष किसान को 2.50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बांटा गया था वह मुझे बहुत अधिक लगा था और छोटा किसान अलाभकर जोत का कृषक इनकी क्रय शक्ति के बाहर भी था। इसलिये 70 रुपये प्रति क्विंटल गत वर्ष उसके मूल्य में कमी की गयी थी। इस वर्ष भी 10 रुपये प्रति क्विंटल और कमी बीज के भावों में की जा रही है। यही हमारा प्रयास है कि तराई सीड निगम और राष्ट्रीय बीज निगम और कम मूल्य पर कृषक को बीज दें जिससे कि छोटा किसान भी उसको खरीद कर अपनी पैदावार बढ़ा सकें। बीज की उपलब्धि पर और उसका मूल्य कम करने पर इसी वजह से जोर दिया जा रहा है। वैसे

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

तो कृषि उत्पादन लिये खाद और पानी सभी बहुत आवश्यकीय समझते हैं लेकिन मेरी निगाह में कृषि उत्पादन में क्रान्तिकारी वृद्धि करने के लिये खाद और पानी से भी पूर्व अच्छे और स्वस्थ किस्म के बीज की आवश्यकता है। प्रदेश और देश में जो हरित क्रान्ति आयी है विशेषकर गेहूं में तो वह मैक्सीकन गेहूं जो अधिक उपज देने वाला बीज है उन्होंने ही हरित क्रान्ति लायी है और इसी प्रकार चावल में भी। इसलिये हमारा ध्यान है कि हम उत्तम किस्म के बीज को ज्यादा उपलब्ध करा सकें और उसका मूल्य भी कम कराने की हम कोशिश करें।

इसके साथ ही सीड सर्टिफिकेशन एजेन्सी, बीज प्रमाणीकरण संस्थायें भी केन्द्रीय सरकार की सलाह और सहायता से प्रदेश में शीघ्र ही स्थापित की जा रही हैं। गोबर गैस प्लांट केन्द्रीय सरकार की 25 प्रतिशत सबसिडी की सहायता से प्रदेश में 1,500 के लगभग गत वर्ष में स्थापित कराये गये थे जब कि उससे पहले केवल 350 के करीब इस प्रदेश में स्थापित कराये गये थे। यह भी हमारे सभी विशेषज्ञ जानते हैं कि साइंटिफिक भंडारों की व्यवस्था न होने के कारण लगभग 5-7 प्रतिशत तक अनाज हमारे देश का बरबाद हो जाता है। इतनी ही आवश्यकता हमें विदेशों से अनाज मंगाने की है। इसलिये हमने भंडारान की उचित व्यवस्था के लिये टिन के बुखारियां 19,600 प्रदेश में बंटवायीं। गोबर गैस प्लांट का और अधिक वितरण कराने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है।

यह प्रदेश जहां छोटे कृषकों, सीमान्त कृषकों का प्रदेश माना जाता है, इस समय 26 जिलों में लघु सीमान्त कृषकों की एजेंसियां स्थापित हैं जिनके जरिये सीमान्त कृषकों को 33 1/3 तक की आर्थिक सहायता बैलगाड़ियों के खरीदने, आबपाशी की वृद्धि करने, कुक्कुट पालन, दुधारू पशुओं के लेने आदि में दी जाती हैं। लघु कृषकों को इस प्रकार इन एजेंसियों से 25 प्रतिशत तक इन कार्यों के लिये सुविधा दी जाती है। कृषि विभाग का कार्य इस प्रकार का रहा है कि यहां निदेशक हैं, उनके नीचे अतिरिक्त संयुक्त निदेशक हैं, उप निदेशक हैं। जिला कृषि अधिकारी हैं। उसके नीचे जनता से सम्पर्क स्थापित करने, कृषकों के साथ कोई माध्यम नहीं था। ग्राम सेवक चूंकि कई विभागों का कार्य उसके सुपुर्द था, वह कृषि विभाग का कार्य नहीं कर सकता था---निश्चयात्मक रूप से चीजों को आंका जा सके और देखा जा सके, इसलिये यहां से एक आदेश भेज दिया गया है कि किस दिन किस तारीख में किस गांव में बी0 एल0 डब्ल्यू0 जायेगा और कृषि के तथा दूसरे कार्य उस गांव में करेगा, यह एक बोर्ड पर लटका दिया जायेगा जिससे ए0डी0ओ0 (कृषि) को सब बातों की जानकारी हो सके।

खरीफ उत्पादन के लिये आज हमारे प्रदेश को एक चुनौती है। लगभग 20 प्रतिशत चावल हमारे सिंचित क्षेत्रों में होता है जब कि पंजाब के 93 सिंचित क्षेत्रों में चावल उगाया जाता है। जिसके फलस्वरूप हमारा प्रति हैक्टर चावल का उत्पादन 60 क्विंटल है और पंजाब का 21-22 क्विंटल है, हमारा तिगुना है। इसलिये हमारा प्रयास है कि सामूहिक नर्सरी, हुंडा किस्म का चावल का बीज उगाया जाय, जहांपर कि एश्यार्ड वाटरिंग की सुविधा हो, चाहे सरकारी ट्यूबवेल से हो, चाहे नहरों से हो, चाहे प्रगतिशील किसानों के सहयोग से हो। जब हम हूंडा किस्म का बीज उगाना चाहते हैं तो हमारा यह प्रयास होगा कि अधिक से अधिक बीज की उपलब्धि हो और उसकी पैदावार भी बढ़ सके। भारत सरकार ने खादों के मूल्य में कमी की है, कीटनाशक दवाओं के मूल्य में भी भारत सरकार नेकाफी कमी की है। मुझेविश्वास है कि गत वर्ष जहां 1 लाख 5 हजार मिट्रिक टन उर्वरकों का अधिक प्रयोग किया गया और इस प्रदेश में मूल्यों में कमी आयी है। आज उसके प्रचार से हमारे कृषक यह सोच रहे हैं कि अधिक से अधिक खादों का प्रयोग कर सकेंगे। इसके फलस्वरूप हमारेप्रदेश में कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। इसके अतिरिक्त उद्यान विभाग के अन्तर्गत आलू है तथा पर्वतों पर उद्यान व साग सब्जी के विकास का प्रश्न है और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस दिशा में भी कार्य किया गया है। पर्वत के 8 जिलों में आलू 5 हजार हैक्टर भूमि में तथा.....

फलों के पेड़ लगाने के क्षेत्रफल में वृद्धि की गयी है। मान्यवर, इसी प्रकार से शाक-भाजी के क्षेत्रफल में मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में, क्षेत्रफल की वृद्धि हुयी है। आलू के उत्पादन में हमारे प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी है। 2 लाख 35 हजार हेक्टेयर में हमारे यहां आलू का क्षेत्रफल था जिसमें 26 लाख 23 हजार मी0टन आलू का उत्पादन हुआ। मान्यवर, हिन्दुस्तान में जितना आलू का क्षेत्रफल है उसका 39 प्रतिशत क्षेत्रफल हमारे प्रदेश में है। कुल उत्पादन जितना हमारे देश में आलू का होता है उसका 41 प्रतिशत उत्पादन हमारे प्रदेश में होता है। पिछले वर्ष मान्यवर, कोशिश करते हुये भी हम आलू के उत्पादकों के हितों की रक्षा नहीं कर सके। इस वर्ष मान्यवर, कोशिश की गयी, प्रारम्भ में ही, आलू के भाव गत वर्ष की तुलना में कम हो गये इसलिये भारत सरकार से, भारत सरकार के खाद्य निगम और नेफेड के माध्यम से निर्यात के लिये, आलू की प्रदेश में खरीद की गयी। 12 हजार 300 टन जिसका मतलब 1 लाख 23 हजार क्विंटल के करीब आलू की खरीद 'नेफेड' और मोनार्क, जो निजी कम्पनी है, उसके द्वारा की गयी और निर्यात किया गया और विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी।

मान्यवर, जो शोषण किसानों का शीतगृह के मालिक करते थे उसके लिये शीतगृह अधिनियम पारित किया गया। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष हमने 8 आने फी क्विंटल आलू का किराया निर्धारित किया। इसके अन्तर्गत यह भी हो गया है कि अनिवार्य रूप से किसान के आलू का उसको बीमा कराना होगा और अगर आलू नष्ट हो जाता है तो किसान को मुआवजा मिलेगा। यह मुआवजा शीतगृह मालिक से बतौर मालगुजारी वसूल होगा। इस अधिनियम के अन्दर जो शर्तें हैं अगर उनका पालन शीतगृह मालिक नहीं करता है तो उसको सजा और जुर्माना, दोनों का वह भागी होगा। मान्यवर, यह भी हमारी कोशिश है, चूंकि हमारे प्रदेश में साढ़े 7 लाख मी0 टन आलू रखने की क्षमता है और 428 कोल्ड स्टोरेज हैं। उत्पादन लगभग 26 लाख 23 हजार मी0 टन है इसलिये कोल्ड स्टोरेजों को और बढ़ाया जाय। इसलिये 17 नये कोल्ड स्टोरेज खोलने के लाइसेंस दिये गये हैं। 7 कोल्ड स्टोरेजों की क्षमता बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

मान्यवर, हमारी यह भी कोशिश है कि गन्ने के क्षेत्रों में जिस तरह से किसान सहकारी मिलें स्थापित करते हैं, उसी तरह से आलू उत्पादक सहकारी आधार पर शीतगृह स्थापित करें। इसके लिये साढ़े 9-10 प्रतिशत पर उनको ऋण मिलेगा और सरकार की ओर से बिजली देने में प्राथमिकता दी जायगी। हमारा यह प्रयास होगा, हम पहुंच कर रहे हैं कि कृषक सहकारी आधार पर इस प्रकार के शीतगृह आलू उत्पादक क्षेत्रों में स्थापित करें। इसके अतिरिक्त पर्वत के 8 जिलों में कूल होम 7 हजार फुट की ऊंचाई पर, स्थापित किये जायेंगे। यहां पर बहुत कम खर्च पर कृषक अपने आलू, सेब और अन्य फलोंको महीनों तक रख सकते हैं। जिससे कि परिवहन में असुविधा न हो, उसकी पैदावार को नुकसान न पहुंचे। इसलिये पर्वत के 8 जिलों में 9 कूल होम्स इसी वर्ष स्थापित कर रहे हैं।

मान्यवर, पौधशाला स्थापित कर रहे हैं जिससे सही किस्म की पौध और सही कीमत पर पौध कृषकों को मिल सकेगी। इसका विधेयक इस माननीय सदन से और काउंसिल से पारित हो चुका है। इसी प्रकार भट्टे का विधेयक भी, बाग के पास भट्टे न लग सकें, हमारा लाने का प्रोग्राम है। इसी प्रकार मान्यवर, एक यह भी प्रोग्राम है कि नीच एजेंसी जो काम करती है जैसे किसान बीज भंडार शर्मा या वर्मा आदि के नाम से स्थापित किये हुये हैं और न उस बीज की प्रमाणिकता पर विश्वास है, न लाइसेंस लिये है और न मूल्य पर नियंत्रण है। शासन इस बात पर विचार कर रहा है कि एक ऐसा विधेयक लाया जाय जिससे प्राइवेट एजेंसीज जो कृषकों का शोषण करती हैं उस पर प्रतिबन्ध उस विधेयक के अन्तर्गत लाया जाय। मान्यवर

[श्री वीरेन्द्र वर्मा,]

इसी प्रकार हमारे प्रदेश में 32 राजकीय पौधशालायें हैं । हमारा प्रोग्राम है कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में राजकीय पौधशाला स्थापित कर दी जाय। इस वर्ष 5 पौधशालायें स्थापित की जा रही है जिससे वहां के किसानों को अच्छी पौध उपलब्ध हो सकेगी। मान्यवर, जैसा शासन ने तय किया है कि 2 करोड़ पेड़ लगायें जायं तो इस वर्ष बरसात मे उद्यान विभाग 38 लाख पौधे लगाने पर विचार कर रहा है । मान्यवर, साग सब्जी के क्षेत्र में मनासिब कीमत पर अच्छे बीज किसानों को मिल सके और उनका आहार का भाग बन सके, इसलिये शासन ने इसी वर्ष 5 नये साग सब्जी के लिये प्रक्षेत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है जो बड़े शहरों के आसपास होंगे, जिससे वहां के लोगों को सब्जी उचित दामों पर मिल सके।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त ऋण की व्यवस्था हो। पहाड़ों में परिवहन की छूट है, खाद और कीटनाशक दवाओं पर, नीचे के जिलों में भी, ऋण की व्यवस्था है जहां बागान लगाने हैं।

मान्यवर, प्रदेश में मधुमक्खी पालन जिसको मौन पालन भी कहते हैं का अधिक उत्पादन हो इसलिये मधु पालन को कृषि विभाग से उद्यान विभाग में स्थानान्तरित कर दिया है। दो स्थानों पर एक उतरकाशी में और जोली कोट नैनीताल में किया है। 6 6 सप्ताह की ट्रेनिंग भी दी जा रही है जिससे कि गैर सरकारी लोग भी मौन पालन के कार्य में ट्रेनिंग लें। इस कार्य के वृद्धि से कृषकों को आमदनी की दृष्टि से लाभदायक होगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी।

तीसरा हमारा विभाग है मंडियों का। इस समय प्रदेश में 246 विनियमित मंडी हैं । हमारे माननीय सदस्य इस सदन के और अपर हाउस के और सभी कृषक प्रदेश भर के यह शिकायत करते रहते हैं कि जब से मंडियां स्थापित हुई हैं उन्होंने कृषकों की भलाई के लिए कोई कार्य नहीं किया। मान्यवर, गत वर्ष से जब से मुझे यह विभाग दिया गया, तब से अबतक पिछले वर्षों की तुलना में इस विभाग ने उल्लेखनीय प्रगति की है जिसकी ओर आपके माध्यम से माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली जुलाई से 31 मार्च तक 100% हमारी मंडियों में आवक बढ़ी है और 60 प्रतिशत के करीब उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है। पहली जुलाई से 31 मार्च तक 3 करोड़ 70 लाख थी वह बढ़कर 5 करोड़ 87 लाख हो चुकी है। जिन आदमियों ने गत वर्ष पहले साल की तुलना में एक पैसे का नुकसान दिया था, उसे मंडी के सेक्रेटरी के पद से हटा दिया गया। मान्यवर, यह भी शिकायत रहती है कि मंडी का रुपया किस काम में आ रहा है। पिछले वर्ष मंडी से 6 करोड़ की आय हुई थी। इस साल का हमारा लक्ष्य 10 करोड़ का है। हमने गत वर्ष 19 किलोमीटर सड़क मंडी से जोड़ने के लिए बनाने का निर्णय किया था। इस वर्ष 200 किलोमीटर सड़कें जिनको लिंक रोड कहते हैं चालू वित्तीय वर्ष 1976-77 में निर्मित करने का हमारा लक्ष्य है। मंडी स्थल चार निर्मित हो चुके हैं जिनमें कार्य प्रारम्भ हो गया है। ये पुखरायां (कानपुर), रायबरेली, कोंच (जौनपुर) और बाजपुर (नैनीताल) में हैं। इसके अतिरिक्त 16 और स्थान हैं जहां पर मंडी स्थल का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है दो और स्थानों पर भूमि उपलब्ध हो चुकी है। 24 और स्थानों पर शीघ्र ही भूमि अर्जन करने का कार्य किया जा रहा है। इन मंडियों में पशुओं की दवाओं, शेड्स का प्रबन्ध है, किसान के लिए विश्राम गृह हैं कैंटीन हैं, नीलामी के चबूतरे हैं, आधुनिक दुकानें हैं, वेयर हाउसेज हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला-बलिया)—

माननीय मंत्री जी कहां-कहां ये मंडियां बनी हैं, यह भी बतला दें तो जानकारी हो जाय ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीय सदस्य शायद बात करते रहते हैं। अभी मैंने बताया कि चार स्थान हैं, पहला पुखराया जिला कानपुर, दूसरा रायबरेली, तीसरा कोंच जिला जौनपुर और चौथा बाजपुर जिला नैनीताल।

मान्यवर, 40 मंडी स्थलों का निर्माण 1976-77 में करने का हमारा कार्यक्रम है। इन मंडियों के मार्ग पर जो 200 किलोमीटर का होगा 2 करोड़ 50 लाख रुपया खर्च करने का हमारा कार्यक्रम है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त जिन आदमियों ने भी 1 नये पैसे का नुकसान पहले सालों में दिया है उन सभी सेक्रेटरीज को उनके पूर्व विभागों में हमने वापस भेज दिया है या फिर जिन आदमियों के खिलाफ कोई शिकायत मिली है उनके खिलाफ हमने पूरा ऐक्शन लिया है। इस साल भी जो सरकारी फार्म हैं या मंडी हैं और जिन पर किसी तरह का कोई नुकसान होगा उनके सेक्रेटरी या सुपरिन्टेन्डेंटस वहां पर नहीं रह सकेंगे। जितने भी राजकीय कृषि फार्म्स पर नुकसान हो रहा है उस पर हमारा पूरा ध्यान गया है। 1975 76 में कृषि फार्मों पर 31 लाख रुपयों का लाभ हुआ है। यह निर्धारित कर दिया गया था कि प्रत्येक फार्म पर प्रति एकड़ पैदावार कितनी होगी और प्रति एकड़ उसका कितना रिटर्न देना होगा। इसके साथ ही साथ क्या खर्च होगा यह भी निश्चित हो गया था। इस लिये जहां पर प्रति एकड़ पर जहां उत्पादन के लिये खर्चा और आमदनी निर्धारित की है वहां प्रत्येक एकड़ पर व्यय करने के लिये लिमिट्स भी मुकर्रर कर दी गई हैं। मई के आखीर तक हमको पता चलेगा कि हमारे प्रदेश के फार्मों पर उत्पादन में कितनी बढ़ोत्तरी हुई और अधिक उत्पादन के लिये हम और क्या कर सकते हैं।

चौथी शाखा है एग्रो। इसमें लोगों को शिकायत करने का बड़ा मौका मिलता है। हमारा ध्यान इस तरफ भी गया है। एक तो कृषि रक्षा केन्द्र जो सभी जिलों में नहीं थे, हमने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में कृषि रक्षा केन्द्र की स्थापना करवाई जाय। कृषि विभाग के पास कुछ ट्रैक्टर्स हैं और हमने यह निर्णय लिया है कि वे सभी ट्रैक्टर्स एग्रो को हस्तांतरित कर दिये जायं। एग्रो का वर्कशाप भी हर जिले में रहे और स्पेयर पार्ट्स भी मिलते रहें ताकि वे कृषकों की अधिक से अधिक सेवा कर सकें। जो एग्रो में हमारे सेवा केन्द्र हैं कृषि के लिये उनके लिये यह कर दिया है कि वे 1,500 घंटे प्रत्येक ट्रैक्टर के लिये निर्धारित कर दिये गये हैं। इससे कम नहीं वे चलेंगे। जिनका कम चलेगा उनसे जवाब तलब किया जायगा। प्रत्येक जिले में इस समय हमारे पास 218 ट्रैक्टर्स हैं। 206 तहसीलें हैं और 48 जिले हैं। इन्हीं 48 जिलों में ट्रैक्टर यूनिट्स की स्थापना करना चाहते हैं। प्रत्येक जिले में, फिर तहसील हेडक्वार्टर तक कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना करके हम कृषकों की सेवा के कार्य को करना चाहते हैं।

प्रदेश में ट्रैक्टर बहुत बिके हैं। ट्रैक्टरों की कीमत बहुत बढ़ गयी है। मुख्य मंत्री जी और मैंने जगजीवन राम और टी० ए० पाई० साहब को पत्र लिखे हैं और उनके उत्तर संतोषजनक आये हैं और उम्मीद है कि ट्रैक्टरों के मूल्य में शायद कुछ कमी आ जाय जिससे कृषकों को लाभ हो सकेगा। इसके अतिरिक्त एग्रो के जरिये से चालू वित्तीय वर्ष में देहरादून जिले में जहां कोल्टाज रहते हैं वहां धान और राईस मिल की स्थापना की जायगी। खटीमा में भी अदरख प्रोसेसिंग इकाई लगाई गयी है। एग्रो ने काशीपुर, नैनीताल, जौनपुर तथा हापुड़ में व फर्रुखाबाद जिले में विशाल शीतगृह स्थापित करने का निर्णय लिया है। जो शीतगृह वहां पहले से था उसकी कार्यक्षमता बढ़ा दी गयी है। फर्टिलाइजर जिससे खाद का संतुलित प्रयोग हो सके

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

और वह बरबाद न हो सके उसके लिये 20 टन का एक फर्टिलाइजर प्लांट स्थापित करने का निश्चय एग्रो ने लिया है। कीट नाशक दवाइयां जिन पर निजी फर्म्स बहुत रुपया कमा रही हैं भारी मिलावट करती हैं। कहते हैं अब डी0 डी0 टी0 के लिये भी मच्छर रिस्टेंट हो गया है। डी0 डी0 टी0 में बहुत मिलावट होने लगी है। इसलिये एग्रो की ओर से निर्णय लिया गया कि एक कीट नाशक और कीटाणुनाशक दवाइयां बनाने का कारखाना भी शीघ्र स्थापित किया जाय। पन्तनगर विश्वविद्यालय की ओर से सोयाबीन का प्लांट लगाने का निर्णय भी लिया गया है। आलू प्रोसेसिंग यूनिट की योजना पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। एग्रो के जरिये मैन्थाल फैक्टरी कुंडा में स्थापित करने का कार्य भी पूरा किया जा रहा है। बिल्डिंग पहले से बनी थी, मशीनरी वगैरह पहले से स्थापित की गयी थी और इसी प्रकार कर्णप्रयाग में गलगल नींबू के रस को निकालने की एक छोटी टी0 सी0 फैक्टरी स्थापित करने के लिये प्रयास किया जा रहा है। एग्रो की कोटद्वार वगैरह में जो इकाइयां हैं उनका विस्तार हल्द्वानी और भुवाली में भी किया जा रहा है। जैसी आपको शायद जानकारी हो प्रदेश में आधे या आधे से कुछ कम ट्रैक्टर पश्चिम के लोग खरीदते हैं। पिन्जौर तथा हरियाना से बाई रोड ये टैक्टर लखनऊ तक आते हैं और फिर बाई रोड पश्चिम को ले जाए जाते हैं। इसलिये एग्रो ने यह व्यवस्था की है कि एग्रो का हापुड़ में जो वर्कशाप है पिन्जोर से सीधे हापुड़ आ जायं और पश्चिम के लोग टैक्टर की हापुड़ के वर्कशाप से ही खरीद सकें।

कारपोरेशन के पास इस समय 348 उर्वरक के बिक्री केन्द्र हैं। 60 और सीजनल उर्वरक केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। और यह भी निर्देश दे दिया गये हैं कि एग्रो की प्रत्येक यूनिट अपने यहां एक तख्ती लगायेगी कि किसान भाई तौल कर खाद लें। मान्यवर, अब से पूर्व न सहकारिता विभाग और न कृषि विभाग किसान को तौल कर देता था। कृषि विभाग ने यह आदेश जारी कर दिये हैं कि तौल कर ही खाद दी जायेगी। उससे किसान को बड़ी राहत मिली है। यही आदेश एग्रो ने और यही आदेश सहकारिता विभाग ने भी जारी किये हैं कि किसान को बोरों से खाद निकाल कर और तौल कर दी जायगी। किसान तौल कर ही खाद लें और तुली हुई खाद पर ही उसका मूल्य दें।

मान्यवर, 10 लाख रुपये का मैंगो जूस और पल्प निर्यात करने का भी निर्णय लिया गया है जो एग्रो ने फाइनल कर लिया है। इसके अतिरिक्त हमारे यहां जौनपुर और अलीगढ़ में दो वर्कशाप हैं। दोनों में गत वर्ष यह चेष्टा की गई थी कि प्रदेश में बढ़ते हुये ट्रैक्टरों के क्रय की संख्या को ध्यान में रखते हुये जो किसान या मजदूर ट्रैक्टर ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हों, उनकी व्यवस्था की जाय। यह व्यवस्था उन दोनों जगहों पर की गई। रायबरेली में भी एक तीसरा केन्द्र इसके लिये खोला गया। इस प्रकार जौनपुर में 195, अलीगढ़ में 23 और रायबरेली में 10, कुल 228 आदमियों को टैक्टर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी गई।

मान्यवर, जहां मैंने इन चीजों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है, वहां यह बात भी कम महत्व की नहीं रह जाती कि हमारा कृषि विभाग किस हद तक एक स्वच्छ प्रशासन दे पाता है। असेम्बली और कौंसिल में यहां पर रात और दिन सवाल आते हैं कि फैजाबाद में एग्रो के 10 बैगन्स आये थे, 5 रास्ते में चोरी कर दिये गये और उनको ब्लैक में बेंच दिया गया। यहां पर ट्रांजिट लासेज, ट्रांसपोर्ट चार्जेज का अन्धाधुन्ध नुकसान बफर गोडाउन्स में इन्तहा है। बनारस में पांच-पांच और छः-छः लाख रुपये की चोरी बफर गोडाउन्स में हुई। इसी प्रकार सीड स्टोर्स के ऊपर भी बीज और खाद के गबन करने की शिकायतें भी शासन को प्राप्त होती रहती हैं। इस दिशा में हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि जिन आदमियोंके ऊपर गबन साबित हो जायेगा, उनके खिलाफ तीन कार्यवाहियां की जायेंगी। गबन साबित होने पर नौकरी से बरखास्त किया जायेगा, उसकी जायदाद अटैच की जायगी और क्रिमिनल केस भी उसके खिलाफ

चलाया जायेगा। इस प्रकार जो जायदाद अटैच की जायेगी उससे वसूली भी हो जायेगी और मुकदमा भी चलाया जायेगा साथ ही विभागीय ऐक्शन भी लिया जायेगा। मान्यवर, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हमारे प्रदेश में करीब करीब 422 केसेज ऐसे थे जिनसे रुपया वसूल होना था। कृषि विभाग में एक ऐसी परिपाटी बन गई थी जिन्होंने गबन किया उनको बहाल कर दिया और उनसे रुपया वसूल होने लगा, किश्तें मुकर्रर कर दी गई। उसके बाद अधिकारी और कर्मचारी का तबादला हो गया और किश्तों की वसूलयाबी भी खतम हो गयी। इसलिये जो 422 केसेज थे जिनसे 15,71,000 रुपया वसूल होना था 93 आदमी मान्यवर, ऐसे थे जो रिटायर हो चुके हैं। अब भी दो लाख पांच हजार रुपया वसूल होना है। पुराने जो 329 केसेज हैं अगर 93 को फिलहाल छोड़ दें तो नये भी 122 केसेज हो गये। इस प्रकार 21 लाख 87 हजार रुपया उनसे वसूल होना था। मान्यवर, आपको जानकर प्रसन्नता होगी, मेरी तसल्ली तो नहीं हो सकी गबन की वसूलयाबी में लेकिन गत मई से 31 मार्च तक के 11 महीनों में 3 लाख 15 हजार रुपया हम वसूल कर पाये हैं जब कि 1958 से 31 मार्च, 1975 तक 5,39,643 रु0 वसूल हो पाया था। 84 केसेज ऐसे हैं जिनकी रिकवरी कम्पलीट हो चुकी है और मान्यवर, हमारी यह कोशिश है कि जब उनकी तनख्वाह बढ़ गई है तो बढ़े हुए धन से अधिक से अधिक कटौती की जा सके और जितने इस्टालमेंट ड्यू हो गये हैं वह सब इस्टालमेंट एक साथ लिये जायेंगे और जिनकी प्रापर्टी है उसे अटैच करके कानूनी सलाह लेकर उनसे वसूल किया जायगा।

इसी प्रकार मान्यवर, हमारे यहां सस्पेंशन के केसेज भी बहुत हैं। 725 आदमी इस विभाग में सस्पेंडेड थे जिनमें से कुछ 10 साल के भी थे और पांच वर्ष से अधिक के 64 आदमी थे। मान्यवर, उनमें से 383 केसेज डिसाइड किये जा चुके हैं। और 45 आदमी सस्पेंड नहीं हुए थे। उनके खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है। मान्यवर, जो हमारे यहां शिकायतें आती हैं उन शिकायतों में 8 महीने में 292 शिकायतों का निस्तारण हुआ जब कि पिछले तीन वर्षों में 771 शिकायतों का निस्तारण हो पाया था। सख्ती भी है मान्यवर, हमने कुछ की है। जो भ्रष्ट और निष्क्रिय कर्मचारी हैं उनमें से 225 व्यक्तियों की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं जो कि उससे पहले वर्ष में केवल 41 कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई थी। इसमें बड़े तथा छोटे दोनों तरह के कर्मचारी हैं। सजा 345 आदमियों को दी गई। पुलिस के पास भी हमारे बहुत से केसेज पड़े हुए हैं। 442 केसेज पुलिस के पास पेंडिंग में है जिनमें से कुछ 12 साल से पेंडिंग में है। मैंने आई0 जी0 साहब को बुलवा कर बात की थी और लिखा भी है जिससे कि उनका शीघ्र निस्तारण किया जा सके।

हमारे यहां जो स्पेशल सैल है उसने गत वर्ष 53 केसेज की इन्क्वायरी कंपलीट की और 16 को चार्जशीट दी गई है। जिसमें 23 लाख रुपये का गबन कर मामला सामने आया है। 23 और केसेज में चार्जशीट देने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें से 18 लाख रुपये का गबन का मामला इनवाल्व है।

इसी प्रकार मान्यवर, हमारे यहां चरित्र पंजिकायें पूर्ण कराने की कार्यवाही की गई है। 31 मार्च तक 14,114 चरित्र पंजिकायें पूरी की गईं और सिर्फ 3 हजार चरित्र पंजिकायें पूर्ण होनी अवशेष हैं। उनको भी जल्दी कराया जाएगा। मान्यवर, 283 प्रतिवेदन प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरुद्ध प्राप्त हुए थे, उनका भी निस्तारण किया गया है। उनमें से 59 तो ऐसे थे, जो 5 साल से भी अधिक पुराने थे। 380 दक्षता रोध के मामलों का भी निस्तारण किया गया और 377 पेंशन और ग्रेचुवेटी के मामले भी, जो 3 साल से पड़े

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

हुए थे, निस्तारित किए गये। 3 हजार सरकारी कर्मचारियों को जिनमें से मान्यवर, कुछ सन् 50 के भी थे, कन्फर्म किया गया है। बहुत से ऐडहाक एप्वाइनमेंट हो जाते हैं। सन् 58 ·59 से यह ऐडहाक चल रहे थे। उनको रेगुलराईज करने के लिए उनका चयन पब्लिक सर्विस कमीशन से होना चाहिए था। उसके लिए भी कार्यवाही कर दी गई है और काफी केसेज को लोक सेवा आयोग के अनुमोदन और उनके द्वारा चयन के लिए भेज दिया गया है। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अपने विचार कृषि विभाग की विभिन्न अनुदानों के ऊपर व्यक्त करते हुए, माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह हमें अपने सुझाव भी दें, विचार भी व्यक्त करें, जिससे मैं उनसे लाभ उठाकर, उनके दिये गये सुझावों को कार्यान्वित करने में सफलता प्राप्त कर सकूं और जिस प्रकार की छोटी और बड़ी शिकायतें इस विभाग में विद्यमान हैं, उनको दूर करने में और कृषि उत्पादन को बढ़ाने में भी सफलता और आपका सहयोग प्राप्त कर सकूं। इन शब्दों के साथ मैं बैठता हूं।

*श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44 · कृषि के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46––भूमि तथा जल संरक्षण के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 47 · क्षेत्र विकास के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य ·विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76––कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य ·विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ता करता हूं कि अनुदान संख्या 92––ऋण और अग्रिम-कृषि के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य ·विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कृषि विभाग के अनुदान पर चर्चा करते हुए बतलाया है कि उन्होंने इस बात का प्रयास किया है कि इस विभाग में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, उसको मिटाया जाए। उन्होंने कोशिश की है कि जो विभाग में गबन हुआ है, उसको पकड़ा जाए और इस बात की भी कोशिश हुई है कि पिछले वर्षों जो कृषि उत्पादन का रेंट यो है, उसको बढ़ाया जाए और बढ़ाया है। मैं इस बात के लिए उनको बधाई देता हूं कि आपने कम से कम अपने विभाग के भ्रष्टाचार को उजागर किया है। और यह एक अच्छा लक्षण है कि सरकार के पक्ष के लोग जो अब तक भ्रष्टाचार को बराबर छिपाने की कोशिश करते रहे हैं उन्होंने अब इस बात को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। लेकिन एक बात की तरफ मैं और सदन का आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब कोई माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री जी अपने विभाग के बारे में बात करते हैं, तो वह नीतियों से संबंधित होता है और उनके जमाने में क्या हुआ और उनके पहले के मंत्रियों ने क्या किया इससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमको यह देखना है कि सरकार की जो कृषि नीति है वह हमारे प्रदेश की अर्थतंत्र को मजबूत बनाने और जो जनता है, उसको रोजगार देने में कितनी सक्षम है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। हमारे राज्य में लगभग 16 लाख किसान हैं और 54 हजार खेतिहर श्रमिक हैं और जो हमारे प्रदेश की आय का स्रोत है उसका लगभग 60 प्रतिशत कृषि पर आधारित है और हम यह भी देखते हैं कि पिछले दिनों में कोशिशें हुई हैं और भारत सरकार का सिंचाई साधनों का विकास करने, कृषि में उन्नति करने की नीति है और छठें दशक में जो उसकी स्थिति थी उसमें विकास हुआ और सातवें दशक में तो सरकार ने जोरदार नारा देना शुरू किया कि हिन्दुस्तान में हरित क्रांति हो गयी। तो इस सब को देखना है कि दरअसल क्या हमारे प्रदेश में हरित क्रान्ति हुई और यहां का जो अन्न का उत्पादन है, उसमें कितने प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई। इसको जब हम ज्यादा गहराई से देखेंगे तो हमारी यह जो वृद्धि का प्रतिशत है वह 3 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है और वह समान रूप से भी नहीं है। उस पर कभी-कभी जो प्राकृतिक प्रकोप है और इसके अलावा जो सरकारी नौकरशाही है उसमें जो भ्रष्टाचार है वह उसके लिए काफी बाधक रहा है, तो इसके लिए इसको यह भी देखना पड़ेगा कि आज भी हमारी कृषि पर, कृषि के उत्पादन पर, प्रकृति का काफी दबदबा है और प्रकृति का मुकाबिला करने में हम सक्षम नहीं हो पाये हैं।

पिछले दिनों जब सिंचाई अनुदान की चर्चा हो रही थी तो उसमें यह बात कही गयी थी कि 1975-76 में यह व्यवस्था हो पायेगी कि सिंचाई का साधन राज्य स्तर पर केवल 3 प्रतिशत हो सकेगा। इस प्रकार हमारे प्रदेश का काफी बड़ा हिस्सा करीब 68 लाख हेक्टेयर जमीन जिसमें अभी तक सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है और यह बात मानी हुई है कि जो सिंचाई वाले क्षेत्र हैं उनमें तो फलों का उत्पादन, अनाज का उत्पादन हो रहा है। वे इलाके जो कि प्रकृति पर आधारित हैं और उन इलाकों में सरकार की नीतियों का कोई असर नहीं हो पा रहा है। यह हमको देखना पड़ेगा। तो जो हमारी अर्थ व्यवस्था है वह विकसित है। उसमें हमारे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा स्थान है। कृषि मुख्य रूप से उस पर हावी है। अगर इसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है तो हमको अपने कृषि के उत्पादन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि कृषि के उत्पादन के लिए कौन से साधन लाये जा सकते हैं?

हमारा ख्याल है कि कांग्रेस पार्टी ने भी यह महसूस किया कि भूमि सुधार जो प्रदेश का सिकुड़ गया है उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि सुधार होना बहुत ही जरूरी है। इसी कारण जमींदारी एबोलिशन किया गया और हदबन्दी का कानून बनाया गया। तो मेरा कहना यह है कि जो गांव समाज की भूमि है वह भूमिहीनों को दी जाय। जिससे जो सामन्ती प्रभाव है वह समाप्त किया जा सके और किसानों और खेतिहर मजदूरों को वह जमीन दी जा सके। मान्यवर, 40 प्रतिशत हिस्सा जो है वह भूमिहीनों का है और 60 प्रतिशत जिनमें 2 हेक्टेयर से लेकर 1 हेक्टेयर तक जमीन वाले हैं। इस तरह से आप देखें कि गरीब और मझोला वर्ग का जो किसान है वह खेती से बिल्कुल वंचित हो रहा है। आप जब तक इस सामन्त वर्ग को समाप्त नहीं करेंगे तब तक आप किसानों को आगे बढ़ा नहीं पायेंगे। उनको साधन मुहैया किए जायं जिससे कि वह कृषि की स्थिति को सुधार सकें और उसको मजबूत बना सकें। मैं सोचता हूं कि जब किसानों के पास अधिक जमीन नहीं है तो वह किस प्रकार से आधुनिक यन्त्रों का प्रयोग कर सकता है और खेती का विकास किस प्रकार से कर सकता है?

[श्री लक्ष्मी नरायण पाण्डे]

मान्यवर, हमारे देश और प्रदेश में सहकारिता का आन्दोलन है। इस आन्दोलन से लोगों में बड़ी विरोधी भावना उत्पन्न हुई है। गांवों में जो सहकारी समितियां बनी हुई हैं वह भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई हैं। सहकारी समितियों को वही लोग हथियाये हुए हैं जो सामन्त है और अपने निजी कार्य के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। जो आपका मकसद है कि इससे छोटे लोगों को बढ़ावा मिलेगा वह मकसद पूरा नहीं होता है। सहकारिता में गरीबों और किसानों का शोषण हो रहा है। आपने सहकारी खेती का नारा दिया है। सीलिंग से जो जमीन अपनी बचाना चाहते थे उन्होंने कोआपरेटिव फार्मिंग शुरू कर दी और जो आपका मतलब था वह हल नहीं हुआ। यह बड़े-बड़े लोगों के जमीन बचाने का माध्यम बन गया। अगर आप इस पर अंकुश नहीं लगाते हैं तो आपका जो मकसद है वह पूरा नहीं होगा। आपके प्रदेश में किसान मजदूरों और खेतिहर मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है और यह जो कार्य है वह उनके हित के लिए नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो आपकी बेसिस है किसान उसको आप आगे बढ़ाने का प्रयास करें जिससे कि उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो सके। तभी आप आगे बढ़ पायेंगे।

(इस समय 1 बजकर 4 मिनट पर अधिष्ठाता, कुंवर श्रीपाल सिंह पीठासीन हुए।)

हम देखते हैं कि 27 वर्ष में आपकी कृषि नीति ऐसी रही है कि आज भी देहाती क्षेत्र में भयंकर भुखमरी और गरीबी व्याप्त है और जब अकाल की दशा होती है तो कई महीनों लोगों को 2 जून खाने को भोजन भी नहीं मिलता है। आज भी प्रदेश में बहुत सी जनता ऐसी है जो गरीबी के स्तर से भी नीचे रहती है। जब तक आप नीचे के लोगों को ऊपर उठाने का प्रयास नहीं करेंगे और सहकारी कृषि की नीति को तेज नहीं करेंगे तब तक आपकी कृषि आत्मनिर्भर नहीं हो सकती है।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारी जो राष्ट्रीय आय है वह 50 प्रतिशत है और हमारे प्रदेश में वह 60 प्रतिशत है। जब प्रदेश में कृषि को आप मजबूत बनायेंगे तभी प्रदेश की राष्ट्रीय आय और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। हमारा देश कृषि प्रधान होने के बावजूद भी इसमें अन्न का संकट बना रहता है और हमें ऐसे लोगों से अन्न मंगाना पड़ता है जो अनाज के बदले हमारा शोषण करना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि अमेरिका की पांच कम्पनियों के ऊपर कम तौल होने के कारण और घटिया माल देने पर मुकदमें चलाये गये। आज अमेरिका के लोग गल्ले के सवाल को लेकर हमारे देश और प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करते हैं और हमारे देश की आजादी को भी खतरे में डालने की कोशिश करते हैं। अनाज के ऐसे नाजुक मसले को लेकर वे राजनीतिक सौदा करते हैं। पी0 एल0 480 में रुपया लें और वह सारा सी0 आई0 ए0 इस्तेमाल करता है, हमारे देश की स्थिति में अस्थिरता लाता है और प्राइवेट सेक्टर को मजबूत भी करता है। मुझे खेद है कि माननीय मंत्री जी की ओर से पिछले वर्ष जो आलू शीत भण्डारों में जो भ्रष्टाचार हुआ और कृषकों का शोषण हुआ, कुछ नहीं कहा गया। गत वर्ष आलू का उत्पादन इतना अधिक हुआ था और शीत भण्डारों की तादाद इतनी कम थी कि किसानों की मजबूरी का फायदा उठा कर उनका बड़ा शोषण किया गया। मेरी प्रार्थना है कि इन शीत भण्डारों को राजकीय क्षेत्रों में बनाया जाय ताकि प्रदेश के किसानों को अपना आलू रखने का मौका मिल सके।

अब मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ और चीजों की ओर ले जाना चाहता हूं। अगर वास्तव में प्रदेश कृषि की प्रगति करना है तो उसके साथ जो बिजली विभाग है या सिंचाई विभाग है, इन सब को इस तरह से जुटना पड़ेगा कि सारे विभाग मिल कर एक योजना बनायें क्योंकि सिंचाई और बिजली, ये दोनों खेती के लिए इतने जरूरी साधन है कि अगर इनकी कोई समन्वित योजना नहीं बनती है तो खेती का विकास नहीं हो सकता है। आज हम देखते हैं कि जहां पर सिंचाई का प्रबन्ध

नहीं है वहां पर सूखे के प्रकोप से खेती का नुकसान होता है। बाढ़ के प्रकोप से बचाव का भी कोई प्रयास नहीं होता है जिसके कारण हमारी फसलें बरबाद हो जाती हैं। पूर्वांचल में जहां पर सूखे से नुकसान होता है वहां बाढ़ से भी बड़ा नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त जंगलों के पास जंगली जानवर भी हमारी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। माननीय मंत्री जी को चूहों के नुकसान का तो बड़ा ज्ञान है क्योंकि चूहे पूर्वी और पश्चिमी, दोनों ओर के जिलों में सभी जगह परेशान करते हैं लेकिन हमारी तरफ जहां जंगलात हैं उनके किनारे 4-4 मील तक जंगली जानवर सारी फसल को चर कर साफ कर देते हैं। उन जंगली जानवरों से बचाने के लिए कृषि या वन विभाग से इस बात के लिए प्रयास होना चाहिये। हमने इस बारे में कई बार आवाज उठायी कि जंगली जानवरों से बचाने के लिए कोई तरीका निकालिये लेकिन जब जाते हैं तो मंत्री जी तो जिलों में जाकर इस बात का आश्वासन दे आते हैं कि कोई व्यवस्था होगी, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं होती और यदि जंगली जानवर खेतों में चले जायं और किसान मार दे तो उनपर जुर्माना होता है। किसान उनको मार नहीं सकता, रोक नहीं सकता खेत में आने से और आप अपने जंगली जानवरों को रख नहीं सकते बचाकर तो यह ऐसी बिडम्बना है जिसकी तरफ कृषि मंत्री जी को खास तौर से ध्यान देने के लिए मैं निवेदन करता हूं। वे वन विभाग से संपर्क स्थापित करके कोई ऐसी योजना बनावें जिससे लाखों एकड़ जमीन की फसल को जो जानवर नष्ट करते हैं, उनसे बचाया जा सके।

अभी मंत्री जी ने बताया कि हमारे प्रदेश में आलू का उत्पादन सबसे अधिक होता है, लेकिन मेरा कहना है कि यद्यपि हमारे प्रदेश में आलू का एवरेज ज्यादा है, लेकिन उत्पादन पंजाब से और यहां तक कि बंगाल से भी कम होता है। पंजाब में फी हेक्टर 138.58 क्विंटल होता है, पश्चिमी बंगाल में 119.91 क्विंटल प्रति हेक्टर होता है और हमारे यहां 92.3 प्रति हेक्टर होता है। तो इस बात की कोशिश होनी चाहिये कि हमारे यहां प्रति हेक्टर उत्पादन में वृद्धि की जाय।

सीड स्टोर और कोआपरेटिव स्टोर्स में पिछले दिनों जिस समय जिस खाद की जरूरत हो वह नहीं मिलती। बुवाई के पहले जैसी चाहिये या बीच में जैसी चाहिये वैसी नहीं मिलती है और जबरदस्ती उन्हीं खादों को एक दूसरे के साथ मिला कर किसानों को देने का काम आपके डिपार्टमेन्ट के लोग करते हैं और जब ऊपर शिकायत की जाती है तो कहा जाता है ऊपर से आदेश नहीं है और किसानों के साथ वही जबरदस्ती अमल में लायी जाती है। सीड स्टोर और कोआपरेटिव स्टोर के सुपरवाइजर जो धांधली करते हैं उसको मंत्री जी ने कबूल किया है। तो उससे किसानों को जो परेशानी होती है इसकी तरफ ध्यान दिया जाय।

ब्लाक के बारे में जो ग्राम सेवक हैं उनके बारे में यह कहना है कि आपने ब्लाक इसलिए बनाये थे कि खास तौर से गांव में कृषि के उत्पादन में किसानों को सहायता में इस्तेमाल किये जायं, लेकिन सही मानों में ब्लाक निष्क्रिय और निकम्मे हो गये हैं, कोई काम नहीं है या काम है तो पूरा नहीं होता क्योंकि इस बीच में सरकार का एक सरकुलर गया था कि ये ग्राम सेवक ट्यूबवेल और नहरों की नालियों और गूलों के निर्माण के लिये श्रमदान करें। लेकिन श्रमदान नहीं हुआ और मेरी समझ से न कहीं नालियां बनीं और न गूलें। तो आपने जो ब्लाक बनाये हैं इनको इस तरह से सक्रिय करें कि वह किसानों की सहायता कर सकें और कृषि तंत्र को मजबूत बनाने में वह मदद कर सकें। तब तो इन ब्लाकों का उपयोग होगा, खाली ग्राम सेवक का नाम बदल देने से कुछ काम निकलने वाला नहीं है क्योंकि ब्लाकों का मुख्य काम यही है।

तीसरे, किसानों को ऋण देने के लिये तरह-तरह की संस्थायें निकाली गयीं। मैं अपनी तरफ का आपके सामने जिक्र क[illegible] चाहता हूं। चाहे वह एस0 डी0 बी0 हो, चाहे कोआप-

[श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]

रेटिव सोसाइटी हो, चाहे बैंक हो, ये सारे के सारे किसानों के लिये एक बहुत ही जबरदस्ती लूट का कारण बन गये। रुपया उनको मिला नहीं, बोरिंग हुई नहीं, ट्यूबवेल बना नहीं लेकिन उनके नाम रुपया निकल गया। चाहे वह ए0 डी0 एम0 (आई0) हो चाहे एल0 डी0 बी0 का मैनेजर हो, ये दुकानदारों से सांठगांठ कर के पैसा ले लेते हैं और किसान को उससे लाभ नहीं होता। ऐसे भी मसले आये हैं कि किसान को जानकारी भी नहीं है लेकिन उसके नाम से बैंक से पैसा निकाल लिया गया है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय—

एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने जो लोगों को पकड़ा है और उन पर मुकदमा चलाया है यह बात मेरी समझ नहीं आयी कि आप उनसे पैसा भी वसूल करेंगे और फिर क्रिमिनल केस भी चलायेंगे। मान लीजिये कि वह क्रिमिनल केस में छूट जाय तो फिर आपको पैसा सब वापस करना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं और मुझे आशा है कि आप इस पर अपने सुझाव देंगे।

*श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। जैसा कि मंत्री जी ने कहा, कृषि विकास के लिये बीज एक ऐसी चीज है जिस पर कृषि उत्पादन का पूरा दारोमदार है। मैं माननीय मंत्री जी को इस सम्बन्ध में कुछ सूचना देना चाहता हूं। तराई बीज निगम ने इस प्रदेश के किसानों को जिस तरह एक्सप्लायट किया है उसकी कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बीज के लिये दो बातें मुख्य हैं। एक तो बीज शुद्ध हो और दूसरे रोग रहित हो। इसीलिये 90 रुपये क्विंटल का जो गेहूं मार्केट में है इनके यहां 280 रुपये क्विंटल में लिया गया। लेकिन गेहूं में तराई से एक ऐसा पौधा आ गया है कि हम लोग परेशान हो गये कि इसका निवारण किस तरह से किया जाय। बिल्कुल गेहूं की तरह का वह पौधा है और उसको हम अलग नहीं कर सकते जब फूंकते हैं तब पता चलता है कि यह गेहूं नहीं है। अगर तराई बीज निगम ने बीज को शुद्ध किया होता तो आज हमको इतना महंगा बीज लेकर भुगतना नहीं पड़ता। दूसरी बात है रोगरहित होने की। जो बीज तराई बीज निगम से आया है उसमें इतना कड़ुवा लग गया है कि हमें आशंका है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में वह जोरों से फैल जायगा। जब बालियां निकलती हैं तो पता लगता है कि कड़ुवा रोग लगा हुआ है। कृषि विभाग का कथन है कि इस रोग के पौधों को निकाल दिया जाय। लेकिन जब एक पौधे को निकालने के लिये खेत में किसान जायगा तो 50 पौधे और नष्ट होंगे।

श्रीमान् जी, एक-एक बीघे में तीन-तीन बोझ कड़ुवा रोग से ग्रसित गेहूं का निकलता है, जिसका बीज तराई बीज निगम से आया है। असलियत क्या है? माननीय मंत्री जी, मेरा निवेदन है कि इसका कारण केवल लापरवाही और भ्रष्टाचार है। जो इंस्पेक्टर नैनीताल एरिया में या पंत नगर में जाता है बीज को देखने के लिये, वह मुर्गा खाता है, शराब पीता है और खेतों तक नहीं जाता। वहां मुर्गा बनता है तो वह पूछता है कि सब ठीक है, मुर्गा बनाने वाले कह देते हैं कि हां, सब ठीक है और इस तरह से जो शराब पिलाते, मुर्गा खिलाते हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

या पैसे देते हैं उनका बीज बाहर भेज दिया जाता है और जो पैसा नहीं देते उनका नहीं भेजा जाता है आप सोचें कि इस तरह तराई बीज निगम का जो बीज बाहर जाता है उससे उस निगम की पूरे देश और प्रदेश में क्या ख्याति होती होगी ? अगर बीज को ठीक से छांटा जाता तो इस तरह से कड़ुआ रोग का बीज उसमें नहीं होता और वह गेहूं जिसको हम लोग बन गेहूं कहते हैं, उसमें से निकाल दिया जाता । उसका दाना भी इतना महीन होता है कि अगर उसे साफ किया जाय तभी निकल जायगा । इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि यह तराई बीज निगम जो बना हुआ है उसमें जो बुराइयां भरी हुई हैं उनका कड़ाई के साथ निराकरण का उपाय करें ।

दूसरी बात यह है कि सहकारी फार्म जो एग्रीकल्चर के हैं, ये इसलिये खोले गये हैं ताकि लोग ऐसी खेती देख कर सोचें कि अच्छी खेती करनी चाहिये । आप जानते हैं कि इस सदन में यह चर्चा का विषय रहा है और जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें यह दिखाया जाता रहा है कि गेहूं के उत्पादन में, आलू के उत्पादन में, इतना खर्च है कि हमारा लास होता है, किसानों का लास होता है । विरोधी पक्ष ने भी आंकड़े दे देकर इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि सहकारी फार्म्स में लास होता है । इसका कारण यह है कि उस का इन्तजाम सही हाथों में नहीं है । माननीय मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि इन कृषि फार्म्स को आप खत्म करें और वहां के जो लोकल किसान हैं, उनको अच्छे और शुद्ध बीज देकर एक निगम की स्थापना करें जहां से बीज सस्ता और अच्छा किसानों को मिल सके । इस तरह से करोड़ों और अरबों की सम्पत्ति जो इस तरह से पड़ी हुई है उसे खत्म करें तो बड़ी अच्छी बात होगी । माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वे एग्रीकल्चर विभाग को केवल प्रचार और प्रसार के साधन बनावें, उसे खरीद और बिक्री का केन्द्र न बनावें तो इससे इस प्रदेश का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है । जहां कहीं खरीद बिक्री की व्यवस्था होती है वहीं घपले और गबन होते हैं, सारी की सारी इनर्जी वहीं पर एकत्रित हो जाती है जिससे खाने पीने का सिलसिला शुरू हो जाता है । इसमें आपको क्रान्तिकारी परिवर्तन करना है ताकि उससे प्रचार, प्रसार और अन्वेषण का काम लिया जा सके और जिससे विभाग ठीक प्रकार से काम करता रहे ।

सीड्स जो दिया जाता है सरकार की ओर से, वह समय से नहीं दिया जाता है । ग्राम सेवक को दे दिया जाता है कि इतना बीज बांटना है, नहीं तो तुम्हारी तनख्वाह से इतना रुपया कट जायगा । बीज जो पहले ढाई रुपये किलो मिलता था अब आपने उसका दाम 1.70 रुपये किलो कर दिया है । वह बीज अगर समय के बाद मिले, तो वह इतना महंगा है कि उसे कोई खाने के लिये नहीं खरीद सकता, फिर ग्राम सेवक उस बीज का क्या करे? आलू का बीज आपने ग्राम सेवक को बाद में दिया जब कि बाजार में रुपये का 3 किलो आलू बिकता था, और आपका आलू का बीज 105 या 110 रुपये क्विंटल पड़ा था । हमें पता है कि माननीय मंत्री जी ने इस विभाग में बड़ा सुधार किया है फिर भी माननीय मंत्री जी को बहुत सी चीजों को ध्यान में रख कर कार्य करना चाहिये ।

(इस समय 1 बजकर 25 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, जहां तक एग्रो का सम्बन्ध है । श्रीमन्, एग्रो के जो उत्पादन हैं, खासकर पेय उत्पादन, उनकी क्वालिटी अच्छी है । अच्छे बनते भी हैं । लेकिन उनका प्रसार और प्रचार व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं है । इसकी वजह से आज बाजार में तमाम चीजें पड़ी हुई हैं उनकी कोई बिक्री नहीं है । इसलिये एग्रो को कोई लाभ नहीं हो पाया है ।

[श्री राज बहादुर चन्द]

मान्यवर, चूहों के मारने के सम्बन्ध में मन्त्री जी से निवेदन है कि चूहों को मारने के लिये सारी कार्यवाही केवल कागज पर हुई है । गांवों में कोई नहीं पहुंचा कि यह गोली है चूहा मारने की या चूहा इस तरह से मारिये । यह बताने कोई गांव नहीं पहुंचा । मान्यवर, चूहों की वजह से हम लोग इतने परेशान हैं कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते ।

एक सुझाव और देना चाहता हूं । हमारे यहां दवा छिड़कने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है । जो छिड़कने के सामान सरकारी केन्द्रों में हैं और जो सामान कृषकों के पास है वह वर्किंग आर्डर में नहीं हैं, बिगड़े पड़े हैं उनको कोई बनाने वाला नहीं है । इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जितने पावर स्प्रेज का वितरण किया गया है उनको मरम्मत कराने की व्यवस्था की जाय ।

श्रीमन्, धान के बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं । पता चला है कि बांसमती धान की कोई नयी बीज बाजार में आयी है । श्रीमन्, बस्ती जिले में धान की अच्छी पैदावार होती है । अगर वहां पर बोनीजाति के धान का बीज मिले तो उत्पादन और बढ़ सकता है । इसकी व्यवस्था करने की कृपा करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी) . .

मान्यवर, सर्व प्रथम मैं आदरणीय वीरेन्द्र वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं । इन्होंने साल डेढ़ साल में विभाग को बड़ी अच्छी तरह चलाया है । श्रीमन्, वैसे तो मैं आज तक उनके यहां गया नहीं, न तो घर पर गया और न कार्यालय में ही गया लेकिन इसके बावजूद भी जो कुछ जानकारी उन्हें दी गयी या उनको मिली उसके मुताबिक उन्होंने सख्ती से उस पर अमल किया है । श्रीमन्, इसके लिये मैं उनका शुक्रगुजार हूं और उनको धन्यवाद देता हूं ।

मान्यवर, कृषि के मुहकमें का दायित्व बहुत बड़ा है । इसको हमें सिर्फ एक विभाग के रूप में ही देखने की आवश्यकता नहीं है । मान्यवर, यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि आज विश्व की जो राजनीति है वह बहुत कुछ अन्न के ऊपर निर्भर करती है और कोई भी देश यदि अन्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं होगा तो श्रीमन्, उसकी आजादी, उसकी प्रभुसत्ता और सुरक्षा नहीं रह सकती है । यह बात विश्व में बड़े पैमाने पर देखने में आ रही है । मान्यवर, हाल यह है कि आज भी अन्न के मामले में, प्रगति तो जरूर हुई है, उत्पादन बढ़ा है, नये किस्म के बीज आ गये हैं, बहुमुखी प्रगति हुई है, लेकिन आज भी अन्न के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं हैं । तो कृषि विभाग को एक महकमे के तौर पर देखने की जरूरत नहीं है । इसमें बहुत ही गुंजाइश है । इतनी गुंजाइश है कि हम अन्न के उत्पादन में रिकार्ड कायम कर सकते हैं और देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं । इस दृष्टि से हमको देखना है । श्रीमन्, इस विभाग में बहुत सी कमियां हैं । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि 1972 से 1974 तक जितने बड़े-बड़े खाद गोदाम और छोटे-छोटे सीड स्टोर खोले गये उन सब की जांच करें तो करोड़ों रुपये का घपला मिलेगा । जिस खाद को सरकार ने किसानों को देने के लिये दिया था उसमें मिलावट, घपला और गबन सभी कुछ किया गया है । अभी एक प्रश्न बलिया और गाजीपुर तथा हमारे जिले का उठा था जिसमें 6 लाख 50 हजार रु0 का घपला था । सीड स्टोर पर 2 लाख की खाद गबन में चली गयी । जिस समय खाद की कीमत दुगुनी हो गयी थी कृषि विभाग के पास जितनी खाद थी स्टोरों पर वह सही कीमत पर किसानों को नहीं दी गयी और ब्लैक में सब बेंच दी गयी । नतीजा यह हो रहा है कि जिन लोगों के जमाने में यह गड़बड़ियां हुई हैं उन सब को प्रोमोट किया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

राष्ट्रपति शासन में 1973 में फैजाबाद में 18 लाख रुपये का गबन हुआ था। इस पर पार्लियामेन्ट में भी सवाल उठा था। तो उस समय कौन-कौन लोग वहां थे उसको भी मंत्री जी को देखने की आवश्यकता है।

श्रीमन्, कृषि विभाग का जो आडिट विभाग है वह एकदम मुर्दा बना दिया गया है। 12 वर्षों की आडिट आपत्तियां पड़ी हुई हैं और उनका निराकरण नहीं हो रहा है। इसलिए मैं मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि उनका निराकरण कराने का प्रयास करें। खाद में मिलावट का मामला मुजफ्फरनगर में पकड़ा गया लेकिन 7 8 वर्ष से पड़ा हुआ है और उसका निराकरण नहीं हुआ है। तो वह क्यों नहीं हुआ?

मान्यवर, अब मैं बीज को ले रहा हूं। बीज पंतनगर से आ रहे हैं। प्राइवेट बीज पैदा करने वाले लोग, इसका 1974 में प्रश्न उठा था, वही मोहर, वही थैला बनाकर सप्लाई करते हैं। एक बार हमारे वहां और बस्ती में वही बीज गया था तो वह उगा ही नहीं था। इस तरह के बीज में घपला हो रहे हैं। इस साल रबी की फसल में गेहूं का बीज आया है जैसे आर० आर 21 को हमने देखा है तो उसी का कहना है कि कम से कम 3—4 प्रतिशत पूरे खेत में काली बालें निकल गयी हैं उसमें क्या जांच हो रही है? लेकिन हम सुनते हैं कि यह सीड बाहर के देशों को भी भेज रहे हैं। अगर इस तरह का बीज वहां भेजेंगे जिनमें काली-काली बाली निकले तो वे लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? हमारा देश तो वैसे ही बदनाम है। रूस से हमारा एग्रीमेन्ट है जूते का। आगरे से भेजे जाते हैं। एक भाई ने तो एक ही पैर के सारे जूते भेज दिये। मान्यवर, हम तो एक्सपर्ट हैं यह तिकड़म करने में। लेकिन अपने ही अन्दर करें, तो ठीक है। अगर बाहर के देशों के साथ विश्वास खो देंगे तो हिन्दुस्तान की जो इज्जत बढ़ी है उसे मिटा देंगे। इसलिए जांच करने की आवश्यकता है। साथ ही और खोज करने की भी जरूरत है। अभी हमने पढ़ा कि उड़ीसा में कोई धान की किस्म निकली है। यहां के लोगों को देखना चाहिये। जितनी ही अच्छे बीजों को हम ले आयेंगे उतने ही बड़े पैमाने पर हम खेती में तरक्की कर सकेंगे।

एक और बात निवेदन करना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण है। अब बिना आधुनिक ढंग से किये खेती नहीं हो सकती। चाहे पांच या दस बीघे का छोटा किसान हो या 50 बीघे का बड़ा काश्तकार हो उसे आधुनिक तरीके अपनाने होंगे। अगर हम ज्यादा सेन्टर्स न खोल सकें तो ब्लाक स्तर पर तो खोल ही दें जिसमें ट्रेक्टर से लेकर हर चीज जो कृषि में इस्तेमाल होती है, मिल सके। सरकार को इस तरफ सोचना चाहिये। अब पुराने हलों से ठीक से खेती नहीं कर सकते। इसलिए महकमें को ऐसे सेन्टर्स खोलने चाहिए। एक बात और है। हम महकमे के सेक्रेटरी बन गये। मैंने पिछले साल भी निवेदन किया था लेकिन आज तक किसी को एग्रीकल्चर सेक्रेटरी उस विभाग के आदमी को नहीं बनाया गया जबकि सरकार ने फैसला भी ले लिया था। सिंचाई का सेक्रेटरी विभाग का आदमी हो गया। यहां भी मंत्रिमंडल ने निर्णय ले लिया था लेकिन नियुक्ति नहीं हुई। इसके अलावा बहुत सी जगहें खाली हैं। मुझे पता चला कि दो तीन जगह खाली हैं लेकिन नियुक्ति नहीं की गयी। जबकि हमारे काम का विस्तार हो गया और योग्य आदमी भी मौजूद हैं वर्षों तक जगह खाली रखी जाय यह उचित बात नहीं है। मंत्री जी का ध्यान उधर भी जाना चाहिये। मेरा एक निवेदन और है कि इस विभाग का पुनर्गठन होना चाहिये। इसकी ठीक से जांच पड़ताल करें। मैं तो फर्टीलाइजर के लिए 72 से 74 का टाइम दे रहा हूं। हर मंडल की जांच करें कि कौन-कौन अधिकारी था, कौन जिम्मेदार अफीसर था।

[श्री ऊदल]

उसके जमाने में कितना गबन होगा क्योंकि किसानों के पास अच्छी खाद नहीं पहुंची है। मैं चाहता हूं कि इसकी छानबीन होनी चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विभाग का काम पुराने ढर्रे से नहीं चलाया जा सकता है और इसकी मुख्य जिम्मेदारी कृषि विभाग पर है जिसके आप मंत्री हैं। इस विभाग के जरिये से जितने ही नये-नये किस्म के बीज आधुनिक ढंग से तैयार किये जायेंगे उतनी ही हमारी पैदावार बढ़ सकती है और हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि झोली लेकर अन्य देशों से हम अन्न की भीख मांगते फिरें। विश्व में जो अन्न की राजनीति है उससे हम निकल कर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। अन्त में मैं वीरेंद्र वर्मा जी का आभार प्रकट करता हूं इस भरोसे के साथ कि वे इस विभाग को स्वच्छ बनायेंगे, स्वच्छ प्रशासन देंगे और यही हमारी मंशा है और इसी को लेकर मैं कभी-कभी सवाल भी किया करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती बेनी बाई (जिला झांसी)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करती हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान देश है और यहां की 85 प्रतिशत जनता देहातों में रहकर कृषि का काम करती और अधिक उत्पादन के लिये अच्छे बीज, अच्छी खाद, पानी और बिजली की आवश्यकता होती है। ये चारों चीजें बुन्देलखंड में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती हैं। यही कारण है कि बुन्देलखंड का किसान गरीब है। मान्यवर, राजकीय सीड स्टोर से गल्ला तब मिलता है जब किसान आधी बोआई कर चुकता है और आधी बीज की राशि का सीड स्टोर के इन्चार्ज किसानों के नाम से बाजार में बेंच देते हैं। निवेदन है कि आप इस दुर्व्यवस्था को ठीक करें। साथ ही किसानों को जो बीज दिया जाता है वह एक मुश्त रकम से दिया जाता है जब कि किसान का बीज तकाबी पर दिया जाना चाहिये। एक मुश्त लेने से किसान की सारी रकम उसी में लग जाती है और किसान जहां का तहां गरीब ही बना रहता है। गरीबों को जमीन बांटी गई है उसकी काश्त के लिये उनको 200 या 300 रुपया तकाबी में दिया गया। वह रकम मार्च में तो दी गयी है और अप्रैल में एक मुश्त उसकी रिकबरी कर ली गई है। सरकार एक हाथ से तो देती है और दूसरे हाथ से ले लेती है इससे किसानों में बड़ा भारी असन्तोष है। 6-6 महीने की 4 किश्तें कर दी जायं जिससे कि कुछ कर सकें और कहीं ऐसा न हो कि जो जमीन आपने उनको दी है उसकी नीलामी की नौबत आ जाय। किसानों को जो खाद दी जाती है वह बीज के साथ जबरदस्ती दी जाती है। खाद लेना अनिवार्य है। 75 प्रतिशत वहां की असिंचित है और केवल 25 प्रतिशत ही सिंचित भूमि है। असिंचित भूमि के लिये जो बीज दिया जाता है उस पर खाद की अनिवार्यता को समाप्त करके जो सिंचित भूमि है उसी पर आप इसकी अनिवार्यता को रखें।

इस तरह की तमाम दिक्कतों को माननीय मंत्री जी हल करने की कृपा करें। बुन्देलखंड के किसान पंतनगर के उन्नतशील बीज को बोने से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उस बीज के लिये तीन चार पानी की आवश्यकता होती है और वहां का किसान चार पानी दे नहीं सकता। लिहाजा ऐसी व्यवस्था की जाय कि वहां के किसानों को पानी मिलने लगे ताकि वह उस बीज का फायदा उठा सकें। भूमि संरक्षण का जो काम हमारे यहां हुआ है या यू0पी0 के अन्य हिस्सों में हुआ है उसमें जो बन्दी बनाने में काम हुआ है और उस पर जो व्यय हुआ है उसका बोझ किसान पर आ पड़ा है। स्वायल कंजरवेशन में बंदियों का बोझ जो किसानों पर है उसे सरकार माफ करने की कृपा करे। इसके अलावा जो मंडियां बनाई गई हैं अथवा बीच में मंडियों में नामिनेशन किया गया था उनको अब भंग कर दिया गया है। और

उसके बाद न तो चुनाव हुए और न नामिनेशन ही हुआ। या तो मंत्री जी इन मंडियों का चुनाव करा दें अथवा नामिनेशन कर दें ताकि जो अव्यवस्था वहां है जिससे किसान परेशान है वह दूर हो जाय। इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने जो कृषि का बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, फर्रुखाबाद का जो कमालगंज क्षेत्र है उसके कुछ तथ्यों से मैं श्रीमान जी को अवगत कराना चाहता हूं। ट्रैक्टर सर्विस के लिये एग्रो के हमारे यहां ट्रैक्टर्स हैं उनको फर्रुखाबाद ले जाना पड़ता है। मैं इस्तदुआ करूंगा कि ये सर्विस सेन्टर्स कमालगंज, गुरसहायगंज तथा जहानागंज तीन जगहों पर खोल दिये जायं तो किसानों को 20-30 मील फर्रुखाबाद तक अपने ट्रैक्टर्स को नहीं ले जाना पड़ेगा। दूसरे पोटेटो परचेज सेन्टर एग्रो के लिये कमालगंज में भी खोल दिया जाय तो बड़ी कृपा होगी। माननीय मंत्री जी ने कहा कि एग्रो के लिये ड्राई चिप्स की फैक्ट्री लगाई जायगी। इससे बड़ा फायदा होगा। एग्रो फर्टिलाइजर का डिपो कमालगंज, गुरसहायगंज तथा जहानागंज में भी खोल दिये जायं तो किसानों को बड़ा फायदा होगा। हार्टिकल्चर के सिलसिले में यह अर्ज करना है फर्रुखाबाद में कोई अच्छी नर्सरी नहीं है जहां से अच्छे पौध मिल सकें। जिन्होंने वहां बागान लगाये हैं आपके विभाग को चाहिये कि उनसे मिलें और इस बात का रजिस्टर बनाया जाय इंस्पैक्टर ने उनको विजिट किया है या नहीं और इस सम्बन्ध में मंथली रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर इंस्पैक्टर भेजे ताकि मालूम हो सके कि जिले में उन्होंने क्या काम किया है। जैसा मैंने बताया था एक कुमांहेली घाट से खुदागंज पुल तक काली नदी के किनारे-किनारे व सिंधी रामपुर से कन्नौज तक कालीनदी की जो बेल्ट है उसके बारे में सिंचाई मंत्री जी से तो मैं अर्ज कर ही चुका हूं लेकिन कृषि मंत्री जी से भी गुजारिश करूंगा कि वह वहां पर यह देखें कि कैसे डबल क्राप हो सकती है। मंडी समितियों के बारे में बेनी बाई जी बता ही चुकी हैं। उसमें यह है कि जो मंडी सचिव हैं वे मनमानी कर रहे हैं। इसलिये आप एक एडहाक कमेटी इसके लिये मुकर्रर कर दें ताकि इन सचिवों पर कोई कंट्रोल हो सके। मंडी के लिये छिबरामऊ में जगह तो आपको मिल ही गई है इसलिये इस काम को आप और तेजी से शुरू करायें क्योंकि यह बहुत बड़ा काम है। स्वायल कंजरवेशन के सिलसिले में मुझे अर्ज करना है कि हमारे कमालगंज में जो स्वायल कंजरवेशन का काम वहां की ग्राम सभा में हुआ है, वह संतोषजनक नहीं हुआ है। एस० एफ० डी० की एक स्कीम केन्द्रीय सरकार की थी उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि उसमें कमालगंज को भी वे ले लें। वहां पर स्वायल टैस्टिंग फैसिलिटीज नहीं है। लैंड डेवेलपमेंट बैंक छिबरामऊ में एक श्रीवास्तव मैनेजर हैं। वह ऐसे हैं कि उनके 600 रुपये कमीशन के बंधे हैं मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री को लिखा भी है कि उनका वहां से स्थानान्तरण कर दिया जाय। वे वहां पर रह कर किसानों को मारे डालते हैं। सब लोग उनसे परेशान हैं। उनके साथ वी० एल० डब्लू० भी हैं। लेवी के सिलसिल में अर्ज करना चाहता हूं कि इसके जो इन्सपैक्टर्स हैं वे भी किसानों को बहुत परेशान करते हैं। वे लेवी किसानों से न लेकर बड़े-बड़े दुकानदारों के नाम परची काट देते हैं और बीच में मनमानी कर लेते हैं। 92 रुपया कुन्टल किसान का गेहूं लेकर 105 रुपये कुन्टल लेवी सेन्टरों पर बेंचते हैं। तो इस प्रकार उससे किसान बहुत परेशान हैं। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री राजपाल (जिला मेरठ)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं क्योंकि यह बहुत ही प्रगतिशील और किसानों की उन्नति करने वाला बजट है। पिछले वर्ष में कृषि की प्रदेश में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामपाल]

उल्लेखनीय उन्नति हुई है। मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिये बधाई देता हूं और साथ ही माननीय मंत्री जी ने निर्भीकतापूर्वक भ्रष्टाचारियों का दमन किया है इसके लिये भी मैं उन्हें बधाई देता हूं। इसके अलावा मैं कुछ सुझाव भी प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरा सुझाव यह है कि किसान जिसका कारोबार सबसे कठिन है उसे ओला, पाला और प्राकृतिक दूसरी आपदाओं का सामना करना पड़ता है और इस सबके बाद जो पैदावार होती है वह राष्ट्र की होती है। किसान राष्ट्र प्रेमी है। उसका सारा तन-मन धन राष्ट्र के लिये और वह उसे अर्पित करता है। अगर किसी वजह से फसल का नुकसान उसे हो जाय तो यह सोचने वाली चीज है कि उसको देखने वाला कौन है? यह भी प्रदेशीय सरकार ही होनी चाहिये। इसलिये मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि फसलों का बीमा तुरन्त शुरू करने की आप कोशिश करें। दूसरा जमीन के परीक्षण के बारे में मंत्री जी ने जो प्लान रखा है वह बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे किसान इतने प्रगतिशील नहीं हैं कि इस पर ध्यान दे सकें और मिट्टी का परीक्षण करवा लिया करें। चाहिये यह कि जो ब्लाक वाले हैं उन्हें आदेश दिये जायं कि वे मिट्टी का परीक्षण करवायें। इससे बहुत लाभ होगा और मिट्टी में जिस चीज की कमी होगी वह पूरी की जा सकेगी। ठीक खाद का प्रयोग किया जा सकेगा। अभी तक इसका ज्ञान न होने से अगर नाइट्रेट की कमी है तो फासफेट दी जाती है।

चूहों के मंत्री जी बहुत शत्रु हैं इसकी बहुत खुशी है। लेकिन चूहों को मारने का जो प्लान रहा है वह कागजों पर हो रहा है। इस साल चूहे बहुत हैं। मैं नम्रता से मंत्री जी से कहूंगा कि वे आदेश दें कि प्लान प्रैक्टिकल रूप धारण करे। इसके अलावा महकमे वाले चूहे भी किसान को नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे मालूम है कि मंत्री जी की पैनी दृष्टि उन पर भी जायेगी और उन्हें भी समाप्त करेंगे।

इसके अलावा एक निवेदन मुझे यह करना है कि हमारी मेरठ कमिश्नरी पंजाब और हरियाणा का मुकाबला करती है। 9 मार्च को बलन्दशहर में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी वहां भी तय किया गया था कि इसका मुकाबला पंजाब और हरियाणा से करना चाहिये और खेती में कुछ प्रोत्साहन दिया जायेगा लेकिन जब तक वहां पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया जायेगा तब तक वह काम बनेगा नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वहां की जाय।

एक सुझाव मेरा यह है कि ब्लाक्स आजकल निष्क्रिय हैं। ए0 डी0 ओ0 (कृषि) मुझे दो साल एम0 एल0 ए0 हुए हो गये देखने में नहीं आया। उससे पहले भी गांवों में घूमते हुए मैंने नहीं देखा। हां, मैंने एक बात उसका जरूर सुना है कि वह खाद के हेर-फेर में अच्छा काम करता है। मेरा सुझाव यह है कि यह ब्लाक्स सीधे कृषि विभाग के अधीन होने चाहिये उससे किसानों की फसल के संचालन में इमदाद मिलेगी। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि गन्ने की फसल ज्यादा बोई जाती है तो उससे जून-जुलाई तक फैक्ट्री चलानी पड़ती है और फिर दूसरे साल कम बोते हैं। तो यह कम या अधिक होना दोनों रूप से हानिकारक है किसानों के लिए। इस काम को ब्लाक वाले ठीक से कर सकते हैं। बी0 डी0 ओ0 कुछ काम नहीं करता है। वह इस काम का संचालन करे।

किसान की पैदावार उस समय अच्छी हो सकती है जब उसे रिटर्न भी अच्छा मिले। रिटर्न जभी अच्छा मिल सकता है जब उसे तय करने में किसान के नुमाइन्दे लिए जायं। फसल

किसान बोते हैं और उसकी कीमत दूसरे तय करते हैं। मेरी राय में यह बिलकुल मुनासिब नहीं है।

आलू की पैदावार के बारे में हमारे कृषि मंत्री जी ने बहुत सराहनीय कदम उठाये हैं उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। लेकिन जरा देर हो गई। किसानों के हाथ से आलू चला गया। तो इस किस्म की मिसाल हो गई कि का वर्षा जब कृषि सुखाने। देर होने से पहले हुआ होता तो अच्छा था। आलू की मारकेट दूसरे देशों में अच्छी है इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहिये कि वहां इसकी मारकेट की तलाश करें।

पंजाब के बारे में हमने सुना है कि उसने अपना आलू ईरान को सप्लाई किया था। इसी प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को भी करना चाहिये। बागान के बारे में मंत्री जी ने बताया है कि वह आम के रस का निर्यात कर रहे हैं, यह फैसला सरकार ने लिया है। लेकिन इस साल तो आम की फसल आई ही नहीं और न आने से कितनी हानि हुई है इन किसानों की जिनके बाग हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को यह सोचने की बात है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसी खोज सरकार को करनी चाहिये कि आम की दोनों फसलें भरपूर आवें। इसके अलावा अमरूद जो एक गरीब आदमी की फसल है और 20-25 साल का जिसका जीवन है और किसी भी किस्म की जमीन में वह पैदा हो सकता है, उसके बारे में निवेदन यह है कि सरकार उसको बाग के रूप में ही मनवाए। क्योंकि मंत्री जी किसान हैं, वह जानते हैं कि क्या खेत है, क्या बाग है। यह जो सुझाव मैंने मंत्री जी के सामने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें रखने के बाद मैं उनके इस बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों के सम्बन्ध में कुछ कहने का मुझे सुअवसर दिया। इस वर्ष जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में बजट प्रस्तुत किया, तो मैंने यह देखा कि 76-77 के बजट में वार्षिक योजना 540 करोड़ के परिव्यय की प्रस्तावित है। इस धनराशि में से कृषि सम्बन्धी विकास के लिए 67 करोड़ 90 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। मान्यवर, हमारे विकास की रणनीति जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषित की है, उसमें कृषि को प्राथमिक स्थान दिया गया है और हमारे प्रदेश को कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर करने के लिए कृषि विभाग ने जो नीति अपनाई है, उसके अनुसार प्रयास यह होगा कि जितनी हमारी क्षमता है कृषि उत्पादन की, उसको पूर्ण-रूप से उपयोग किया जाय। इसीलिए, जो हमारे छोटे-छोटे किसान हैं, उन्हें सहकारी समितियों का सदस्य बनाने की योजना है, हर किसान के पास अच्छा बीज पहुंचाने की बात है, हर खेत की मिट्टी का परीक्षण किये जाने की स्कीम है और यह भी बात कही गई है कि कृषकों के सभी खेतों के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जाएगी। इसलिए इस बजट में सिंचाई, बिजली और कृषि के लिए जो व्यवस्था की गई है, वह पूरे बजट का 82 प्रतिशत है। मान्यवर, हम देखें तो 75-76 में हमारे प्रदेश में खरीफ का उत्पादन 70.60 लाख टन हुआ। उसमें चावल 43.90 लाख टन हुआ। अब तक जो चावल का उत्पादन इस प्रदेश में हुआ है उसका सारा रिकार्ड इस उत्पादन ने तोड़ा है। इस प्रदेश में रबी की फसल में 135.60 लाख टन खाद्योत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। यह भी अनुमान है कि गेहूं हमारा 80 लाख टन के करीब हो जाएगा और इस चालू वर्ष में यानी वर्ष 76-77 में खाद्योत्पादन का लक्ष्य 210 लाख टन निर्धारित किया गया है, जिसमें 46.50 लाख टन चावल और 90.50 लाख टन गहूं के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। जो 64-46 लाख हैक्टेयर में बोया जायगा और इस पर 7 लाख टन उर्वरक का प्रयोग

[श्री देव बहादुर सिंह]

किया जायगा। इसमें जो योजनाएं कृषि विकास के लिए रखी गयी हैं, उसमें देखें तो यह भी व्यवस्था की गयी है कि जो पश्चिमी जिले हैं, प्रयास यह किया जा रहा है कि उनको पंजाब के पैटर्न पर सघन खेती द्वारा विकसित किया जाय जिससे कि पंजाब और हरियाणा में जो कृषि उत्पादन के ढंग हैं, जो तरीके हैं, वह वहां लगाये जायं, चालू किये जायं और इसके लिए इसी बजट में 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ सीमांत कृषक, लघु कृषक योजना लागू की गयी है। जो योजनाएं हैं प्रयास यह किया जा रहा है कि इसको पूरा किया जाय।

जो नई भूमि सीलिंग की आबंटित की जा रही है, राजाज्ञा यह है कि जिनको भूमि दी जाय, उन्हें बैल खरीदने के लिये, खाद खरीदने के लिये धनराशि भी दी जाय, जिससे वे अच्छी खेती कर सकें। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि जो कृषि सम्बन्धी विकास हमारे प्रदेश में हुआ है उसमें कई समस्यायें भी हैं। हम जानते हैं कि किसान का दुर्भाग्य से पिछले साल, जब हमने देखा खाद की कीमत जब बढ़ी, जिस रफ्तार से खाद की कीमत बढ़ी उस रफ्तार से किसी जिन्स की कीमत बढ़ती हुई नहीं देखा। खाद की कीमत एकदम से दुगुनी हो गयी। सरकार ने प्रयास किया। 5 रुपया, 7 रुपया कट्टे के हिसाब से खाद की कीमत की कमी हुई है। हम यह कहें कि खाद की कीमत कम हुई है ऐसी बात नहीं है। खाद की कीमत कम होनी चाहिये। मान्यवर, जो कृषक हैं उनकी खेती की मिट्टी का परीक्षण हो। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष 1979 है, तब तक आप मिट्टी परीक्षण केन्द्र प्रत्येक जिले में स्थापित करेंगे। आवश्यकता तो मान्यवर, यह थी कि जैसे सिंचाई के लिए यह व्यवस्था की थी कि 1 लाख हैक्टेयर सिंचाई की व्यवस्था इस साल की जायगी। उसी प्रकार से मिट्टी परीक्षण केन्द्र प्रत्येक जिले में इसी वर्ष खोल देते तो उसके परीक्षण के बाद जो भी सुझाव आते, तो उसी के अनुसार खाद डाली जाती। इससे खाद का उचित प्रयोग हो सकता था जो नहीं किया गया। मेरा सुझाव है माननीय मंत्री जी से, वह प्रयास करें, इस पर पुनः सोचें कि प्रत्येक ब्लाक में मिट्टी परीक्षण केन्द्र खोलें जिससे यह काम हो सके। मिट्टी परीक्षण कौन करे, अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि ब्लाक का काम क्या रह गया है। ब्लाक में ए0 डी0 ओ0 एग्रिकल्चर, ग्राम सेवक जो हैं उनका काम निर्धारित है। दुर्भाग्य की बात यह है कि उसका जो मुख्य काम है उस मुख्य काम के अतिरिक्त जो भी मिस्लेनियस वर्क जिले में जाते हैं, चाहें फैमिली प्लानिंग के हों, चाहें स्माल सेविंग्स के हों, वह सब उनके कंधे पर डाल दिये जाते हैं लेकिन उनका एचीवमेंट का श्रेय दूसरे को मिलता है। मेरा सुझाव यह है कि जो ग्राम सेवक हैं उन्हें मिट्टी परीक्षण का काम आज युद्ध स्तर पर करना होगा। माननीय मंत्री जी को चाहिये कि उनका लक्ष्य निर्धारित करें। मिट्टी का सेम्पुल लिया जाय और उसकी देख-रेख ए0 डी0 ओ0 और बी0 डी0 ओ0 करें। मान्यवर, माननीय ऊदल जी ने कहा वह ठीक ही कहा। हम बात करते हैं 2 फसली और 3 फसली खेती की तो मान्यवर, यह चीज बैल और हल से होना संभव नहीं है। इसलिए जो आपके कृषि यन्त्र हैं इनकी कीमत कम होनी चाहिये। इस समय उनकी जो कीमत है वह बहुत अधिक है जिससे छोटे किसान उसको खरीद नहीं पाते हैं। आप देखें कि आज ट्रैक्टर की कीमतें 5 गुनी और 6 गुनी तक बढ़ गयी हैं। आप देखें कि फिएट कार की कीमत में कमी की गयी है लेकिन जो देश के उत्पादन के लिये आवश्यक है और देश को आगे ले जाने में सहायक हैं उसकी कीमत कम नहीं की गयी है, ट्रैक्टर की कीमत कम नहीं की गयी है।

मान्यवर, गेहूं की जो प्राइस थी वह 105 रु0 थी वह आज इस वर्ष भी रखी गयी है। मान्यवर, स्थिति यह हो गयी है कि किसान गेहूं लकर अपनी बैलगाड़ी से खरीद सेन्टर पर जाता है लेकिन उसको वहां पर 4–5 दिन तक पड़ा रहना पड़ता है और उसका भुगतान भी उसे

तुरन्त नहीं मिल पाता है । इसके लिए 10-15 दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस ओर आप ध्यान दें और गेहूं का जो दाम है उसको तुरन्त दिलवाने की कृपा की जाय । आलू के बारे में अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि सफेद आलू बोया जाये तो उसकी मांग फारेन में है । अगर आलू का उत्पादन अधिक हो जाये तो उसका एक्सपोर्ट फारेन में किया जा सकता है । मान्यवर, खेती भगवान के सहारे पर होती है । होता यह है कि ओला पड़ जाता है और किसान हाथ पर हाथ रख कर रह जाता है । उसकी फसल नष्ट हो जाती है । तो मेरा सुझाव है कि फसल का इन्श्योरेन्स होना चाहिये जिससे किसान को इस तरह की जो आपदायें आती हैं वह उनके द्वारा होने वाली क्षति से बच सकें । फलों की फसल है ओले पड़ गये तो सारी की सारी नष्ट हो गयी और अब उसको अगले साल के लिए देखना है । तो वह अनिश्चित रहता है । चाहे फलों की खेती हो और चाहे खाद्यान्न की खेती हो । इन्श्योरेन्स किया जाना चाहिये । मान्यवर, मसाला के लिए भी एक इन्सपेक्टर की नियुक्ति की गयी है । मान्यवर, किसी को यह नहीं मालूम है कि वह क्या काम करता है और उन पर कितना व्यय किया जाता है उस हिसाब से उनका क्या कार्य है । भ्रष्टाचार की बात जब से हम एसेम्बली में आये और उसके पहले से भी सुनते आये हैं । कृषि विभाग में एक से एक ईमानदार आदमी हैं लेकिन भ्रष्ट भी कम नहीं हैं । जितने हमारे बीज भंडार हैं, उनके जो इन्चार्ज हैं, उनमें बहुत से लोग भ्रष्ट हैं । हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनको सस्पेन्ड किया जा रहा है, नौकरी से निकाला जा रहा है लेकिन मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि उनके ऊपर डी० आई० आर० और मीसा में कार्यवाही करके उनको बन्द क्यों नहीं किया जाता है ? जब तक ऐसा नहीं किया जायगा, इस विभाग से भ्रष्टाचार जाने वाला नहीं है ।

मंडी समितियों के बारे में मैं जब पिछला सत्र चला था तो यहां पर संशोधन विधेयक पारित हुआ था । उसमें यह प्राविधान किया गया था कि जिलाधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह मंडी समिति में एक परामर्शदात्री समिति बना लें लेकिन आज तक कहीं भी परामर्शदात्री समिति नहीं बनाई गई है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब आज तक कोई परामर्शदात्री समिति नहीं बनी है तो उस प्रकार का विधेयक पास करने की क्या आवश्यकता थी । मेरी प्रार्थना है कि या तो उनका चुनाव करा दें अन्यथा परामर्शदात्री समिति बना दें क्योंकि किसी का नियंत्रण न होने के कारण बड़ी भारी लूट हो रही है जिससे रक्षा करना आवश्यक है । मंत्री जी ने बताया कि मंडी समितियों में 5 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया है लेकिन उसकी उपयोगिता क्या है ? किसान अपना गल्ला मंडियों में ले जाता है, उससे शुल्क लिया जाता है, उसके पैसे से एक डायरेक्टोरेट चल रहा है लेकिन किसान अपने पैसे से कोई लाभ नहीं उठा पा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आपके विचार में पैसा इकट्ठा करने के अलावा मंडी समितियों की मंशा कोई और भी है ?

श्री देव बहादुर सिंह--

किसान जो पैसा देता है, वह चाहता है कि उसका उपयोग निश्चित रूप से उसके लिये किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

उसके लिए अभी सोचा ही नहीं जा सका है, सोचेंगे ।

श्री देव बहादुर सिंह—

मैं चाहूंगा कि मंत्री जी यही उत्तर दे दें। मेरा निवेदन है कि 5 करोड़ रुपये का प्रयोग किसानों के लिए नहीं किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि वे 100–200 किलोमीटर सड़क बनाने जा रहे हैं। जहां-जहां पर हमारी मंडी समितियां हैं, वहां पर न तो किसानों के ठहरने का कोई प्रबन्ध है और न उनके पीने के लिए पानी का प्रबन्ध है। जब तक आप इस प्रकार का कोई प्रबन्ध नहीं करेंगे, तब तक इन मंडी समितियों का किसानों के लिए कोई उपयोग नहीं होगा।

अब एग्रो के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूं। भीमताल में एक पैकिंग केसेज का कारखाना है। उसे जिस रूप में आपने देखा होगा, उसी हालत में पड़ा हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि एग्रो वही योजना अपने हाथ में ले जिनको वह समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरा कर सके। एग्रो के जो सर्विस स्टेशन्स है उनमें टायर्स और स्पेयर्स पार्टस की आवश्यकता पड़ती है। खाद वितरण का भी ये काम करते हैं। लेकिन उन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है।

बीज के बारे में चन्द्र साहब ने कहा कि पंत नगर से जो बीज आया वह अच्छा नहीं मिला। हम सब चाहते हैं कि हमें अच्छा बीज मिले लेकिन मान्यवर, पंतनगर से जो बीज आता है वह अब तक तो बड़ा अच्छा रहा है और जहां-जहां वह गया है बड़ा अच्छा उत्पादन भी हुआ है। केवल एक बात है कि बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यक्तिगत रूप से बीज पैदा करते हैं और पंतनगर आदि के नाम पर बेचते हैं और बीच में फायदा उठाते हैं। जिससे किसानों को नुकसान होता है। जब तक उनको दंडित नहीं किया जायगा तब तक यह जो खिलवाड़ हो रहा है किसान के साथ यह होता रहेगा। इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मान्यवर, आज की कार्यसूची में इस विभागीय बजट के अलावा 3 बिल हैं और एक संकल्प भी है, उद्योग मंत्री का एक वक्तव्य भी है। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सुझाव है कि 4 बजे तक हम इस ग्रांट पर बहस कर लें, उसके बाद जो दूसरे बिल हैं उनको ले लिया जाय।

*श्री देवकुमार यादव (जिला बांदा)—

मान्यवर, कृषि एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो न केवल हमारे प्रदेश के लिये बल्कि सारे मुल्क के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है। बहुत हैरत की बात है कि हमारे देश में जहां 85–86 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं और खेती करते हैं, खेती के माध्यम से हमारे देश की आमदनी और इस प्रदेश की आमदनी दूसरे प्रदेशों से ज्यादा है, लेकिन अफसोस की बात है कि प्रदेश या देश की कोई मुकम्मिल तौर से कृषि नीति नहीं बनी है। जिस तरीके से हम लोग खेती करते आते हैं पुराने प्राचीन तरीकों से उसी तरीके से अगर करते रहे तो यह पता नहीं कि हमको कितने समय तक और इस मुल्क को दूसरे देशों पर निर्भर रखना पड़ेगा और इस देश की जनता को दूसरे देशों का मोहताज रहना पड़ेगा।

जैसा कि ऊदल जी ने शिकायत की थी कि आज हमारे देश का भविष्य और आजादी भी बहुत कुछ विदेशी गल्ले की राजनीति पर निर्भर करती है। सदन के सभी माननीय सदस्य जानते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं कि अमेरिकन साम्राज्यवादी गेहूं की राजनीति के बल पर न केवल दुनियां के अन्य देशों को बल्कि इस देश की राजनीति को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि इस देश के अन्दर कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन हम करें और कृषि को इतना सबल बनाकर रखें जिससे दूसरे देशों के खाद्यान्नों पर निर्भर न रहना पड़े। मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर कृषि को इस तरीके से आयोजित करें जिससे किसानों को पानी, बिजली और अच्छी खाद और बीज मिल सके। यदि हम ये चीजें मुहइया कर सकें, उनको प्रोत्साहन दे सकें और शिक्षित नौजवान जो निकलते हैं उनको खेती के माध्यम से सम्मान दे सकें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यह हमारा खेतिहर प्रदेश दूसरे प्रदेशों से अधिक योगदान खेती में दे सकेगा। लेकिन जो शिक्षित नौजवान हैं उनको कृषि के क्षेत्र में प्रोत्साहन नहीं दिया गया और हम परम्परागत तरीकों--हल बैल से खेती करते चले आते हैं, जिससे कृषि के क्षेत्र में, उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अभी हमारे मित्रों ने, माननीय सदस्यों ने यह कहा कि ब्लाक स्तर में प्रगति होनी चाहिए। हमारे नेहरू जी की कल्पना थी कि ब्लाकों के जरिये कृषि क्रांति में मदद मिलेगी और ब्लाक के कर्मचारी किसानों की मदद करेंगे। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहां के बी0 डी0 ओ0, ए0 डी0 ओ0, और ग्रामसेवक भी गांवों में नौकरशाही तरीकों को ले कर जाते हैं जो उनसे अपेक्षित नहीं था। जब खरीफ या रबी का अभियान सरकार द्वारा चलाया जाता है तो हम को प्रत्यक्ष अनुभव है कि केवल ब्लाक स्तरों पर बी0 डी0 ओ0, बी0 डी0 सी0 की बैठक बुलाते हैं और वहां कागज पढ़ देने के अलावा गांवों में जाकर किसान को बताने की तकलीफ गवारा नहीं करते। इस विभाग को पुर्नगठित करके प्रभावशाली तरीके से जितने साधन और कर्मचारी आपके पास हैं उनके माध्यम से इस क्रांति को किसानों तक पहुंचाया जाय और आधुनिक तरीकों से खेती करने के तरीके समझा कर इस समस्या को हल किया जाय।

हमारे एक मित्र कृषि शोध केन्द्रों के बारे में कह रहे थे। मेरा एक सुझाव है कि हर ब्लाक स्तर पर यदि कृषि प्रशिक्षण समितियां बना दी जायं, प्रशिक्षण केन्द्र खोल दिये जायं, मिट्टी के, बीज के, खाद के शोध केन्द्र हों तो किसान को बहुत लाभ पहुंच सकता है।

अब मैं माननीय मंत्री जी से एक मौलिक बात कहना चाहता हूं। जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया कि अभी तक हमारी कोई कृषि नीति मुकम्मिल नहीं हो सकी है और जिस तरह से सीलिंग का कानून लागू करके भूमि का वितरण किया जा रहा है, चाहे जितनी फैमिली प्लानिंग हम करें लेकिन आदमी का उत्पादन बन्द नहीं हो सकता और एक, दो पीढ़ी के बाद एक समय वह आयगा कि हमारी सारी होल्डिंग्स अनएकोनामिक हो जायगी। इसलिए अभी से हमको सहकारी खेती को प्रोत्साहित करने की कोशिश करनी चाहिये। वैसे जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में सहकारी खेती के सम्बन्ध में उपबन्ध है लेकिन प्रदेश में और खासकर के बुन्देलखंड में इस प्रक्रिया को चालू नहीं किया गया है। यदि वाकई में आप खेती में क्रान्तिकारी परिवर्तन करना चाहते हैं तो सहकारी खेती को प्रोत्साहन देना पड़ेगा।

भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे बुन्देलखण्ड में इलाहाबाद और मिर्जापुर की तरह भूमि संरक्षण का काम चल रहा है लेकिन वह बिल्कुल अव्यावहारिक और अवैज्ञानिक सा मालूम होता है। बहुत सी जगहों में कटाव में स्थित नदी के टीलों पर भूमि संरक्षण का काम किया गया है और किसानों की मर्जी के खिलाफ काम किया जाता है और बन्धियां डाल दी जाती हैं, किसान को पता भी नहीं होता। जब उसके पास बिल जाता है तब उसको पता चलता है। वैसे उनकी भलाई का काम हो और उनको न मालूम हो तो क्षम्य है लेकिन जिस काम से किसान को लाभ न हो वह बगैर उसकी जानकारी के किया जाय यह ठीक नहीं है। हमारे यहां केन नदी का कटाव है। बिना भूमि

[श्री देव कुमार यादव]

को समतल किये हुए बंधियां बना दी जाती हैं। वह मिट्टी को ले कर पूरा खेत साफ हो जाता है और फिर से कटाव पैदा हो जाता है। तो आपका श्रम बेकार जाता है और किसान को असन्तोष होता है। इसलिए इस अव्यावहारिक और अवैज्ञानिक तरीके से भूमि के कटाव को रोकने की प्रक्रिया को बन्द कर दीजिये। जहां ऐसा कटाव है अगर उसको पहले बुलडोजर से समतल करा दें फिर संरक्षण का काम करें तो किसानों को काफी फायदा हो सकता है।

इसके बाद मान्यवर, मैं खाद और बीज गोदामों में जो भ्रष्टाचार है, उस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे यहां बहुत से लोग जो खाद और बीज के इन्चार्ज हैं, बहुत अच्छी रकमें पैदा करते हैं। हमारे यहां बांदा में एक ए० डी० ओ० साहब हैं, पता नहीं उन पर किस अधिकारी की कृपा है, हमने कई बार उनके खिलाफ दरख्वास्तें दीं, इस सदन में प्रश्न भी पूछे और विभागीय अधिकारियों ने जांच भी की लेकिन अभी भी वे जहां के तहां मौजूद हैं। वे खाद वितरण की एजेंसियां ढाई हजार और पांच-पांच हजार रुपये लेकर देते हैं और जिससे पैसा नहीं मिलता उनके लिये कोई न कोई बहाना लेकर उनको खाद की एजेंसीज नहीं देते हैं जिससे खाद पाने वालों को वहां बड़ी असुविधा पैदा हो गयी है। जैसा कि श्री देवबहादुर सिंह ने कहा--बड़े हैरत की बात है कि जितने भी उद्योग धंधे वाले लोग हैं, औद्योगिक मालिक हैं, अपने मिल द्वारा पैदा किये हुए मालों की कीमत तो स्वयं तय करते हैं, जैसे चीनी मिल का मालिक चीनी का दाम स्वयं तय करता है लेकिन जितनी भी चीजें किसान पैदा करता है, उनकी कीमत तय करने में उन किसानों की राय नहीं ली जाती कि गेहूं का दाम क्या होगा, आलू का दाम क्या होगा? इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि प्रदेशीय स्तर पर उनको एक ऐसी समिति बनानी चाहिये, जिसमें किसानों के भी नुमाइन्दे हो और उनकी राय से ही किसानों द्वारा उत्पादित चीजों के दाम तय होने चाहिये। तभी किसानों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा और कृषि में क्रान्ति आयेगी तथा हरित क्रान्ति का सपना पूरा हो सकेगा।

श्री राम लखन (जिला बस्ती)--

उपाध्यक्ष जी, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि अनुदान पर बोलने का समय दिया। कृषि मंत्री जी ने जो कृषि का अनुदान पेश किया है, उसका जोरदार समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। पहले तो मुझे बड़ी नाउम्मेदी थी और कल मुझे बड़ा दुख हुआ जब यहां सदन में हमारे कुछ भाइयों ने पूरब और पश्चिम का मसला उठाया लेकिन आज माननीय मंत्री जी के भाषण से मुझे पूरा विश्वास है। हो सकता है कि हमारी यह कमजोरी दूर हो सके। मान्यवर, पहले मैं अपने जिले के सम्बन्ध में कुछ कह लूं वरना आप थोड़ी देर बाद लाल बत्ती जला देंगे। मान्यवर, मेरे जिले बस्ती में सिवा एक फल अनुसंधान केन्द्र के, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे कोई और विभाग हो, सरकार ने कोई भी काम किसानों के हित का नहीं किया है जिससे हमारे जिले के किसान खुशहाली की तरफ अग्रसर हो सकें। चाहे बाढ़ से परेशानी हो, चाहे सूखे से परेशानी हो, चाहे ओले से परेशानी हो, चाहे पाले से परेशानी हो, हर प्रकार की मुसीबतों से परेशानी हमारे यहां की जनता की है, लेकिन अभी तक किसी से भी उसकी रक्षा नहीं हो पायी है। आशा है कि बाढ़ से हम बच जायं और सरकार इस पर नियंत्रण कर लें। जैसा कि मैंने अभी सुना है कि पटना में 500 इंजीनियर्स बाढ़ से बचाव कार्य में लगे हुए हैं और उस पर 20 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि हमारे बस्ती जिले में ही बाढ़ नियंत्रण कार्य के लिये 25-30 करोड़ रुपये लगेंगे क्योंकि हम हर तरह के छोटे बड़े नदी नालों से घिरे हुए हैं। मेरे जिले में घाघरा, सरयू तथा राप्ती की बाढ़ से किसानों की तमाम फसलें बर्बाद हो जाती हैं। मान्यवर, जब बाढ़ आती है तो थोड़ा बहुत नमक, दियासलाई आदि बांट दिये जाते हैं और जब बहुत कहा जाता है तो लगान स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन उससे क्या फायदा होता है? दूसरे साल तो फिर उसे स्थगित लगान देना ही पड़ेगा। हम तो चाहते हैं कि लगान दोगुना कर दिया जाय लेकिन जो तमाम प्रकोप है, बाढ़ से कटाव और सूखे आदि के, उनसे बचाने की कृपा करें। हर साल हमारे

यहां कटान होता है और सौ, पचास एकड़ जमीन अवश्य कट जाती है। यहां तक कि छोटे-बड़े सब किसान ग्रसित होते हैं। जमीन बोयी हुई है, खेती उपजी है, कटाव आया और सब कुछ साफ हो गया। खेती तो चली ही गयी साथ ही साथ जमीन भी कट गयी। लगान जिसके नाम है उसके नाम लगान आता है तो और भी किसान परेशान होता है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरफ ध्यान देने की कृपा करें। मान्यवर, मुझे वहां की जनता ने चौथी बार विधायक चुन कर भेजा है। लेकिन आज तक वहां कोई काम नहीं हुआ है। आपको मेरे यहां की जनता को आशीर्वाद देना चाहिये कि हर बार वह कांग्रेस को जिताती है। लेकिन वहां कोई काम नहीं किया जाता है, लोगों को विद्रोह कर देना चाहिये कि कोई काम वहां अब तक नहीं हुआ है।

मान्यवर, देख लीजिये सबसे बड़ा जिला बस्ती है जहां से आज 10 विधायक कांग्रेस के चुनकर आये हैं। इतने और कहीं से नहीं आये हैं। लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। मान्यवर, ज्यादा नहीं कहूंगा, गड़बड़ी हो जायगी, लाल बत्ती दिखा देंगे।

मान्यवर, फल अनुसंधान केन्द्र बस्ती में खोला गया है, माननीय हुकुम सिंह और माननीय कमला पति त्रिपाठी जी के प्रयास से। मैं उन महानुभावों को धन्यवाद देता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले में काफी अमरूद पैदा होता है, कटहल पैदा होता है। वहां पर मान्यवर, कोई कल कारखाने नहीं हैं। जिससे कि छोटे-छोटे उद्योग तरक्की करें। मान्यवर, मैं राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा कि बस्ती जिले के ग्रामों में विद्युतीकरण कर देंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई, देर आयद, दुरुस्त आयद। मैं इसके लिए बधाई देता हूं। हमारे यहां विद्युतीकरण होना चाहिये। किसानों को सुविधा देनी चाहिये। बीज भंडारों में खराब बीज आते हैं अगर मेरे यहां के किसानों को सुविधा दी जाय तो वह बढ़िया से बढ़िया बीज पैदा कर सकते हैं।

मान्यवर, लेवी के सम्बन्ध में, जो वहां छोटे कर्मचारी हैं वह किसान को परेशान करते हैं। किसान का गेहूं नहीं लिया जाता है। किसान दंवाई करता है, पुरवा चलती है किसान के गेहूं में से जो हल्का होता वह उड़कर दूसरे खलिहान में गिरता है, गेहूं में मिल जाता है। तो जब गेहूं केन्द्र पर ले जाते हैं तो लेवी वाले कहते हैं कि गेहूं नहीं लेंगे। इसमें जौ है। एक रुपया दो रुपया कम ले लिया जाय पर गेहूं ले लिया जाय। अबकी बार गेहूं की बड़ी अच्छी पैदावार थी, काटने के 10-15 दिन पहले तेज पछुवा हवा चलने के कारण गेहूं का दाना पतला हो गया। लेवी वाले कहते है कि गेहूं पतला है, नहीं लेंगे। 80-85 रुपये के हिसाब से वहीं गेहूं व्यापारी लोग ले लेते है, दूसरे दूकानदार लोग ले लेते है, लेकिन हमारे कर्मचारियों द्वारा न लेने के कारण किसान का नुकसान होता है। अब बताइये कि हवा का मुकाबला किसान कैसे कर सकता है? तो खेती की उन्नति के लिये और किसान को बचाने के लिये खेतों का इन्श्योरेन्स होना चाहिये। किसान का अनाज सस्ता है और सब चीजों की कीमत बढ़ गयी है। 53 रुपये खाद के दाम 105 तक पहुंच गये, पर कुछ कम हुये है। पहले ट्रक्टर 12 हजार का होता था अब 48हजार का हो गया है। किसान कैसे जिन्दा रहेगा। कृषि में उपयोग आने वाले इम्पलीमेंट्स जो पहले 25 के थे अब 85 रुपये के हो गये है। छोटा ट्यूबेल जो ढ़ाई तीन हजार में लग जाता था अब 8 हजार में लगता है। किसान को कोई राहत नहीं है।

श्रीमन, कुछ दिनों पहले मैं इसी सदन का मेंबर था.तो हमारे यहां कुछ सिंचाई के साधन हुये थे। सरकार ने आश्वासन दिया था कि जो किसान छोटा टयुबेल लगायेगा उसे आधे की छूट दी जायगी। उसी वक्त कुछ किसानों ने हिम्मत करके सिंचाई के साधन किये थे वही आज चले आ रहे है। किसानों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है।

[श्री राम लखन]

हमें परेशानी होती जा रही है, गन्ना सस्ता होता जा रहा है और अन्य सामान महंगे मिल रहे हैं। मान्यवर, यदि गन्ने की सिंचाई हमारे यहां हो जाय तो जितना पैदा होता है उसका चौगुना गन्ना हो सकता है। इसलिये मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि बस्ती जिले के किसानों को विशेष सुविधा दें क्योंकि हम बहुत पिछड़े हैं।

श्रीमन्, हमने मंत्री जी से कल निवेदन किया था कि वहां खेतिहर लोग हैं और दूसरे उद्योग धन्धे नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि 10-15 कोस पर एग्रो का सेंन्टर कर दे जिससे जिनके पास ट्रैक्टर हैं यदि वह बिगड़ जायं तो अधिक दूर न जाना पड़े। नहीं तो जितना आने जाने मे खर्च होता है। उतने में तो ट्रैक्टर बन सकता है। इसके अलावा जितने सर्विस सेन्टर हैं उनमें पुराने ट्रैक्टरों का सामान मुहै या नहीं होता है इसलिये दिल्ली जाना पड़ता है। इसलिये सर्विस सेन्टर पर सभी सामान और उचित दामों पर मिलने की व्यवस्था करा दें।

श्रीमन्, बस्ती जिले में छोटे किसान बहुत भूमिहीन हैं। इसलिये मंत्री जी से निवेदन है कि उनकी तरक्की के लिये हर प्रकार की सुविधा दे कर उनसे जानवर पालने का काम लिया जाय। हमारे यहां दूध घी की कमी है। यदि उनको पैसा मिलेगा तो वह भैंस और गाय पाल कर दूध का काम करेंगे और साथ ही दूसरे काम भी करेंगे।

मान्यवर, एक और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां केन क्रेशर के लिये आप लाइसेंस दें। मै कई बार कह चुका हूं कि हम लोग गन्ना बोकर मिल के सहारे रहते है। और वह मनचाहे दाम देते हैं। इसलिये आपके सहयोग से या सोसाइटी बनाकर यदि केनक्रशर लगा दें तो मिल के सहारे नहीं रहेंगे और दूसरी हमारी परेशानियां दूर हो जायेंगी। इतना कहकर मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और बजट का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि युद्ध स्तर पर हमारे पूर्वी क्षेत्र में अधिक ध्यान दें।

*श्री काशी नाथ मिश्र--

उपाध्यक्ष महोदय, सचमुच मै जैसा ऊदल जी ने कहा कि आज अन्न की पैदावार से हमारे प्रदेश और देश की सीधा संबंध है और यहां तक कि गेहूं का बाजार अन्तराष्ट्रीय बाजार हो गया है कि कहां गेहूं मिलेगा, कहां गेहूं पैदा कर सकते है। इसका आज दुनिया की राजनीति में असर हैं। इसमें दो राय नहीं है।

पैदावार उत्तर प्रदेश में किस तरह से बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी, इसकी जिम्मेंदारी कृषि विभाग पर है। अभी मंत्री जी ने कहा कि हमारी फसल बढ़ती जा रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग को इस बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर फसल बढ़ती है तो उनकी तारीफ की जाय और अगर फसल मे गिरावट आती है तो उनकी शिकायत की जाय। यह नहीं कि अगर उत्पादन में कमी आ जाय तो कह दिया जाय कि बादल नहीं आये, सूखा पड़ गया। यह एग्रीकल्चर विभाग टेक्निकल विभाग है तो यह प्राकृतिक आपदाओं पर काबू पाये तभी इस विभाग के टेक्निकल होने का कोई मतलब है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्पादन का लीनियर प्रोग्रेशन होना चाहिये अर्थात् हमारा उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। यह शिकायत न हों कि मौसम खराब होने से उत्पादन कम हो गया। जैसा कि माननीय ऊदल ने कहा कि इस विभाग का पुनर्गठन होना चाहिये। आज इस विभाग का जो तौर तरीका है उससे ऐसा लगता है कि विभाग के अधिकांश लोगों में असन्तोष बढ़ता जा रहा है। मुझे अभी हाल में सूचना मिली है। मंत्री जी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने भी कहा कि वर्मा, शर्मा नाम से लोग गलत बीज सप्लाई करते है। तो इन चीजों पर नियत्रंण होना चाहिये नेशनल सीड कारपोरेशन और तराई बीज निगम जैसी संस्थाएं बीज सप्लाई करती हैं। कुछ और संस्थाएं भी हैं तो उनको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिये जो अच्छे बीज दे सकती है।

मेरठ में दौराला फार्म 600 एकड़ का था। 200 एकड़ फलों के उपयोग के लिये रखा गया और 400 एकड़ पंतनगर को दे दिया। सहारनपुर का रिसर्च स्टेशन कृषि विभाग से लेकर पहले कानपुर को दे दिया, फिर उसके बाद पंतनगर को। अब पंतनगर से लेकर हार्टिकल्चर को दे रहे हैं। इसी तरह से बस्ती का जो रिसर्च स्टेशन था उसको कानपुर को दे दिया गया और अब हार्टिकल्चर को दे रहे हैं। इसी तरह से मधुपालन का विभाग आप एग्रो को दे रहे हैं। मारकेटिंग का काम था उसको भी निकाल कर मंडी समिति को दे रहे हैं। अगर यह सब निकल जायगा तो कृषि विभाग में रह क्या जायगा? अगर अलग-अलग निदेशक नियुक्त कर देंगे तो यहां रह क्या जायगा? आज जनसाधारण मे चर्चा क्या है? आज हमारे प्रशासन के प्रति जनसाधारण में बहुत से लोग शिकायतें करते है जातीयता और बिरादरीवाद की। लोग कहते है कि तिवतिया साहब को बहुगुणाजी के जमाने में हार्टिकल्चर का अलग निदेशक बनाया गया। मेरी राय पहले भी थी कि उप निदेशक की हैसियत से कृषि विभाग में रहे। जितने भी ये कार्य अलग-अलग करने जा रहे हैं तो इन सबको कृषि निदेशक के अन्डर ही रहना चाहिये। हां, शोध के लिये अलग डायरेक्टर रखे। शोध का काम अलग है। लेकिन मंडी का काम, प्लान्ट प्रोटेक्शन का काम, हार्टिकल्चर का काम, यह सब काम एग्रीकल्चर डायरक्टोरेट में होने चाहिए। तिवेतिया साहब को ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिले और लोगों में यह चर्चा हो कि मंत्रीजी की बिरादरी के हैं, । इसलिये ज्यादा बल दिया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप प्रशासन में सुधार करें मैंने पिछली बार भी यह कहा था। मंत्री मंडल को यह कानून बनाना चाहिये कि जिसजाति या बिरादरी का मंत्री हो तो उसी जाति या बिरादरी का निदेशक न हो या सबसे बड़ा आफिसर न हो क्योंकि जनता में इसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। हम इसका निराकरण करके ही जनता में आस्था पैदा कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो काशीनाथ जी के व्यक्तिगत विचार हैं।

श्री काशी नाथ मिश्र---

लोक आस्था और ऊंची परम्परा को कायम रखने के लिये जन साधारण में इस प्रकार की भावना का पैदा होना ही घातक है। यह आवश्यक है और इस पर हमको गम्भीरता के साथ सोचना चाहिये। मैं तो यह कहूंगा कि जिस जाति के मंत्री जी हैं उसी जाति के डाइरेक्टर को न रखें, जन साधारण की आस्था के लिये यह जरूरी है। मान्यवर, मैं अपने को सरकार का एक अंग के रूप में मानता हूं। जब मैं जन साधारण मे किसी मंत्री के खिलाफ कोई शिकायत सुनता हूं तो मेरी गर्दन शर्म से नीचे झुक जाती है। वर्मा जी ने कहा कि बहुत से लोग विभाग से निकाले गये। लोग यह शिकायत करते हैं कि कितने लोग निकाले गये जो जाट थे? कितने लोग ऐसे हैं जो नान जाट थे? 6 लोगों की छटनी हुई जिनमें से दो ऐसे अधिकारी थे जिनके खिलाफ विजीलेंस की जांच के बाद शिकायत सही पाई गई। दो आदमियों के खिलाफ गवर्नर के शासन काल में भी शिकायत हुई थी और वे भी उनको नहीं रख सकें परन्तु अब फिर वे आदमी बहाल कर लिये गये हैं और दो और आदमी हैं जो बहाल होने के प्रासेस में हैं। इस प्रकार के कार्य जिनके खिलाफ विजीलेंस की रिपोर्ट है उनको आप फिर से रखने जा रहे हैं। इससे

[श्री काशीनाथ मिश्र]

कौन सी तस्वीर हम जनसाधारण के सामन पेश कर सकेंगे ? मान्यवर, इन चन्द बातों को मैंने इसलिये कहा कि माननीय ऊदल ने कहा कि विभाग का पुनर्गठन होना बहुत जरूरी है। इसी आधार पर एक कृषि निदेशक के अन्तर्गत इन सारी चीजों को रखा जाना चाहिये। मंडी समिति का डाइरेक्टर अलग है। मंडी समिति में कोई भी टेकनिकल आदमी नहीं है। एग्रो की सर्विस में आई० ए० एस० आफिसर है जिसका किसानों से सीधा सम्बन्ध है। टेकनिकल न होने के कारण वह ठीक से उस कार्य को संचालित नहीं कर सकता है। जिन स्थानों पर टेकनिकल लोगों को रखा जाना चाहिये वहां पर आप नान टेकनिकल लोगों को रखते हैं। कमान्ड एरिया परियोजना में आप देखेंगे कि वहां का प्रशासक टेकनिकल होना चाहिये। जहां पर टेकनिकल आदमी रखे गये हैं वहां का काम अच्छा हुआ है। हार्टीकल्चर निदेशक के पास आलू का काम भी है। आलू, आम और केला ऐसे फल है जिनकी गिनती वैज्ञानिकों ने फूड में की है। आलू को हार्टीकल्चर से अलग कर दीजिये और कृषि को छोड़ कर हार्टीकल्चर के अन्तर्गत ये नहीं आ सकते हैं।

हार्टीकल्चर के जो निदेशक हैं उनके जिम्मे यह काम देखा जाय कि केले का उत्पादन कितना बढ़ा है, आम का उत्पादन कितना बढ़ा है। मुगल काल होता तो आम के उत्पादन के लिए अलग से विभाग होता। आम और केले की पैदावार बढ़े अथवा पहाड़ों पर सेब व सन्तरे जैसे फलों की पैदावार बढ़े तब तो हार्टीकल्चर की बात समझ में आती है वर्ना हार्टीकल्चर विभाग केवल वेतन लेने के लिये हो, यह बात उचित नहीं है। माननीय ऊदल ने ठीक ही कहा कि एग्रीकल्चर के महकमें का ठीक संचालन होना चाहिये जिससे लोगों का भरोसा और विश्वास उस पर जम सके। इसके जो कृषि निदेशक हैं मैं उनको जानता हूं, उनसे ज्यादा काम्पीटेंट आदमी कृषि विभाग में और कोई नहीं है। उनको इस विभाग का पूरा समर्थन तथा सहयोग प्राप्त है। मैं किसी जातिवाद में विश्वास नहीं करता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मिश्रा जी, आपके भाषण में व्यवधान हो रहा है। आप अपने तक सीमित रहे।

श्री काशीनाथ मिश्र--

ऊदल जी ने कहा कई एडीशनल डायरेक्टर्स के पद खाली हैं और एक आदमी काम कर रहा है तो इससे क्या काम विभाग का ठीक चल सकेगा 2 21 लाख रुपये की चोरी हो गयी मैं ऊदल जी की इस बात से सहमत हूं कि पिछले जो भी डायरेक्टर अथवा डिप्टी डायरेक्टर थे उन पर रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की जाय और 21 लाख रुपये के फर्टिलाइजर की जो चोरी हुई है। वह रुपया उनसे वसूल किया जाय। विभाग कुछ लोगों को खाने पीने के साधन मुहय्या करने के लिये नहीं है। बनारस में बीज भंडार में एक मामूली कर्मचारी है जिसको 200 रुपये वेतन मिलता है और वह सस्पेंड है उसके पास दो-दो कार हैं।

आज पिजन होल में 20 सूत्री कार्यक्रम के साथ माननीय मंत्री जी की तस्वीर छपी हुई मिली। इससे बढ़कर सत्ता का दुरुपयोग दूसरा नहीं हो सकता। आपने विभाग द्वारा अपनी तस्वीर को छपवाना शासन की ओर से 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत यदि किसी की तस्वीर छापी जा सकती है तो वह तस्वीर केवल इन्दिरा गांधी की हो सकती है। काशीनाथ मिश्र अगर सत्ता पर होंगे तो सत्ता का उपयोग अपनी तस्वीर छपाने में कभी नहीं करेंगे। मेरी तस्वीर दूसरा विभाग छपवाये और मैं दूसरे विभाग के मंत्री की तस्वीर छपवाऊं यह बात तो समझ में आ सकती है लेकिन अपने विभाग द्वारा ही अपनी तस्वीर छपवाई जाय यह बात समझ में नहीं आती, यह लोकशाही के विपरीत है। अभी हाल में चीफ सेक्रेटरीज की बैठक में प्रधान मंत्री

ने भाषण दिया और एक सरकुलर भी जारी किया है कि शासन के खर्चे में कटौती की जरूरत है और 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत यह एक खास अंग है कि शासन के खर्चे में कटौती हो। लेकिन अगर इस तरह के फिजूल खर्चे होंगे तो क्या होगा? 20 सूत्री कार्यक्रम नीचे लिखा हुआ है और तस्वीर माननीय मंत्री जी की छपी हुई है, न कि प्रधान मंत्री की तो क्या यह सत्ता का दुरुपयोग नहीं है और क्या यह अपव्यय नहीं है ? (व्यवधान) गूल निर्माण की व्यवस्था आप पूर्वी जिलों में देखें कि वहां गूल निर्माण कैसे हो रहा है ? मंडी समिति की बात हुई। 40 स्थान बनाये गये। चार जगहों का नाम लिया गया। बाकी कहां-कहां पर होंगी इसका जिक्र नहीं किया गया। मंडी समिति क जो सचिव हैं और अफसर हैं, वे कहां रहते हैं वे केवल कागजों पर और मंत्री जी के भाषण तक ही रहते हैं। मुकाम पर कोई पता नहीं है। यदि रहते भी हैं तो वे खाने कमाने के धंधे में लगे होते हैं। बलिया गाजीपुर में तो नहीं है। जिस विभाग के कर्मचारियों के जरिये आपको इस विभाग को आगे ले जाना चाहिये उनमें इस प्रकार का घोर असन्तोष व्याप्त हो बिलकुल काम नहीं चल सकता है। मैं आपका ज्यादा समर्थन लेकर खाद और बीज के सिलसिले में कहना चाहता हूं जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है इस विभाग को थोड़ा और कठोर करें ताकि आपके प्रति जन साधारण की आस्था हो विभाग के प्रति आस्था हो और शासन के प्रति आस्था हो। इन शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करता हूं।

श्रीमती रामरती देवी (जिला-फैजाबाद)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के लिये खाद, बीज और पानी की अत्यन्त आवश्यकता होती है। आज के समय में इन सब चीजों की सुविधा होने पर भी खेती की पैदावार बढ़ने के बावजूद भी किसान अधिक लाभ में नहीं है। दूसरे रूप में कहा जाय तो सब पेशों की अपेक्षा खेती ही एक ऐसा पेशा है जो अधिक आमदनी का पेशा नहीं है।

(श्री काशीनाथ मिश्र के कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

काशी नाथ जी कुछ दूसरे की बात भी सुनें।

श्री काशीनाथ मिश्र--

[* * * *]

श्री उपाध्यक्ष--

यह सदन इसके लिये नहीं है। व्यक्तिगत रूप से बात न करें तो बहुत अच्छा है।... बैठने की कृपा करें। सहनशीलता होनी चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र--

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष--

काशीनाथ जी जो कह रहे हैं, वह कुछ भी नहीं लिखा जायेगा।

श्रीमती रामरती देवी--

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रही थी कि खेती का पेशा अन्य पेशों की अपेक्षा अधिक लाभ का पेशा नहीं है। मिसाल के तौर पर यदि एक नौजवान आदमी 10 हजार रुपये की लागत लगाता है और 25 वर्षों तक अधिक परिश्रम करता है तो वह लखपती हो जाता है और पूरे परिवार और अपना खर्चा उससे चलाता है। उसकी जगह पर यदि एक साधारण किसान

नोट:--[* * *] यह अंश माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिये गये।

[श्रीमती रामरती देवी]

जिसकी जमीन 6 एकड़ के लगभग हो और उसकी कीमत उसी 10 हजार रुपये के अनुपात में हो तो वह व्यक्ति अपने एक परिवार का पूरा श्रम उस खेती पर लगाता तो है उसका परिणाम यह होता है कि वह अपने परिवार के भरण-पोषण तक के लिये पूंजी इकट्ठा नहीं कर पाता। इसका कारण यह है कि किसान को आये दिन ओला, बाढ़, सूखा आदि का सामना करना पड़ता है। साथ ही जो लागत वह अपनी जमीन पर लगाता है उस पर जो उत्पादन होता है वह लागत की अपेक्षा कम दाम पर बिकता है और उसके बदले में जो अन्य सामान उसे लेने पड़ते हैं, वह ऊंची कीमत पर उसे लेने पड़ते हैं। किसानों को कोआपरेटिव द्वारा जो ऋण दिया जाता है वह 10 प्रतिशत सूद पर दिया जाता है। इस प्रकार बराबर परिश्रम करने के बावजूद भी खाद, पानी, बीज आदि देने के बाद भी जो उत्पादन बढ़ता है उसमें भी वह व्यापारी की अपेक्षा पीछे ही रह जाता है। इसमें होना यह चाहिये कि खाद की कीमत कम से कम एक तिहाई कम हो। पानी की सुविधा जो दी जाती है उसमें एक चौथाई की कटौती होनी चाहिये और उसके साथ-साथ कोआपरेटिव से जो लोन दिया जाता है उसमें सूद 10 परसेंट घटाकर 5 परसेन्ट हो।

मान्यवर, आज जंगल विभाग द्वारा काफी जमीन घेरी हुई है जिस पर वन विभाग ने बीसियों साल से वृक्ष नहीं लगाये और न ही उस पर खेती की जा रही है। पहाड़ी जिलों में बराबर ऐसा देखने को मिलता है। नतीजा यह होता है कि इस तरह से जो अच्छी जमीन घेरे हुए हैं उससे उत्पादन कम हो रहा है। मेरा सुझाव है कि इन पर कृषि उत्पादन होना चाहिये और किसानों को छोटे-छोटे पट्टों के रूप में यह जमीन दी जाय। इसके साथ-साथ मान्यवर, एक परेशानी किसानों के सामने अपने उत्पादन को बढ़ाने में यह भी है कि सरकार द्वारा नहर विभाग द्वारा काफी कमांड एरिया बड़े पैमाने पर घेर लिया जाता है और न तो वहां पर नहर बन पाती है और न ट्यूबवल लग पाते हैं। जिसका नतीजा यह होता है कि वह कमांड एरिया असिंचित रह जाता है और उससे उत्पादन घट जाता है। तो मेरा निवेदन है कि कुछ न कुछ इस तरह की छूट किसान को मिलनी चाहिये कि उसका लगान आदि कम हो।

मान्यवर, मेरे जिले फैजाबाद में जहांगीरगंज ब्लाक में दो ऊसर जमीन बड़े पमाने पर है न्यौरी डाह और चोरमड़वा डांट। करीब डेढ़ हजार बीघा धरती ऊसर पड़ी हुई है। मेरा सरकार से सुझाव है कि उसमें भूमि संरक्षण के द्वारा कुछ इस प्रकार की सुविधायें किसानों को दी जाएं और उस जमीन में परिवर्तन करने की अवश्यकता है।

आज किसानों ने आलू की पैदावार में होड़ लगा दी है और इस होड़ में वह आगे हो गया है। तो उत्पादन अधिक होने पर भी किसान को लाभ नहीं मिल रहा है। इसका कारण है कि मान लीजिए कि किसान एक क्विंटल आलू जिसकी कीमत 50 रु0 होती है शीत भण्डार मे रखता है और 6 महीने तक भण्डार में रखने के बाद उसको 12 अथवा 15 प्रतिशत सूद देना पड़ता है तो इस तरह से तीस रुपया सैकड़ा वार्षिक सूद के हिसाब से उस पर उसका खर्च बैठ जाता है जो कि उत्पादन को देखते हुए काफी ज्यादा है। इसको कम से कम 10 प्रतिशत पर रखना चाहिये। नगरपालिकाओं की कुछ जमीनें सरकार कभी-कभी सरकारी दफ्तरों आदि के लिए ले लेती है, जिनमें काफी किसान अच्छी पैदावार करता है। मेरा निवेदन है कि यदि ऐसा हो तो उसमें ऊसर और बंजर जमीन ही को लेना चाहिए और अच्छी जमीनें छोड़ देनी चाहिए। इनमें किसान अपनी मेहनत से अच्छा उत्पादन कर सकता है और देश के उत्पादन में इस तरह से वृद्धि हो सकती है। इन शब्दों के साथ जो कृषि का बजट सदन में पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करती हूं।

श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, कृषि मंत्रालय के अनुदानों पर काफी देर से बहस हो रही है। हमारे मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारा देश कृषि प्रधान है, साथ ही हमारा प्रदेश भी कृषि प्रधान है।

श्री उपाध्यक्ष--

और आप ?

श्री जगदीश अवस्थी--

इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमारे प्रदेश में कृषि की उन्नति हो और इसका मुख्य उद्देश्य कृषकों की सहायता होना चाहिए और उनको अच्छी खाद, बीज और पानी कैसे प्राप्त हो सकता है, यह देखना चाहिए। इस दृष्टि से हम इसे देखते हैं, तो कहना पड़ेगा कि इस मंत्रालय ने, कृषि निदेशालय ने बड़ी अच्छी चेष्टा की है और वह परिश्रम कर रहे हैं कि कृषकों को अच्छा बीज, अच्छी खाद देने के लिए लेकिन जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि योजनायें तो अच्छी बनती हैं, लेकिन जब कार्यान्वयन करने चलते हैं, तो वह दोष-पूर्ण हो जाता है। जैसे हमारे प्रदेश मे कृषकों के लिए बीज भण्डार बनाये गये हैं, लेकिन वहां पर बैठकर उसके इंचार्ज वगैरह किस कदर भ्रष्टाचार करते हैं बीज बंटवाने में, वह कहानी सर्वविदित है। वह ऐसी दुखद कहानी है कि जिसका अनुभव सभी करते हैं, लेकिन उसका हल कोई नहीं निकाल पाता है। गत वर्ष सरकार ने घोषणा की थी कि तेज दाम की खाद सस्ते दामों पर जनता को देंगे। लेकिन इसका बड़ा दुरुपयोग हुआ। बड़े-बड़े जिम्मेदार लोगों ने वहां से सस्ते दाम पर खाद को लेकर उसको ऊंचे दाम पर बेचा। इसकी शिकायतें भी हुई और कुछ के ट्रांसफर भी हुए, तो सिफारिशें भी हुयीं। मंत्री जी ने स्वयं अनुभव किया है कि कृषि विभाग के सीड स्टोरों में बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं निवेदन करूंगा कि इन भण्डारों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि जो लोग भी इनमें दोषी पाए जाएं, उनको निश्चित रूप से दण्ड दिया जाए। मंत्री जी नेभ्रष्टाचार रोकने के लिए तीन तजबीज बताई हैं--टरमिनेशन, प्रापर्टी अटैच आदि। लेकिन उनसे कैसे आप रिकवरी करेंगे, इसकी भी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी।

दूसरी बात यह है कि कृषि उत्पादन मण्डी समितियां बनाई गई हैं, लेकिन उनमें अभी कोई विशेष कार्य नहीं हो रहा है, इसे कई माननीय सदस्यों ने यहां कहा है। मैं भी अपने सदस्यों के साथ अपनी सहमति प्रकट करता हूं। जहां भी कृषि उत्पादन समितियां हैं, उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रहीं है। अभी मंत्री जी ने घोषणा की है कि कानपुर जनपद में एक कृषि उत्पादन मण्डी समिति की स्थापना की गई है और कुछ सदस्य बन गये हैं। वहां पर और भी मंडियां हैं। आपने 40 की घोषणा की है। यह कृषि उत्पादन मंडी समिति का उद्देश्य जो आपका है, इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। आपने ऐक्ट पास कर दिया है लेकिन आजतक कहीं पर भी इन कृषि मंडी समितियों का यह नहीं पता चल सका है किये कैसे खर्च करती हैं और इनका उद्देश्य क्या है। जब तक आप इनको डिसेन्ट्रलाइज नहीं करेंगे, तब तक ये निरंकुश रहेंगी। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जहां कहीं भी इन मंडियों की स्थापना की है, आप निश्चित रूप से चाहे और कुछ समय के लिए चुनाव न करा सकें, तो समितियां ही बना दें। हमारे प्रदेश में जो भूमि कृषि योग्य है उस पर खेती हो रही है। हमारे प्रदेश में दो प्रकार की खेती होती है। एक सघन खेती और दूसरी एक्सटेंसिव खेती। जो भूमि उपलब्ध है हमारे प्रदेश में उसमें सघन खेती हो। उसमें बीज, खाद आदि देकर जो कृषि उत्पादन जिससे कर सकें। जो भूमि जंगल, ऊबड़-खाबड़ पड़ी हुई हैं उनको कृषि योग्य बनाया जाय। आपने जमुना के तट पर जहां पर जमीन ऊबड़-खाबड़ थी, उनको आपने कृषि योग्य बनाया है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से जहां पर जमीन बेकार पड़ी हुई है आप उसको ठीक करा कर कृषि योग्य बनाने की कोशिश करें। जो ऊसर जमीन है, उसमें खाद, पानी मिले तो उसको उपजाऊ बनाया जा सकता है

[श्री जगदीश अवस्थी]

हमारे यहां के कृषि विश्वविद्यालय के श्री कौल साहब ने ऊसर जमीन को कृषि योग्य बनाने के लिए अगुवाई की है। उससे लोगों को प्रोत्साहन मिला है। हमारे प्रदेश में अगर ऊसर जमीन के आंकड़े को देखें तो सबसे ज्यादा ऊसर जमीन हमारे कानपुर में है। मान्यवर, जहां कहीं पर भी ऊसर जमीन हैं, उनका सर्वेक्षण करें और उन ऊसर जमीनों को उपजाऊ बनावें। ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले। हमारे जो रिटायर्ड कृषि डायरेक्टर श्री राम कृष्ण जी थे, उनको रामगंगा प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया गया है। मैं चाहता हूं कि जो आज नये-नये प्रकार के डिपार्टमेन्ट खोल दिये जा रहे हैं, जो आप नये-नये डिपार्टमेन्ट बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसके साथ-साथ कम भी बढ़ना चाहिये। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें हमने आमूल परिवर्तन नहीं किया है। उसके बारे में आज तक निर्णय नहीं कर पाये। आप चाहें शिक्षा को देखें, चाहें कृषि को देखें, निदेशालय बने हुए हैं। उनका गवर्नमेन्ट से तालमेल नहीं हो पाता है। हमारे मंत्री जी पूरे क्रान्तिकारी हैं। मंत्री जी बहुत तेजस्वी भी हैं। ईमानदार भी हैं। उनमें कार्यक्षमता भी है। मंत्री जी, जो हमारा कृषि निदेशालय है, उसको इतना चुस्त बना दें और इस प्रकार का तालमेल बैठा दें और उसका पुर्नगठन कर दें जिससे जो पद निदेशालय में खाली पड़े हुए हैं, वे भरे जा सकें। आपके यहां बड़े-बड़े योग्य अधिकारी हैं, उनमें से उनके रिक्त पदों पर नियुक्त कर दें जिससे विभाग उनकी योग्यता का फायदा उठा सके। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो 200 किलोमीटर सड़क बनवाने का लक्ष्य रखा है उसे वे पूरा करेंगे और जिन योजनाओं को उन्होंने जिक्र किया है उनको आगे बढ़ाने में वे पूरा योगदान करेंगे।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो कृषि से सम्बन्धित बातें कहीं हैं, उनमें से कोई ऐसी नहीं है जो कागज पर न हों। इसमें दो राय नहीं हैं कि उत्पादन बढ़ा है। आंकड़ों के अनुसार योजना के पूर्व और बाद में चावल की दुगनी और गेहूं की तिगुनी हुई है लेकिन जितना जोर माननीय मंत्री जी ने चूहा मारो अभियान में कहा है या सम्बन्धित अधिकारियों के भ्रष्टाचार को क्रश करने की बात कही है, क्या उन किताबों में यह बात भी आई है कि उत्पादन बढ़ा है और राज्य सरकार को लाभ हुआ है? क्या सम्बन्धित उत्पादनकर्ताओं, इस प्रदेश के किसानों को योजना के पूर्व से आज तक एक प्वाइन्ट भी लाभांश मिला है? उत्तर प्रदेश का आलू 45 रुपये में खरीदा गया, 100–107 रुपये प्रति क्विन्टल में बम्बई भेजा गया और 300 रुपये के हिसाब से वह विदेशों में सप्लाई किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के उत्पादकों ने क्या गुनाह की है? आज इन किसानों में जो अपनी सारी इंकम खेती से समझते हैं, बेकारी के दौर से गुजर रहे हैं। हम लोगों की रेजीडेन्सेज पर एक-एक विधायक के पास कम से कम 100–100 लोग नौकरियों के लिए आए हुए हैं। यदि आज कृषि से इंकम होती तो यह हालत न होती, वे अपने बच्चों को कृषि में लगाते लेकिन आज प्रदेश के कुल किसान और पुराने सामन्त लोग, चाहे छोटे किसान हों 6 एकड़ खेती करने वाले, और चाहे वे मजदूर हों, खेती को छोड़ते जा रहे हैं। आज हमारे कृषि के स्नातकों के लिए भी कोई जगह नहीं है। इसलिये उनके लिये मंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं कहा है। यह बात ठीक है। कि खेती में चूहे बहुत नुकसान करते है लेकिन क्या आज भी उत्पादन बढ़ा है? आज भी भुखमरी गत 15 वर्षों से ज्यादा है। माननीय मंत्री जी ऐसे किसानों के पास जाते होंगे जिनके पास ट्रैक्टर्स है लेकिन ऐसे भी किसान है जो दूसरों की मदद से कृषि करते है। आपने बिजली के दाम बढ़ाये है, सिंचाई के दाम बढ़ाये है। आपके उत्पादन में एक और कटौती है, वह है सेलाब की समस्या।

आपने जो कमेटी बनाई है, उसमें हम लोग और जिला के कलेक्टर बैठते। उसमें हमारे जिले में एक छोटा दरिया है टूंडी। यहां रामरती जी बैठी हुई है

उनका भी क्षेत्र प्रभावित होता है, उसमें 23सौ एकड़ क्षेत्र प्रभावित होता है। वहां केवट, भर, वर्मा, यादव ऐसे छोटी जाति के किसान लोग रहते है। वह क्षेत्र सैलाब में डूब जाता है। आप हर साल उन किसानों के लिये लाखों रुपयें खर्च करतेहै। जब हमने मीटिंग में पूछा कि क्या इससे किसान बच जायेगा तो कृषि विभाग कहता है कि हम नहीं जानते है, सिंचाई विभाग करता है। क्या कृषि से संबंधित लोंगों से केवल चूहा मार अभियान ही चलाया जायेगा आखिर 65 हजार रुपयों का ट्रैक्टर लाकर आपने क्या किया? 65 हचार रुपये ट्रैक्टर लाने के बाद अगर किसान के पास पुर्जा न हो तो चाहे वह हरियाणा जाय, चाहे कलकत्ता जाय और चाहे बम्बई जाय। आमदनी नहीं है लेकिन लोन पर सूद इतना ज्यादा है कि कुछ कहना नहीं। कागजों पर कृषि की आमदनी दुगनी या ढ़ाई गुनी बढ़ी है। यह सही है कि आपके गोदामों में गेहूं भरा पड़ा है। लेकिन जो बड़ा किसान होता है। उसी के पास साधन होते है। आप दिलपर हाथ रख कर पूछें कि 65 हजार रुपयों का ट्रैक्टर आप इस देश को दे रहे है। किसान के उत्पादन को बढ़ाने के लिये या उसकी कमर तोड़ने के लिये या उसके बच्चो के भविष्य को बरबाद करने के लिये आप जो बोली बोलतें है, आपका विभाग जो बोलता है मैं समझता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने विभाग है उन सब में कम भ्रष्टाचारी विभाग आपका है क्योंकि उसमें मौका नहीं है और आप भी उस टाइप के नहीं है, यह मैं मानता हूं। लेकिन 6 एकड़ के किसान के लिये आपने क्या किया और आपने ट्रैक्टर ला के क्या किया? आपके उत्पादन पर दो, तीन तरफ से हमला हो रहा है। एक तो सैलाब से हो रहा है दूसरे सूखा से हो रहा है।

गन्ने की बात आप देखे आप महसूस करते है कि फैक्टरियों को गन्ना सप्लाई नहीं होता है आपने एक से डेढ़ रुपये तक कुल गन्ने की कीमत कम की है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय भगवती प्रसाद जी, सीधे बात नहीं होनी चाहिये। जो भी बातचीत हो, पीठासीन अधिकारी के माध्यम से हो। आप तो सीधे बातचीत करने में लग गये।

श्री भगवती प्रसाद--

मान्यवर, एक से डेढ़ रुपये कुल गन्ने की कीमत कम की लेकिन किसान की कमर टूट गयी और 15 से 17 करोड़ रुपया आपने मिलमालिकों को कमवाया है और आप कहते हैं कि सारे प्रदेश में हरियाली है। सारा प्रदेश खुशहाल हो रहा हो, आपकी योजना खुशहाल हो रही हो, आपके विभाग के उच्चाधिकारियों से लेकर छोटे कर्मचारी तक खुशहाल हुए हों, लेकिन प्रदेश का किसान आपके साथ नहीं है क्योंकि फर्टिलाइजर, पानी, विद्युत्, लोहा, ट्रैक्टर वगैरह की कीमत में आपने कोई कमी नहीं की है। चूहा मारो अभियान में आपने फरमाया कि मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं। तो मैंने पूछा कि क्या भाई, हम लोगों का यह भी कर्तव्य है कि उनके घौंसले को ढूंढें और माननीय मंत्री को इसका सुझाव दें? मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ आखिर कौन सा सहयोग चाहिए? लाखों लाख कर्मचारी आप दवा से चूहा मारने के लिए रखे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। कितने ही आदमी मर गये चने के खेत में एक महिला मर गयी दवा से। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं समय नहीं लूंगा। लेकिन सुझाव देता हूं कि जहां सैलावी इलाके से किसानों की हर साल कमर टूट जाती है उस ओर ध्यान दें और जो सामान फर्मों और कारखानों से आता है अगर उसकी कीमत नहीं गिरायेंगे तो उत्तर प्रदेश का किसान तरक्की नहीं कर सकता। इससे काम नहीं चलने वाला है कि ट्रैक्टर देख लें, लखीमपुर खीरी और पश्चिमी जिलों में ट्यूबवैल और सिंचाई के साधन देख लें, आप किसान की बात जान लें। आप हवाई जहाज की बात मत करें, पानी तो है

[श्री भगवती प्रसाद]

नहीं। आपको हम किसान की संज्ञा देते हैं, किसान उत्पादक की संज्ञा देते हैं, लेकिनयदि कोई किसान के घर पैदा होता है तो उसकी किसान संज्ञा नहीं है। लेकिन जो उसकी सारी एक्चुअल इंकम को जानता हो वह किसान है। मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया।

श्री गोविन्द सिंह मेहरा (जिला अल्मोड़ा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा जो अनुदान सदन में प्रस्तुत हुआ है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सामान्य कृषि पर बहुत चर्चा हो गयी है, इसलिए मैं बागवानी पर अधिक बोलूंगा। कृषि के सम्बन्ध में पर्वतीय अंचल में भूमि संरक्षण का जो कार्य हो रहा है वह इटावा पैटर्न पर हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले इटावा में ही यह शुरू हुआ था और जो वहां पैटर्न बना वही लागू किया गया है। उसके द्वारा कोई कारगर तरीके से भूमि संरक्षण नहीं चल रहा है। पहले भी मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर चुका हूं। मुझे आशा है कि पर्वतीय अंचल के लिए मंत्री जी पैटर्न को बदलने की कृपा करेंगे।

बागवानी में मुझे डा० तेवतिया को बधाई देनी है कि काफी प्रसार पर्वतीय अंचल में बागवानी में हुआ है, लेकिन पर्वतीय अंचल का आर्थिक विकास बागवानी पर ही निर्भर है। इसको सब मानते हैं। मेरी मांग रही है कि जब तक चकबन्दी नहीं होती, बागबानी सफल नहीं हो सकती है। फ्रूट बेल्ट्स की बात जब होती है तो उसमें जंगलात विभाग हमेशा आड़े आता है। मेरी बहिन रामरती ने यह कहा कि कई ऐसे इलाके जंगलात विभाग ने घेर रखे हैं जहां न तो वे पेड़ उगाते हैं, न उपवन उगाते हैं जिसको हार्टिकल्चर के नाम से कहते हैं। फ्रूट बेल्ट्स रोड साइड के एक फर्लांग ऊपर नीचे भू-भाग पर लगायी जाने की योजना है लेकिन जंगलात विभाग उसमें आड़े आता है। वह आज तक नहीं पनपी है, इस ओर ध्यान देने की बात है।

दूसरा निवेदन आपके माध्यम से मंत्री जी से यह करूंगा कि वहां पर जो रोग पेड़ों पर लग जाता है उसका इलाज पहले निःशुल्क सरकार करती थी। इधर सरकार ने अपनी नीति बदल दी है और उसका ट्रीटमेन्ट का खर्चा भी बागबानी से या आर्चर्ड्स से वसूल करती है। मैं समझता हूं कि अभी वह समय नहीं आया कि उसकी कीमत की वसूली की जाय। वैसे गत वर्ष से 50 फीसदी छूट उसमें की गयी है। जो भी ट्रीटमेन्ट पेड़ों को दिया जाता है, मैं चाहता हूं कि सौ फीसदी अगर छूट जैसे पहले मिलती थी वही मिले तो वहां बागवानी अच्छी पनप सकती है।

दूसरा मेरा एक निवेदन और है और मैं नया आबाद वेस्ट लैंड ऐक्ट की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। नया आबाद वेस्ट लैंड ऐक्ट वहां रिपील कर दिया गया है। उसकी जगह पर्वतीय अंचल में गवर्नमेन्ट ग्रांट ऐक्ट लागू कर दिया गया है। इससे 60 रु० प्रति नाली, प्रति वर्ष के हिसाब से लीज लगाया गया है जो अत्यधिक है। लेकिन इस समय जो चीज मैं कहने जा रहा हूं वह उससे जुदा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेन्ट ग्रांट ऐक्ट की तहत वहां जो जमीन उपलब्ध की जाती है वह केवल तीन चीजों के लिये। एक तो मकान बनने के लिये, दूसरे गोशाला के लिये और तीसरे कोई लघु उद्योग के लिये कहीं पोल्ट्री फार्म लगाना हो या और कोई छोटा मोटा उद्योगधन्धा करना हो। पहले होता यह था कि नया आबाद वेस्ट लैन्ड ऐक्ट की तहत लोग एक एकड़, दो एकड़ का चक ग्रांट म ले लेते थे बागवानी के लिये और अब नया आबाद वेस्ट लैंड ऐक्ट को पर्वतीय अंचलों में समाप्त कर वहां बागवानी का प्रसार नहीं हो सकता है। दूसरे जो प्लान्ट दिया जाता है उसकी कीमत अत्यधिक हो गयी है। पहले 5 आने से लेकर 10 आने में सेव, खुबानी और आड़ू के पौधे मिल जाते थे लेकिन आज एक रुपये से कम में कोई प्लान्ट नहीं मिलता है। वहां

की आर्थिक हालत ऐसी है कि अगर कोई अपने आंगन में दो चार पेड़ डालना चाहे तो वह उसकी कीमत भी अदा करन की स्थिति में नहीं है। इसलिय मैं चाहता हूं कि सबसिडाइज्ड रेट पर प्लान्ट्स दिये जाएं।

जैसा कि श्री देवबहादुर सिंह ने अल्मोड़े जनपद की चर्चा की, 23 अप्रैल को बागेश्वर बेली में इतनी ओला वृष्टि हुई कि तमाम मंडल शरा म 3 मील लम्बा और 1 मील चौड़ा शेरा में एक दाना भी शेष नहीं है। वह तो श्रीमती सरस्वती टमटा जी का तो वह क्षेत्र ही है, जिला परिषद् अध्यक्ष श्री गोपाल जी भी थे, हम सभी उस जनपद की पदयात्रा पर थे, कठायतबाड़ा में भी ओले की वृष्टि से हार्टिकल्चर वनसरी का बड़ा नुकसान हुआ और तमाम आम क बाग तबाह हो गये। जितने आम क बौर थ सभी नष्ट हो गय। 25 तारीख को रानीखेत, चौपटियां राष्ट्रीय उद्यान में भी ओले की वृष्टि से फल बरबाद हो गया है और इस साल सेब का एक दाना भी होने की आशा नहीं है। माननीय मंत्री जी को चाहिये कि अल्मोड़ा जनपद की जांच करावें और जहां-जहां भी ओला वृष्टि हुई है वहां क काश्तकारों को और बागवानों को आर्थिक सहायता देने की कृपा करें।

अब मैं सब्जियों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। आलू और सगिया मिर्च जिसको यहां पर शिमला मिर्च कहा जाता है वह हमारे ही पहाड़ों से आता है। जिस तरह से हमारे यहां के सेब को हिमांचल प्रदेश का सेब कहा जाता है उसी तरह से हमारे यहां के सगिया मिर्च को शिमला मिर्च और सेब को भी शिमला सेब कह दिया जाता है। इसी तरह से टमाटर भी हमारे यहां बहुतायत से होता है जिसे बाम्बे, कलकत्ता और देहली भेजा जाता है। सरकार को चाहिये कि वह टमाटर के केच-अप आदि बनाने के लिये छोटे उद्योगों को वहां पनपाने की कोशिश करें जिससे उस एरिया के लोगों को रोजगार मिल सके। इन चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी के इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री गोरेलाल शाक्य (जिला इटावा)--

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सन्दर्भवश मुझे कहना पड़ता है कि माननीय काशीनाथ मिश्र ने जो प्रस्ताव दिया है, उसका मैं समर्थन करता हूं कि जो मंत्री जिस जाति का हो उस जाति के नीचे के बड़े अफसर न हों परन्तु यह बात यहीं तक सीमित न रहेगी। इस तरफ मैं ध्यान ले जाना चाहता हूं। मैं 'महाभारत' का एक उदाहरण देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य विषय तक ही सीमित रहें। समय कम है।

श्री गोरे लाल शाक्य---

मान्यवर, महाभारत के समय अर्जुन ने कहा था कि यहां तो सभी अपने भाई बन्धु बैठे हैं, कैसे मैं धनुष चलाऊं। तो आज वही स्थिति है। 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने के लिए आज जिस वर्ग पर प्रहार होना है, 80 फीसदी उसी वर्ग के अफसर हैं, ये अफसर अपने ही वर्ग पर प्रहार नहीं कर सकत। अगर 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरा करना है, तो इस फौज को बिल्कुल अलग हटाइये और जातियों की आबादी के अनुपात में अफसरों की नियुक्ति हो तभी 20 सूत्री कार्यक्रम पूरा हो सकता है। मैं मानता हूं कि किसी जाति का कोई व्यक्ति ईमानदार है तो कोई जाति की बात नहीं हो सकती है। मैं जानता हूं, कृषि मंत्री जी के कड़े रुख के कारण, कड़े प्रशासन के कारण जितने उनके विभाग के अधिकारी सतर्क हैं उतने

[श्री गोरेलाल शाक्य]

और किसी विभाग के नहीं हैं। तो यह जाति फैक्टर है, यह हर जगह लागू होता है। अगर छंटनी भी कर दी जाय तो भर्ती कैसे हो, सचिव, डाइरेक्टर, पी० ए०, सब खुशहाल वर्ग के हैं। तो जो काशी नाथ मिश्र जी ने कहा वह किसी खास कारणवश कहा। सोशल और इकोनामिक न्याय तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि जातियों के अनुपात से सरकारी कर्मचारियों की भर्ती नहीं होगी। हर जाति के लोग समान रूप से होने चाहिये, नहीं तो जस्टिस नहीं हो सकती।

मैं कृषि विभाग पर आता हूं। खाद के बारे में मैं कहना चाहता हूं। जो खाद की बोरी होती है, तो खाद बोरी समेत तौल दी जाती है। एक किलो या इससे ज्यादा बोरी का वजन होता है। इसलिये बोरी का वजन अलग करके खाद की तौल होनी चाहिये जिससे किसान के साथ न्याय हो सके और उसका नुकसान न हो। इसी के साथ-साथ सस्ती खाद जो होती है उसको अधिक मूल्य वाली खाद में मिला दिया जाता है और किसान के साथ धोखा-धड़ी की जाती है। किसान को रसीद भी नहीं दी जाती है और दूसरे लोगों के नाम रसीद काट दी जाती है। किसान को पता नहीं चलता है कि किस मूल्य पर खाद उसने ली है।

इसके साथ-साथ जो बीज कृषि विभाग से दिया जाता है उसी किस्म का बीज जो मारकेट में होता है, उससे कृषि विभाग के बीज का मूल्य अधिक होता है। इसलिये इनके मूल्यों में एक सामंजस्य होना चाहिए। जो बीज कृषि विभाग से मिलता है वह बाजार में उपलब्ध बीज से 20 परसेन्ट से ज्यादा तेज नहीं होना चाहिये। इसके साथ-साथ जो कृषि फार्म हैं उनको आंख उठाकर देख लीजिए। उनके चलाने से कोई फायदा नहीं है। उनको खत्म कर देना चाहिये। काफी लेबर, खाद, पानी और पूंजी उन पर लगती है लेकिन फिर भी उत्पादन नहीं बढ़ पाता है और फार्म घाटे पर चलते हैं? इस तरफ मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये।

इसी तरह से बाजरा नं० 4 और 3 का बीज किसानों में बांटा गया था। और जितना भी बीज बांटा गया था उसमें टोनी मिल्ड्यू नाम की बीमारी लग गयी। बड़े पैमाने पर बाजरे में यह बीमारी लगी। इसका कारण यह था कि रोगग्रस्त बीज बांटा गया था। तो जो भी बीज कृषि विभाग की तरफ से बांटा जाय उसका परीक्षण कर लिया जाय कि यह रोग ग्रस्त है या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष---

इसमें कोई शक नहीं, इससे किसानों का लास होता है।

श्री गोरेलाल शाक्य---

मान्यवर, स्वायल कन्जरवेशन के विषय में निवेदन करना चाहता हूं। स्वायल कन्जरवेशन में बन्धे बनाये जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। शीघ्रता करें।

श्री गोरे लाल शाक्य---

मान्यवर, 3-4 फुट मिट्टी खोद कर बंधे बनाये जाते हैं। लेकिन किया यह जाता है कि जमीन के ऊपर से बन्धे बना दिये जाते हैं और करोड़ों रुपयों का गबन हो रहा है। दिखा दिया जाता है कि मैंने 5 फीट खोदकर बन्धा बनाया जबकि एक फुट भी खोद कर बन्धा नहीं बनाया जाता है। ऐसी शिकायतें डिप्टी डाइरेक्टर, स्वायल कन्जर्वेशन, ललितपुर की आयी हैं और जांच हो रही है। लेकिन उसक बाद डिप्टी डाइरेक्टर का कुछ नहीं हुआ। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह जांच करवायें और उनके खिलाफ कार्यवाही करें। मान्यवर,

सीड स्टोर में लाखों रुपये का मुनाफा कमाया गया है इसलिये उसकी भी जांच होनी चाहिये। मान्यवर, एग्रो की बोतलों पर "पैक्ड बिफोर" लिखा रहता है। तो वह बोतल चाहे जिस माह में पैक्ड की गयी हो, पता नहीं चलता है। इसलिये "बिफोर" शब्द को उसमें से हटाना चाहिये और साफ-साफ माह लिखा जाना चाहिये। मान्यवर, प्राइस कमीशन में किसानों का एक नुमाइन्दा होना चाहिये। इसके अलावा किसानों को इन्सेन्टिव प्राइस दिया जाय। यदि ऐसा हो तो जो विदेशों से अनाज आयात करना पड़ता है वह न करना पड़े। लेकिन सरकार ने इन्सेन्टिव प्राइस न देने की कोई बात नहीं की है इसलिये वह होना चाहिये। इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फसली कुलाबों को स्थायी करने की व्यवस्था तुरन्त होना चाहिए।

श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद) --

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि विभाग की मांगों के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। समय कम है इसलिये मैं केवल अपने जनपद की बात करना चाहता हूं। मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां आलू की बड़ी समस्या है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वर्ष आलू की स्थिति उतनी खराब नहीं रही जितनी कि गतवर्ष रही थी। लेकिन जब आलू मंडी में आना शुरू हुआ तो उस समय आलू के दाम गिरे और लगातार गिरते चले गये और उत्पादकों को लगा कि जैसा नुकसान पिछले वर्ष हुआ था, वैसा ही होगा। किन्तु सौभाग्य से आलू उत्पादकों पर माननीय मंत्री जी ने कृपा की और उनके प्रयास से एफ० सी० आई० ने और नैफिड ने आलू खरीदा और इस प्रकार उसके दाम बढ़े और किसान उस कमर तोड़ मन्दी से बच गये। लेकिन जैसा पिछली बार कहा गया था कि आलू उत्पादकों की समस्याओं का हल दो तरह से करना पड़ेगा एक तो दरम्यानी अरसे से और एक कुछ लम्बे अरसे से तय करके। इस वर्ष एफ० सी० आई० और नैफिड ने खरीदा इसलिये नुकसान से बच गये। लकिन एफ० सी० आई० ने कोई खास खरीद नहीं की फिर भी जैसा मुझे बतलाया गया उसे 8 लाख का फायदा हुआ है। यदि पूरे जोर से एफ० सी० आई० खरीदती तो मुझे आशा है कि उसे लम्बा फायदा होता। और किसानों को और बेहतर कीमत मिलती।

मान्यवर, आलू के सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोल्ड स्टोरेज के मालिक किसानों का शोषण करते थे आज उनके लिये अधिनियम बन गया है। इसलिये मैं आलू उत्पादकों की तरफ से माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। मुझे पूरी आशा है कि इस अधिनियम के बनने के बाद आलू उत्पादकों के शोषण की वह पुरानी कहानी समाप्त हो जायेगी। अभी हमें ऐसे बहुत से कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है जिनसे आलू उत्पादकों के हितों की रक्षा हो सके। मान्यवर, पिछली बार माननीय मंत्री जी ने इस सदन में और विधान परिषद् में घोषणा की थी कि आलू उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिये एक आलू विकास निगम बनाया जायेगा। मैं समझता हूं कि उसके लिये वित्त की व्यवस्था संस्थागत वित्त से हो जायेगी। साथ ही यह भी हमारा सुझाव था कि आलू विकास निगम के लिये धन की व्यवस्था के लिये कोल्ड स्टोरेज के मालिकों, उनके शीतगृह की केपीसिटी पर सेस लगाया जाय और उससे धन इकट्ठा कया जाय। हमने यह आशा की थी कि आलू उत्पादकों के हितों की इस तरह से रक्षा हो जायेगी लेकिन माननीय मंत्री जी ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में मुझे यह बताया कि आलू विकास निगम बनाने की बात समाप्त हो गयी। मैं समझता हूं कि आलू उत्पादक जनपदों के लोगों की भावनायें यही हैं कि आलू विकास निगम की स्थापना होनी चाहिए जैसा कि माननीय मंत्री जी ने यहां पर और विधान परिषद् में घोषणा की थी। चूंकि समय कम है इसलिये मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि मंडी समितियां आज कोई कारगर काम नहीं कर रही हैं। फर्रुखाबाद में मंडी समिति ने कोई भी कारगर काम नहीं

[श्री विमल प्रसाद तिवारी]

किया है। ये मंडी समितियां किसानों की सुविधा के लिये बनायी गई थीं किन्तु कोई काम नहीं हो पा रहा है। अतः मेरा निवेदन है कि इन मंडी समितियों के काम को गति प्रदान की जाय ताकि किसान के हितों की रक्षा हो सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का पूर्णरूप से समर्थन करता हूं। मान्यवर, एक निवेदन अन्त में और करना चाहता हूं कि माननीय शिन्दे ने एक घोषणा की थी राज्य सभा में कि एक डिहाड्रेशन प्लान्ट फर्रुखाबाद में लगाया जायगा। वह भी कोल्ड स्टोरेज में चला गया है। उससे किसानों को बड़ी राहत मिलती। अतः मेरा निवेदन है उसे शीघ्र लगाया जाय जिससे आलू उत्पादकों को फायदा हो सके और बड़े व्यापारियों की तिकड़मों के शिकार न हो सकें और उनके शोषण से बच सकें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा----

मान्यवर, इस माननीय सदन में बहुत से सदस्यों ने बहुत ही मूल्यवान सुझाव अपने तर्क के साथ प्रस्तुत किये हैं और बहुत सी त्रुटियों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उन सब का मैं आभार मानता हूं। बहुत सी बातें ऐसी भी कही गईं जिनका उत्तर देना भी मैं उचित समझता हूं। पहली बात यह है कि जो छोटे और मझौले, लघु एवं सीमान्त कृषक हैं उनके लिये सरकार क्या कर रही है? मान्यवर, जैसा कि समाचार-पत्रों में भी उन्होंने पढ़ा होगा 275 रु0 प्रति कृषक उन नवीन कृषकों को जिनको कृषि के लिये भूमि आबंटित की गई है, सरकार की ओर से बीज, खाद आदि-आदि कार्यों के लिये या सिंचाई की व्यवस्था के लिये जैसा भी सम्भव हो सके, दिये जाने का प्रयास है। मैंने प्रारम्भ में बोलते हुए यह भी कहा था कि सीमान्त और लघु कृषकों के लिये प्रदेश के 26 जिलों के 178 ब्लाकों में 33-1/3 प्रतिशत तक अनुदान सीमान्त कृषकों के लिये और 25 प्रतिशत तक अनुदान लघु कृषकों के लिये दिया जा रहा है। इस प्रकार छोटे कृषकों की सहायता की जा रही है। सहकारिता मंत्री जी ने भी अपने भाषण में यह बताया था कि वह भी यह प्रयास करेंगे कि प्रत्येक सहकारी समिति में छोटे कृषकों और निर्बल वर्ग के कृषकों या छोटे खेतिहर वर्ग के कृषकों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाय। उन छोटे कृषकों के लिए प्रदेश में 3 ग्रामीण बैंक भी स्थापित हो गये हैं मुरादाबाद, गोरखपुर और आजमगढ़ में। एक रायबरेली में भी हो चुका है और एक फर्रुखाबाद में। पांच ग्रामीण अंचलों में इस प्रकार के बैंकों की स्थापना हो चुकी है।

फिर मान्यवर, यह भी कहा गया था कि जितना आलू का उत्पादन है उसको ध्यान में रखते हुए शीतगृहों की संख्या कम है। मैंने सुबह बतलाया था कि इस समय 428 है। 17 को नये लाइसेन्स दिये गये हैं। 7 की क्षमता बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त 16 ऐसे कोल्ड स्टोरेज हैं जिनका निर्माण सहकारी समितियां करवा रही हैं। मुझे उम्मीद है कि अगली आलू की फसल से पूर्व इनका निर्माण पूरा हो जायगा। मान्यवर, सिंचाई की क्षमता बढ़ाने का जो नवीन प्रयास हो रहा है उसके लिए आवश्यक है कि श्रमदान के जरिए गूलों का निर्माण करें। इसके लिए हमने दस हजार किलोमीटर का लक्ष्य रखा है। पांच हजार किलोमीटर 30 जून तक निर्मित कराने का लक्ष्य है। 7 मई तक की जो सूचना मिली है वह यह कि 778 किलोमीटर गूलों का निर्माण हो चुका है।

मान्यवर, बीज के बारे में चर्चा हुई। आर0 आर0 21 जो पन्तनगर सीड कारपोरेशन से प्राप्त हुआ था उसमें पूरब और पश्चिम जहां भी गया तो काश्तकारों ने कुछ प्रतिशत खराब हो जाने की शिकायत की है। इस सम्बन्ध में लिख दिया गया है कि कृषि भण्डारों से जो बीज बांटा जायगा, अगर वह कुजम है और पैदा नहीं होता तो कृषकों को उसका मूल्य बतौर कंपेन्सेशन के वापस कर दिया जायगा। बीज के मामले में यह भी निर्णय किया है कि तराई सीड कारपोरेशन के अतिरिक्त दो सीड कारपोरेशन और स्थापित किये जाएं।

एक कानपुर विश्वविद्यालय के साथ जिसके लिये 15 लाख का प्रावीजन बजट में किया है और दूसरा फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय के साथ गिरजीपुर जिला बहराइच में। उसके लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

मान्यवर, यह भी शिकायत की गई कि समय से बीज और खाद नहीं मिलती। इस सम्बन्ध में मेरा कड़ा आदेश है कि कृषि विभाग के द्वारा वितरित किया जाने वाला खाद और बीज अगर बोने के पेशतर नहीं पहुंचता है तो विभाग के अधिकारी तो बाद में दोषी होंगे, पहले इस विभाग का मंत्री दोषी होगा। यह दोष मैंने अपने ऊपर ले लिया है जिससे समय पर खाद और बीज पहुंच सकें। यह भी शिकायत कृषकों की आयी है कि बीज अगर बच गया और यह बीज शोधित होता है जो कि खाने के काम नहीं आता तो विभाग के अधिकारी आदेश कर देते हैं कि इस बीज को जबरदस्ती किसानों को उठवायें। मैंने आदेश दिये हैं कि कोशिश तो यह हो कि समय पर बीज बंट जाय और अगर फिर भी बच जाता है तो वह बीज काश्तकारों को जबरदस्ती नहीं उठवाया जायेगा।

मान्यवर, यह भी प्रयास किया है कि एग्रो विभाग से मसाले या कैटिल फीड या पेय पदार्थ या हमारे फलों का रस वगैरह इस प्रकार के प्रयास करने होंगे। हम प्रयास कर भी रहे हैं कि ऐसा हो जाय कि एग्रो का नाम देखते ही जनता में विश्वास की भावना पैदा हो जाय। उसके मूल्य भी ठीक से निर्धारित हो जायं। हमारे जो मिस्टर चालू है और जो अधिकारी हैं बोर्ड के वे इस कोशिश में लगे हैं कि इसमें सुधार हो। इस साल अक्टूबर मास तक की जिन बोतलों पर तारीख पड़ी थी उनको नष्ट कर दिया जाय और जो नई तारीख होगी वह इसकी होगी कि उसका किस तारीख तक प्रयोग करना चाहिये। फलां तारीख तक उसका कन्जम्शन हो जाय। ऐसा होने से वह स्वास्थ्य के लिये भी अच्छा होगा और हमारी रेपुटेशन भी बनी रहेगी। यहां यह भी बताया गया कि बहुत से स्प्रेअर्स खराब पड़े हैं। यह बात यहां उठाने की नहीं है लेकिन फि भी मैं आश्वासन देता हूं कि मैं उसको चेक करवा लूंगा। स्प्रेअर्स सही हालत में होने चाहिये जिससे कि उनका उचित प्रयोग किया जा सके।

जंगली गायों के बारे में भी यहां चर्चा हुई। अभी हमीरपुर में हमको जंगली गायों को पकड़ने के लिये केन्द्र की टोली को बुलवाना पड़ा। इन गायों का जो किसानों की फसल को नष्ट कर देती हैं उनका पकड़वाना बहुत जरूरी है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि केन्द्र से ऐसी टोलियां न मंगवाई जाएं बल्कि अपने प्रदेश में ही ऐसी टोलियां बनवाई जाएं जो कि प्रदेश में इन जंगली गायों को पकड़ सकें जो कि हमारी फसलों को नष्ट कर देती हैं।

इंजिन, पम्प, पाइपिंग सेट्स वगैरा जो भूमि विकास बैंक की तरफ से करने में बड़ी असुविधा होती थी। भूमि विक स बैंक के लोग एजेन्ट्स और डीलर्स से मिले रहते थे और कमीशन खा लिया करते थे, अब वह प्रथा समाप्त कर दी गई है। किसान को अब यह छूट है कि वह अपनी इच्छानुसार इनको खरीद सकता है और खरीदने के बाद उसको दिखला लेगा जिससे कि वह दूसरा इंजि ा तो नहीं खरीद लाया है, इसकी जांच हो सके। नकद के लिये रिजर्व बैंक वाले मानते नहीं हैं नहीं तो और ज्यादा सुधार हो सकता था।

मंडियों के बारे में जो सुझाव दिये गये हैं इस बारे में मैं यह बता दूं कि यह नई संस्था है अ ने प्रदेश में। अ पने पंज ब और हरियान की मंडियों की ब त भी कही। पंजाब में आजादी से 10 साल पहले ही इन मंडियों की स्थापना हो चुकी थी और हमारे प्रदेश में आजादी के 20 साल के बाद इनकी स्थापना हुई है। इसलिये वहां और यहां के कार्य में अन्तर है। वे हमसे कुछ आगे है लेकिन अब इस कार्य को प्रारम्भ कर दिया गया है। जहां तक कि यह

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

बात हुई कि चुनाव होना चाहिये या नामिनेशन, उस सम्बन्ध में चुनाव हो अथवा नामिनेशन, मंत्रिपरिषद् की एक उप समिति के यह मामला सुपुर्द है। मैं यह चेष्टा करूंगा कि वह चुनाव को ही स्वीकार कर ले ताकि मंत्रिपरिषद् की उस उप समिति के अनुसार ही कार्य किया जा सके।

यह देखते हुए कि उत्पादन अधिक हुआ है, इसलिये समाज के विरोधी तत्व जो व्यापारियों में या सहकारिता विभाग में या तो आर0 एफ0 सी0 या एफ0 सी0 आई0 के कर्मचारी हैं जो कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी माने जाते हैं और मुजफ्फरनगर से टेलीग्राम आया कि जिलाधिकारी द्वारा जब सबसे पहले छापा मारा तो एफ0 सी0 आई0 के कर्मचारी पकड़े गये जो गड़बड़ी कर रहे थे। वे सोचते हैं वे केन्द्रीय सरकार के हैं और प्रदेश की सरकार का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। हमारी कोशिश है कि भारत सरकार ने जो 105 रु0 कीमत मुकर्रर की है वह किसान को मिले और मूल्य समर्थक नीति के आधार पर सरकार ने 6 लाख टन के स्थान पर 12 लाख टन क्रय करने का फैसला किया है ताकि किसान को नुकसान न हो। फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में मैं शिन्दे साहब से तथा जगजीवन राम जी से मिला और पायलेट प्रोजेक्ट कुछ स्थानों पर चलाने हेतु फसल बीमा योजना शुरू की है। इसके अन्तर्गत ऊसर और बीहड़ सुधार का कार्य वन विभाग कर रहा है। जितना वन विभाग को दिया गया था बीहड़ उसमें आधे से अधिक में जंगलात लगते हैं। कानपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर कौल की ऊसर जमीन में दिलचस्पी है। हमने उनको बहुत सी ऊसर जमीन दे दी है। हमने अभी हाल में एक मीटिंग भी की थी और यह विचार किया गया था कि प्रदेश के बहुत से हिस्से में ऊसर है उसके सुधार की आवश्यकता है। 7 जिलों का एक योजना केन्द्रीय सरकार को भेजा था। केन्द्रीय सरकार उसको 11 जिलों में लागू करने पर विचार कर रही है, जिसमें उन्नाव का जिला भी है।

आलू के विकास निगम पर भी चर्चा की गयी और उस निगम की यहां घोषणा की गई थी लेकिन उसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां वित्त विभाग ने दर्शायी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक मण्डल स्तर पर एक विकास परिषद गठित की जाय और यह कार्य अब मंडलीय विकास परिषदों द्वारा कराया जायगा। 2 राड़ की एक स्कीम भारतीय खाद्य निगम ने आलू से स्टार्च बनाने के सम्बन्ध में भारत सरकार को भेजा है फर्रूखाबाद में उन्होंने इसे बनवाया था। मैं जब बात करता हूं तो बात करता हूं और लिख कर भी भेजता हूं। पहाड़ के सम्बन्ध में छबीलरियों का जिक्र किया गया अल्मोड़ा में जो अभी ओला पड़ा उससे सेब और आलू की फसल का काफी नुकसान हुआ। इस सम्बन्ध में यह कोशिश की जा रही है कि इन नाशवान की वस्तुओं की व्यवस्था कर दे और 50 फीसदी सब्सिडी हम दें। फिर जो बीमारियां बर्तों में फलों में लगती हैं मेरा सौभाग्य जानते हैं कि 50 फीसदी उनकी रोकथाम पर भी सरकार सहायता देती है दवाइयों पर और अगर कोई संक्रामक बीमारी लग जाती है तो 90 प्रतिशत तक राजकीय सहायता दी जाती है। अभी हमारे यहां से जो आलू खरीदा गया और बाहर भेजा गया वह 12,300 टन है जिसकी मैंने सुबह चर्चा की थी।

भारतीय खाद्य निगम ने 1645 नम्बर का आलू खरीदा दूसरा आलू वह खरीदना नहीं चाहते हैं। हमने प्रमाण-पत्र भी दिया कि फलां तारीख तक यह आलू खराब नहीं होगा। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे चंद्रमुखी, कुफरी या मिलिट्री स्पेशल ही बोने के लिये लोगों से कहें। बाहर भेजने के लिए वे लोग सफेद आलू ही खरीदते हैं। कुफरी और चंद्रमुखी का उत्पादन भी अच्छा होता है और निर्यात से विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। इसके बीज तो उपलब्ध कराने की हम कोशिश करेंगे और हमारे जितने भी आलू के बीज केन्द्र हैं वह बिना लाभ, बिना हानि के आधार पर सप्लाई करें।

(इस समय 4 बजकर 11 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, कुछ मसालों के बारे में भी चर्चा आई। मैं भी देवरिया गया था। दो सौ एकड़ का फार्म उद्यान विभाग स्थापित कर रहा है। उस उद्यान में पूर्वी जिलों में काफी मसाले लगाने की गुन्जाइश है। इसलिए वहां पर मसाले भी लगाए जायेंगे जिसकी चर्चा यहां पर है और नरसरी भी लगायेंगे।

इसके अतिरिक्त रामगंगा, गंडक शारदानहर परियोजना में गूलों का भी निर्माण किया जा रहा है जिससे सिंचाई तत्काल लोगों को उपलब्ध हो सके। जैसे ही योजना पूरी हो जायेगी किसानों को पानी तत्काल मिल सकेगा। इसके साथ ही ट्यूबवैलों और बाटर लौगिंग की बात आई और पानी का स्तर ऊंचा हो गया है। इसलिए कोशिश है कि ट्यूबवैल लगाये जाय जिससे पानी भी उपलब्ध हो और जलस्तर भी ठीक हो सके।

मैं दो तीन और बातें कह कर समाप्त करता हूं। एक मान्यवर, यह कि क्रौप कटिंग के बारे में कहा गया है। क्रौप कटिंग के आधार पर कितना हमारा उत्पादन हुआ यह काम राजस्व विभाग करता है। हमें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि एक्सपैरिमेंट के बेसिस पर कुछ त्रुटियां उसमें हैं। हमारी कोशिश है कि विकास विभाग, कृषि विभाग और राजस्व विभाग इन त्रुटियों को कम करे जिससे कि अधिक से अधिक सही अनुमान अपनी पैदावार के हमें प्राप्त हो सकें और जो हम खर्चा कर रहे हैं सिंचाई, खाद और बीज पर उसकी भी सही जानकारी हो सके।

आखिर में मैं माननीय काशीनाथ मिश्र जी ने जो बहुत सी बातें कहीं उस स्तर पर जाना नहीं चाहता और न मैं उसे अपने लिए अच्छा समझता हूं। वह उन्हें मुबारक हो। सौभाग्य से जिस दिन वह मिनिस्टर बनेंगे जो सुझाव उनके दिमाग में है उसके अनुसार वह काम करें। जब तक मैं मिनिस्टर हूं अपनी बुद्धि से अपने ढंग से अपने दिमाग से कृषि विभाग को संगठित करने और उसे अच्छी तरह चलाने का काम करूंगा और वह अपनी बुद्धि और क्षमता से ही कर सकूंगा। इसलिए मुझे खेद है कि मैं उनकी बुद्धि का अधिक प्रयोग नहीं कर सकूंगा। वह परमात्मा उनके पास रखे, उन्हें वह मुबारक हो। इन शब्दों के साथ मैं पुनः कहना चाहता हूं कि जो कटमोशन माननीय सदस्य ने पेश किये हैं उन पर वह विचार करेंगे और अगर वह वापस ले सकें तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र

अभी माननीय मंत्री जी ने जो कहा और जिस लहजे में कहा मैंने तो उनसे.....।

श्री अध्यक्ष

अब टाइम न लें, जो कुछ भी हो।

श्री काशीनाथ मिश्र

मैंने तो कृषि मंत्री जी के सामने दो आदमियों की बात रखी थी, जिन दो अफसरों को माननीय चन्ना रेड्डी, राज्यपाल महोदय ने.....

श्री अध्यक्ष---

इस पर बहस इस समय नहीं होगी।

श्री काशीनाथ मिश्र

बिजिलेंस की रिपोर्ट उनके अधिकारियों के खिलाफ है, उनके बारे में मैंने कहा था.....

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

आक्षेप तो मैं नहीं कर सकता हूं.....

लेकिन कुछ बहुत अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है माननीय मिश्र जी ने। जब जी में आता है खड़े होकर बोलने लगते हैं आपकी इजाजत मिले या न मिले और कभी-कभी रूलिंग उलटे आपके लिये देने लगते हैं। तो पता नहीं वह अधिकार कैसे उनको प्राप्त हो गया है? फिर जिस प्रकार की बात उन्होंने बिलो स्टैन्डर्ड, स्तर से नीचे जाकर उठाई है वह निराधार है, सर्वथा निराधार है।

श्री लक्ष्मी नारायण पान्डेय ..

माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिए हैं और जैसा उन्होंने विचार प्रकट किया है, उस सन्दर्भ में मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष ...

प्रश्न यह है कि श्री लक्ष्मी नारायण पान्डेय को कटौती के प्रस्ताव वापस लेने की अनुज्ञा दी जाए।

(सदन की अनुमति से श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय के कटौती के सभी प्रस्ताव वापस हुए।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44---कृषि के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27, 20, 18, 900 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष ..

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46 ..भूमि तथा जल संरक्षण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3, 20, 93, 500 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष ...

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47 ..क्षेत्र विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2, 27, 67, 100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76 ...कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकान के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13, 65, 41, 000 रुपय से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 92---ऋण और अग्रिम-कृषि के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2, 40, 63, 100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1976†

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय। मान्यवर, सबसे पहले मुझे एक खेद प्रकाश करना है, क्योंकि यह विधेयक जो छपा है, उसमें ढेर सारी अशुद्धियां रह गई हैं। इसलिए मुझे बड़ा-सा शुद्धि-पत्र इस विधेयक के साथ देना पड़ा है। मेरा आपके द्वारा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वह शुद्धि-पत्र के साथ इस विधेयक को पढ़ें। मान्यवर, इस आदरणीय सदन में और इस सदन के बाहर समय-समय पर मांग होती रही है कि कुछ चीजों पर, जिनमें हमारे पड़ोसी राज्यों में बिक्री-कर की दर कम है, बिक्री कर की दर को कम किया जाय। व्यापार और उद्योग संगठनों ने आशंका प्रकट की है कि इन चीजों का व्यापार प्रदेश के बाहर चला जा रहा है, इससे न केवल प्रदेश के व्यापार और उद्योगों को क्षति पहुंच रही है, कुछ राजस्व की भी हानि होती जा रही है। सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है और निर्णय लिया है कि कुछ ऐसी चीजों पर, जिनके प्रदेश के बाहर चले जाने की आशंका हो गई है, बिक्री-कर कम किया जाय।

मान्यवर, प्रदेश में आये दिन ऐसे होटलों की संख्या बढ़ती जा रही है जहां कैबरे फ्लोर शो जैसे मनोरंजन हुआ करते हैं और समाज के सम्पन्न वर्ग वहां जाकर शामिल होते हैं। वहां भोजन के लिए जो खाद्य पदार्थ और पेयपदार्थ दी जाती है उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है लेकिन उन पर बिक्री-कर वगैरह बहुत कम रहा है। इसलिए शासन ने निर्णय लिया है कि इन चीजों पर जो ऐसे स्थलों पर इस्तेमाल की जाती हैं, उन पर 40 प्रतिशत से अनधिक बिक्री-कर लगाया जाय। इसके लिए प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 2 और 12 के द्वारा प्राविधान किया जा रहा है कि ताकि बिक्री कर, पहले जैसा मैंने कहा, पहले के मामले में घटाने में और यहां बढ़ाने में शासन को सुविधा मिल सके। मान्यवर, खण्ड 5 की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कुछ दिन पूर्व विधान मंडल द्वारा मोटर वेहिकिल्स स्प्रिट डीजल आयल अल्कोहल अधिनियम में संशोधन करके अल्कोहल पर 2 मई, 1974 से परचेज टैक्स की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, हमारे बिक्री-कर अधिनियम में इस आइटम में परचेज टैक्स की व्यवस्था नहीं थी और अब परचेज टैक्स की व्यवस्था करनी पड़ रही है इसलिए संशोधन करना आवश्यक पड़ गया।

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्यों को अनुभव भी होगा कि प्रशासनिक व्यय दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। साथ-साथ कागज का मूल्य भी बढ़ता जा रहा है और छपाई के रेट्स बहुत ऊंचे होते चले जा रहे हैं। इस बढ़ते हुए व्यय के लिए आवश्यक वित्त जुटाने के लिए

---

†10 मई, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

[श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी]

यह प्राविधान किया जा रहा है कि फीस बढ़ाई जाय और फार्मों की कीमत बढ़ाई जाय। विधेयक के खण्ड 7, 8, 9, 10 और 13 के अधीन फीस की वृद्धि की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, महाराष्ट्र राज्य में बिक्री-कर आयुक्त को यह अधिकार प्राप्त होते हैं कि जितने भी विवादग्रस्त मसले होते हैं उसमें उनका निर्णय अंतिम माना जाय। यह मांग यहां भी की जा रही है। शासन ने इस पर विचार किया है और निर्णय लिया है कि सेल्स टैक्स कमिश्नर को अधिकार दिया जाय कि विवादग्रस्त मामले में जो वह निर्णय लेगा वह अंतिम निर्णय होगा और सभी कर निर्धारक अधिकारियों तथा अपीलीय अधिकारियों को सैल्स टैक्स कमिश्नर का यह निर्णय मान्य होगा। इसकी अपील केवल हाईकोर्ट में की जा सकेगी। नई धारा इसलिए विधेयक के खण्ड 11 में धारा 35 जोड़ी जा रही है। पहली जनवरी, 76 से बिक्री-कर अधिनियम के नियमों में कुछ परिवर्तन करके यह व्यवस्था की गई है कि दो लाख रुपये वार्षिक से अधिक विक्रय-धन वाले व्यापारियों को प्रति माह रिटर्न दाखिल करना होगा और उसके अनुसार अनिवार्य रूप से कर जमा करना होगा। इस सम्बन्ध में व्यापारियों के लगभग हर रोज शिष्टमंडल मिलते रहे हैं, उनसे प्रतिवेदन प्राप्त होते रहे हैं। उन पर शासन ने विचार किया और यह निर्णय लिया है कि इन व्यापारियों को कुछ सुविधा दी जाय। विधेयक के खण्ड 13 में जो नियमों के संशोधन प्रस्तावित हैं, उन्हीं में नियम 41 का संशोधन भी शामिल है। इस संशोधन के अनुसार व्यापारियों को यह विकल्प दिया जा रहा है कि वे चाहें तो नियमानुसार प्रति माह, रिटर्न दाखिल करें और उसके अनुसार कर जमा करें अथवा पहले की भांति तीन माह पर रिटर्न दाखिल करें। किन्तु अपने पिछले वर्ष के रिटर्न में स्वीकृत विक्रय-धन के अनुसार वर्तमान वर्ष के विक्रय-धन का अनुमान लगाकर उस पर कर का आंकलन करके प्रतिमास उस कर का 1/12 भाग जमा कर दें।

और जब 3 महीने पश्चात् रिटर्न दाखिल करें तो उसमें दिये गये विक्रय-धन के अनुसार देय-कर का शेष भाग रिटर्न के साथ सीधा जमा कर दें। मान्यवर, समय-समय पर शासन से यह मांग की जाती रही है कि कुछ उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें आरक्षण दिया जाय और कुछ उद्योगों को अन्य प्रकार की सुविधायें दी जायं जिनमें कर मुक्ति की भी सहूलियत मांगी जाती है। अब प्रस्तावित संशोधन विधेयक में खंड 5 में बिक्री-कर की धारा 4 में राज्य सरकार को यह सुविधा दी जा रही है कि वह विज्ञप्ति के द्वारा किसी वस्तु को कर मुक्त कर सकती है।

इस प्रकार मान्यवर, व्यापारियों को सहूलियत देने के लिये यह सब किया गया है। यह इसलिए भी किया गया है कि ताकि प्रदेश के जो उद्योग हैं, वे बाहर न जाने पाये। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस विधेयक की भावनाओं का स्वागत करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 315 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1976 में प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में प्रक्रिया नियमावली के नियम 140(1) के उपनियम को निलंबित कर दिया जाय, जिससे उक्त विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया जा सके।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)----

इसका कारण तो बता दें।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी----

जो संशोधन आये हैं, उनमें आपकी अनुज्ञा प्राप्त नहीं थी, श्रीमन्।

श्री गोविन्द सिंह नेगी----

यदि आप किसी भी नियम का निलम्बन चाहते हैं तो सरकार की ओर से कारण तो आना चाहिए कि निलम्बन क्यों करना चाहते हैं।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)----

मान्यवर, संसदीय मंत्री को यह अधिकार है कि वह किसी समय किसी नियम के किसी खंड को निलम्बित करने का प्रस्ताव कर सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी----

बिल्कुल अधिकार है, लेकिन सदन को तो मालूम होना चाहिये कि किन किन कारणों से आप निलम्बन चाहते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी----

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 140 में, जो संशोधनों की ग्राह्यता की शर्तों से सम्बन्धित है, उसमें यह जो एडिशन्स किए गये है, वे ग्राह्य नहीं हो पा रहे थे।

श्री अध्यक्ष----

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के के नियम 311के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1976 में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्रक्रिया नियमावली के नियम 140 के उपनियम (1) को निलम्बित कर दिया जाय जिससे उक्त विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया जा सके।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष----

नियम 140 जो है वह मैं बताये देता हूं संशोधनों की ग्राह्यता की शर्तों में पहली शर्त यह है कि किसी विधेयक के खण्डो या अनुसूचियों में संशोधनों की ग्राह्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

(1) संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा। और जिस खंड से उसका संबंध हो उससे संबंधित होगा। तो बिना निलम्बन के यह नहीं आ सकता था और दूसरे राज्यपाल की अनुमति भी उसमें आवश्यक थी। वह भी जब कार्य सूची छपी थी तब नहीं थी। वह बाद में आयी राज्यपाल की संस्तुति। तो अब यह नियम इस संबंध में स्थगित है और आप संशोधन रख सकते है।

खण्ड 2

2----उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 ई0 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3--क में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15, 1948 की धारा 3-क का संशोधन

"(1) धारा 3--कक या धारा 3--घ में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी व्यापारी द्वारा देय कर---

(क) किसी होटल या जलपान-गृह या उसके भाग में कैबरे या फ्लोर-शो की व्यवस्था के साथ उपभोग के लिये प्रस्तुत खाद्य पदार्थों या पेय पदार्थों के सम्बन्ध में, विक्रय-धन पर, ऐसी दर पर, जो चालीस प्रतिशत से अधिक न हो, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे, लगाया जायगा; और

(ख) प्रथम अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में, विक्रय-धन पर, अनुसूची के स्तम्भ-3 में विनिर्दिष्ट स्थल पर, ऐसी दर पर, जो पन्द्रह प्रतिशत से अधिक न हो, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे, लगाया जायगा और उक्त अनुसूची की किसी प्रविष्टि में समाविष्ट भिन्न-भिन्न माल के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न दरों की घोषणा की जा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा, प्रथम अनुसूची से किसी माल से सम्बन्धित कोई प्रविष्टि निकाल सकती है, और इस प्रकार निकाली गई किसी प्रविष्टि को इसी तरह पूर्ववत् रख सकती है और किसी प्रविष्टि के निकालने या पूर्ववत् रखने की कोई ऐसी विज्ञप्ति के जारी किये जाने पर उक्त अनुसूची, उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तद्नुसार संशोधित समझी जायगी।"

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड-2 के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय तथा पश्चात्वर्ती खंडों को पुनः संख्यांकित कर दिया जाय, अर्थात् :—

धारा 3-घ का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 घ में, उपधारा (1) में वर्तमान स्पष्टीकरण को पुनः संख्यांकित करके स्पष्टीकरण-1 कर दिया जायगा, और तत्पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण 2 बढ़ा दिया जायेगा और सर्वत्र से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्:—

अधिनियम सं0 10, 1955

"स्पष्टीकरण 2—इस उप-धारा के प्रयोजनार्थ, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन या डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी आफ इंडिया रूल्स, 1971 के नियम 114 के अधीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में खाद्यान्न के क्रय के संबंध में, जिसमें उद्ग्रहण अंश से अधिक कोई क्रय भी सम्मिलित है, राज्य सरकार या उसके क्रय-अभिकर्ता से किसी व्यापारी द्वारा किया गया प्रथम क्रय ऐसे खाद्यान्न का प्रथम क्रय होगा, और तदनुसार ऐसे व्यापारी पर उस स्थल पर कर लगाया जायगा।"

*श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अक्सर यह देखा जाता है कि बिल तैयार हो जाता है उसके बाद ऐन मौके पर एक संशोधन लाया जाता है। मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री गणों को चाहे वह ला डिपार्टमेंट हो, चाहे पैरेंट डिपार्टमेंट हो, उनको सतर्क कर देना चाहिए कि जबकि बिल को तैयार करते हैं तभी सतर्कता से काम लेना चाहिए। आज सुबह अमेंडमेंट मिला, हम उसको देख नहीं पाये, पढ़ नहीं पाये। जिस वक्त पुरःस्थापित होता है बिल, उसी समय सोच-समझ कर ले आयें तो पढ़ने का अवसर मिलेगा, बहस करने का अवसर मिलेगा तो आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वह कृपा करके, अपने डिपार्टमेंट और ला डिपार्टमेंट को हड़काये

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि जब बिल तैयार करें तो पूरा बिल सोच-समझ कर तैयार करें और पीछे से जो परम्परा चली आती है कि ऐन मौके पर अमेंडमेंट लाकर रख दें, यह बहुत गलत है।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

मान्यवर, जो संशोधन पेश किया गया है उसको मैं स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

नेगी जी ने जो कहा वह ठीक है। कानून बनाने में सामान्य से अधिक सतर्कता और जागरुकता आवश्यक है और समय से आना चाहिये, लेकिन कई दफा होता है जैसे कि आपने यकायक फैसला किया कि कल हम उठेंगे, इसलिए इसको स्वीकार करना पड़ेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मुझे बताया गया कि कल रात को यह अमेंडमेंट आया।

श्री अध्यक्ष—

यह भी हमेशा नहीं बताया जा सकता है कि कोई संशोधन किसी वक्त हम नहीं लायेंगे या क्या लायेंगे? यह तो बिल के बारे में तय हुआ कि यह आयेगा।

प्रश्न यह है कि खंड-2 के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय तथा पश्चात्वर्ती खंडों को पुनः संख्यांकित कर दिया जाय, अर्थात्:—

धारा 3-घ का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3-घ में, उपधारा (1) में वर्तमान स्पष्टीकरण को पुनः संख्यांकित करके स्पष्टीकरण 1 कर दिया जायगा, और तत्पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण 2 बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्:—

अधिनियम सं० 10, 1955

"स्पष्टीकरण 2—इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन या डिफेंस एण्ड इंटरनल सिक्योरिटी आफ इंडिया रूल्स, 1971 के नियम 114 के अधीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में खाद्यान्न के क्रय के सम्बन्ध में, जिसमें उद्ग्रहण अंश से अधिक कोई क्रय भी सम्मिलित है, राज्य सरकार या उसके क्रय-प्रभिकर्ता से किसी व्यापारी द्वारा किया गया प्रथम क्रय ऐसे खाद्यान्न का प्रथम क्रय होगा, और तदनुसार ऐसे व्यापारी पर उस स्थल पर कर लगाया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 और नया खंड 3 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 3-4

धारा 3-ङ का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3-ङ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, और सदैव से रखी गई समझी जायगी, अर्थात्:—

"3-ङ प्रत्येक व्यापारी जो 21 मई, 1974 को या इसके पश्चात् किसी रजिस्टर्ड व्यापारी से, उन परिस्थितियों में, जिनमें ऐसे रजिस्टर्ड

व्यापारी द्वारा कोई कर देय न हो या रजिस्टर्ड व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति से कोई कर-योग्य माल खरीदता है तो वह ऐसे माल के क्रय-मूल्य पर, उसी दर पर, जिस पर ऐसे माल के विक्रय-मूल्य पर कर देय होता यदि उपरिलिखित परिस्थितियां विद्यमान न होतीं, कर का देनदार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि माल पर बिक्री के केवल एक स्थल पर कर देय हो और यदि ऐसा व्यापारी कर निर्धारक अधिकारी के सन्तोषानुसार यह साबित कर दे कि खरीदे गये माल पर कर इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन पहले ही लग चुका है या लगाया जायगा तो इस धारा के अधीन कोई कर देय न होगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि ऐसे माल का क्रय 26 मई, 1975 के पूर्व किया गया हो तो पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खंड का यह अर्थ लगाया जायगा कि शब्द "कर इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन" के पश्चात् शब्द "या केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1965 के अधीन" बढ़ा दिये गये है।"

धारा 3-छ का संशोधन

4 मूल अधिनियम की धारा 3 —छ में, उपधारा (2) के अन्त में, शब्द "या यदि ऐसे विभाग, कम्पनी, निगम या उपक्रम का कोई कार्यालय या अधिष्ठान उत्तर प्रदेश में स्थित न हो" बढ़ा दिये जायेंगे।

श्री प्यारे लाल —

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान खंड—3 को पुनः संख्यांकित करके खंड 4 कर दिया जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खंड—4 के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय और अनुवर्ती खंड तदनुसार पुनः संख्यांकित कर दिये जाय :—

धारा 3-च का संशोधन

"5 —मूल अधिनियम की धारा 3—च में, शब्द "प्रतिबन्ध यह है कि" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा और दिनांक 1 अप्रैल, 1975 से रखा गया समझा जायेगा, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि खाद्यान्न की दशा में, किसी ऐसे व्यापारी द्वारा देय अतिरिक्त कर की दर, जिसके, यथास्थिति, कर देय विक्रय-धन या क्रय-धन या दोनों का योग किसी कर निर्धारण वर्ष में दस करोड़ रुपये से अधिक हो, पांच प्रतिशत होगी :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि"

श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी —

मान्यवर, यह संशोधन मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष . . .

खंड—2 के बाद 3 आ जाता है असल में खंड—2 के बाद अब नया खंड 3 होगा प्रश्न यह है कि वर्तमान खंड—3 को पुनः संख्यांकित करके खंड-4 कर दिया जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खंड 4 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय और अनुवर्ती खंड तदनुसार पुनः संख्यांकित कर दिये जाय :

धारा 3-च का संशोधन

"5—मूल अधिनियम की धारा 3—च में, शब्द "प्रतिबन्ध यह है कि के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा और दिनांक 1 अप्रैल, 197 से रखा गया समझा जायेगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि खाद्यान्न की दशा में, किसी ऐसे व्यापारी द्वारा देय अतिरिक्त कर की दर, जिसके, यथास्थिति, कर देय विक्रय-धन या क्रय-धन या दोनों का योग किसी कर निर्धारण वर्ष में दस करोड़ रुपये से अधिक हो, पांच प्रतिशत होगी :

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि "

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 के बाद नया खण्ड 3 हुआ और खंड 3 पुनः संख्यांकन पर खण्ड 4 हुआ। खंड 2 का संशोधन आया कि 2 के पश्चात 3 रख दिया जाय तो नया खंड 3 हुआ और संशोधन आया कि 3 का 4 हो जाय। तो 4 तक संशोधन जो हुये वह आपने स्वीकार किये। अब मैं एक मर्तबा फिर रखे देता हूं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, के बाद नया खण्ड 3, खंड 3 (पुनः संख्यांकन पर खण्ड 4), खण्ड 4 (पुनः संख्यांकन पर खण्ड 5) और नया खण्ड 5 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 5

5—मूल अधिनियम की धारा 4 में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा और दिनांक 2 मई, 1974 से रखा गया समझा जायगा, अर्थात् :— धारा 4 का संशोधन

"(क) पानी, दूध, नमक, समाचार-पत्र, संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान अधिनियम 1939, में यथा परिभाषित मोटर, स्प्रिट, डीजल आयल और अलकोहल या किसी अन्य माल की बिक्री या खरीद पर, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा छूट दे; या।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 5 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 6 से 15

6—मूल अधिनियम की धारा 4 ख में: धारा 4—ख का संशोधन

(1) उपधारा (1) के खण्ड (क) में, शब्द और अंक "यदि धारा 3-घ के अधीन कर योग्य कोई माल किसी ऐसे व्यापारी द्वारा खरीदा जाय जो उक्त धारा के अधीन, यथास्थिति, अपने क्रय या प्रथम क्रय के क्रय-धन पर कर का देनदार हो" के स्थान पर शब्द और अंक "यदि धारा 3-घ की उपधारा (1) के अधीन कर योग्य कोई माल किसी ऐसे व्यापारी द्वारा खरीदा जाय जो उक्त धारा के अधीन, यथास्थिति, क्रय या प्रथम क्रय के क्रय-धन पर कर का देनदार हो या यदि कोई माल किसी व्यापारी द्वारा उन परिस्थितियों में खरीदा जाय जिनमें ऐसा व्यापारी धारा 3 ङ के अधीन उसके सम्बन्ध में क्रय-कर का देनदार हो," रख दिये जायेंगे और दिनांक 21 मई, 1974 से रखे गये समझे जायेंगे;

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में शब्द "किसी अन्य धारा के अधीन" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन" रख दिये जायेंगे और दिनांक 21 मई, 1974 से रखे गये समझे जायेंगे; और

(3) उपधारा (4) के खण्ड (1) के उप-खण्ड (ग) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (3) के अधीन" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "धारा 8-ग के अधीन" रख दिये जायेंगे और दिनांक 1 मार्च, 1973 से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 8-क का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 8-क में, उप-धारा (1-क) में, खण्ड (ग) और (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे और दिनांक 1 अप्रैल, 1976 से रखे गये समझे जायेंगे, अर्थात्:-

"(ग) रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रत्येक प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में व्यापारी द्वारा पचास रुपये का शुल्क देय होगा। प्रत्येक ऐसे कर निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये, जिसके निमित्त नवीकरण कराया जाना है, पच्चीस रुपये का शुल्क देय होगा।

(घ) जो व्यक्ति, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण के लिये निर्धारित अवधि के भीतर प्रार्थना-पत्र न दे उसे, धारा 14 या धारा 15-क के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपेक्षित शुल्क के अतिरिक्त प्रत्येक मास या उसके भाग के लिये, जिसमें व्यतिक्रम पूर्ववत् बना रहे, 25 रुपये का अर्थ-दंड देना होगा।"

धारा 8-ख का संशोधन

8. मूल अधिनियम की धारा 8-ख में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी और दिनांक 1 अप्रैल, 1976 से रखी गई समझी जायगी, अर्थात्:-

"(2) अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र निर्धारित रीति से सत्यापित किया जायगा, और उसके साथ प्रथम कर निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये, जिसके निमित्त वह दिया गया हो, पचास रुपये, और प्रत्येक अनुवर्ती कर निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये, जिसके निमित्त वह दिया गया हो, पच्चीस रुपये का शुल्क भुगतान करने का सन्तोषजनक प्रमाण होगा।"

धारा 11 का संशोधन

9. मूल अधिनियम की धारा 11 में, उपधारा (1) में, अंक और शब्द "100 रु०" के स्थान पर शब्द "दो सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 32 का संशोधन

10. मूल अधिनियम की धारा 32 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:-

"32-(1) उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, धारा 9 के अधीन अपील के ज्ञाप-पत्र और अधिनियम के अधीन अन्य प्रार्थना-पत्रों पर देय शुल्क निम्नलिखित होगा:

(क) धारा 9 के अधीन अपील के ज्ञाप-पत्र पर	विवादग्रस्त कर, शुल्क या अर्थदण्ड की धनराशि का दो प्रतिशत, किन्तु कम से कम पांच रुपया और अधिक से अधिक दो सौ पचास रुपया।

(ख) धारा 10 के अधीन पुनरीक्षण के लिये प्रार्थना-पत्र पर जो, कर शुल्क या अर्थ दण्ड की वसूली के स्थगन के लिये प्रार्थना-पत्र न हो ।	विवादग्रस्त कर, शुल्क या अर्थ-दण्ड की धनराशि का साढ़े सात प्रतिशत, किन्तु कम से कम पन्द्रह रुपया और अधिक से अधिक पांच सौ रुपया ।
(ग) धारा 35 के अधीन प्रार्थना-पत्र पर	पचास रुपया
(घ) किसी अन्य प्रार्थना-पत्र पर:--	
(1) जब वह बिक्री-कर कमिश्नर या पुनरीक्षण अधिकारी या किसी अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी को सम्बोधित हो ।	तीन रुपया
(2) जब किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को सम्बोधित हो ।	दो रुपया

(2) इस धारा में और इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी अन्य उपबन्ध में निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान -

(क) उत्तर प्रदेश के किसी खजाने या उप-खजाने या स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा में जमा करके किया जायगा और उस दशा में खजाने के चालान की एक प्रति, जिसमें अपेक्षित शुल्क की जमा धनराशि दिखाई गई हो, ज्ञाप-पत्र या प्रार्थना-पत्र से संलग्न की जायेगी; या

(ख) चैक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायगा, और उस दशा में उसको खजाने के चालान की तीन प्रतियों के साथ ज्ञाप-पत्र या प्रार्थना-पत्र से संलग्न किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां देय शुल्क की धनराशि दस रुपये से अधिक न हो, वहां व्यापारी अपनी स्वेच्छा से उसका भुगतान, यथास्थिति, ज्ञाप-पत्र या प्रार्थना-पत्र पर न्यायालय फीस स्टाम्प लगाकर कर सकता है ।

(3) निम्नलिखित के संबंध में कोई शुल्क देय न होगा--

(क) बिक्री-कर कमिश्नर या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन नियुक्त किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना-पत्र; और

(ख) ऐसा प्रार्थना-पत्र जिसमें केवल सूचना मांगी गई हो, और जिसमें किसी विनिर्दिष्ट अनुतोष की प्रार्थना न की गई हो ।"

11--मूल अधिनियम की धारा 34 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्--

नई धारा 35 का बढ़ाया जाना

"35 (1) यदि न्यायालय के समक्ष अथवा धारा 7 या 21 के अधीन कर-निर्धारक अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से अन्यत्र कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ,--	विवादग्रस्त प्रश्नों का अवधारण

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसाइटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यापारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वतः या परिणामतः माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हां, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है; या

(घ) किसी व्यापारी विशेष से रजिस्ट्रीकरण कराना या उसके नवीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र देना अपेक्षित है; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है और यदि हां, तो उसकी दर क्या है;

तो संबंधित व्यक्ति या व्यापारी, धारा 32 में विनिर्दिष्ट शुल्क जमा करके, ऐसे लेखों सहित जो निर्धारित किये जायं, बिक्री-कर कमिश्नर को प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

(2) बिक्री-कर कमिश्नर, प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् इस प्रकार उत्पन्न प्रश्न को, जैसा वह उचित समझे, विनिश्चत करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा विनिश्चय देने के पूर्व बिक्री-कर कमिश्नर स्व-विवेकानुसार अपने अधीनस्थ अधिकारी से ऐसी जांच करने के लिये कह सकता है जिसे वह उस प्रश्न के विनिश्चय के लिये आवश्यक समझे।

(3) इस धारा के अधीन बिक्री-कर कमिश्नर के विनिश्चय से किसी कर निर्धारक अधिकारी, अपील सुनने वाले अधिकारी या पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा पहले दिये गये किसी आदेश की विधि-मान्यता या उसके प्रवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) कोई प्रश्न, जो अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा प्रार्थी के मामले में दिये गये पूर्ववर्ती आदेश से उत्पन्न हों, इस धारा के अधीन अवधारण के लिये ग्रहण नहीं किया जायगा।

(5) इस धारा के अधीन बिक्री-कर कमिश्नर द्वारा दिया गया कोई विनिश्चय, उच्च-न्यायालय को अपील के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा।

(6) इस धारा के अधीन दिये गये विनिश्चय की एक प्रति प्रार्थी और सम्बद्ध कर निर्धारक अधिकारी को भेजी जायेगी।"

प्रथम अनुसूची का संशोधन

12—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में—

(1) क्रम-संख्या 26, 32, 39, 62 और 112 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

क्रम-संख्या	माल का विवरण	स्थल जिस पर कर लगेगा
1	2	3
26	चेहरा, त्वचा, बाल, नाखून, नेत्र या भौंह की शोभा या देखभाल के लिये सभी प्रकार की सौन्दर्यवर्धक एवं प्रसाधन सामग्री, किन्तु इसमें साबुन सेफ्टीरेजर ब्लेड, टूथपेस्ट, टूथपाउडर और अन्य मंजन, टूथब्रश और कुमकुम सम्मिलित नहीं है।	नि० अथवा आ०
32	समस्त बिजली का समान, यंत्र, उपकरण साधित्र और समस्त ऐसी वस्तुयें जिनका प्रयोग विद्युत शक्ति के बिना नहीं हो सकता है और जिसके अन्तर्गत पंखा, प्रतिदीप्ति ट्यूब (जिसके अन्तर्गत इनके स्टार्टर, चोक, फिक्सचर, फिटिंग्स और सम्बद्ध सामान भी है), बिजली के भृत्ति का पात्र और पोर्सीलन और अन्य सम्बद्ध सामान और सहयोगी भाग हैं, जो चाहे पूर्णतः या अंशतः बेचे जाते हैं, किन्तु इसमें विद्युत शक्ति के जनन, वितरण और पारेषण के लिय अपेक्षित बिजली की सज्जा, संयंत्र और उनके सम्बद्ध सामान, इलेक्ट्रिकमोटर और उसके भाग, टार्च, टार्च-सेल, टार्च बल्ब, ड्राइ सेल बैट्री और फिलामेन्ट लाइटिंग बल्ब सम्मिलित नहीं है।	नि० अथवा आ०
39	कांच के बने समस्त सामान और बर्तन, किन्तु इसके अन्तर्गत सादा कांच फलक, चश्मों क शीशे, हरीकेन लालटेन की चिमनी, बोतल और शीशी, कांच की गुरियां (बीड्स), क्लिनिकल सीरिंज, थर्मामीटर और कांच के बने वैज्ञानिक यंत्र और उपकरण सम्मिलित नहीं है।	नि० अथवा आ०
62 (क)	मोटरकार	उपभोक्ता के हाथ बिक्री अथवा उपभोक्ता द्वारा क्रय के लिये वित्त व्यवस्था करने वाली क्रय-विक्रय कम्पनी के हाथ बिक्री।

विधान सभा

क्रम-संख्या	माल का विवरण	स्थल जिस पर कर लगेगा
1	2	3
	(ख) मोटर ट्रक और मोटर बस जिसके अन्तर्गत उनके चेसिस और उन पर बनाई गई मोटर बाडीज भी हैं।	उपभोक्ता के हाथ बिक्री अथवा उपभोक्ता द्वारा क्रय के लिये वित्त व्यवस्था करने वाली क्रय-विक्रय कम्पनी के हाथ बिक्री।
	(ग) सभी मोटर गाड़ियां जिसके अन्तर्गत उनके चेसिस भी हैं, और सभी आकार और डिजाइन की मोटर बाडीज (जिसके अन्तर्गत मोटर कारवां और टैंकर भी हैं), चाहे वे चेसिस पर बने हों या अलग से।	तदेव
112	(क) इलेक्ट्रानिक का सामान, सज्जा, उपकरण और उनके भाग तथा सम्बद्ध सामान किन्तु इसमें टेलीविजन सेट सम्मिलित नहीं है।	नि0 अथवा आ0
	(ख) टेलीविजन सेट	नि0 अथवा आ0

(2) क्रम-संख्या 89 के सामने स्तम्भ 2 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा और दिनांक 2 मई, 1974 से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्—

"सभी प्रकार की स्प्रिट और स्प्रिटमय शराब, जिसमें मेथाइल अल्कोहल सम्मिलित है किन्तु देशी शराब सम्मिलित नहीं है और जिसमें संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल कराधान अधिनियम, 1939 में यथापरिभाषित अल्कोहल भी नहीं है।"

कतिपय नियमों का संशोधन

13—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम, 1948 ई0 में,—

(1) नियम 12-क में, उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा, अर्थात्:—

"(4) कोई सादा रूप-पत्र तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि व्यापारी द्वारा 25 रूप-पत्रों की प्रति पुस्तिका के लिये 3.75 रुपये या प्रति रूप-पत्र के लिये 15 पैसे की दर से शुल्क का भुगतान न कर दिया गया हो।";

(2) नियम 12-क में, उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा, अर्थात्:—

"(3) कोई सादा रूप-पत्र तब तक जारी नहीं किया जायगा जब तक कि व्यापारी द्वारा 50 रूप-पत्रों की प्रति पुस्तिका के लिये 7.50 रुपये या प्रति रूप-पत्र के लिये 15 पैसे की दर से शुल्क का भुगतान न कर दिया गया हो।";

(3) नियम 19 के खण्ड (क) में, शब्द "सरकारी खजाने में चालान के सहित" निकाल दिये जायेंगे;

(4) नियम 20-ख में—

(क) शब्द 'खजाने का ऐसा चालान भी होगा' के स्थान पर शब्द 'ऐसा प्रमाण भी होगा' रख दिये जायेंगे; तथा

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द "खजाने का चालान भी होगा" के स्थान पर शब्द "ऐसा प्रमाण भी होगा" रख दिये जायेंगे;

(5) नियम 25-ख में,—

(क) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा और दिनांक 1 अप्रैल, 1976 से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्—

"(3) उप नियम (1) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिये प्रत्येक प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में 50 रुपये का शुल्क देय होगा, और प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये, जिसके निमित्त मान्यता की नवीकृति कराना है, 25 रुपये का शुल्क देय होगा।";

(ख) उप नियम (5) में, अन्त में आये हुए पूर्ण विराम के स्थान पर अल्प-विराम रख दिया जायगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"और उस कर निर्धारण वर्ष के, जिसमें वह जारी किया जाय, अन्त तक प्रभावी होगा। यदि व्यापारी उसका नवीकरण कराना चाहता है तो वह उसकी समाप्ति के दिनांक के पूर्व उपनियम (1) के अनुसार प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसके साथ उप नियम (3) में निर्धारित शुल्क जमा करने का सन्तोषजनक प्रमाण होगा। यदि बिक्री-कर अधिकारी का समाधान हो जाये कि प्रार्थना-पत्र नियमानुसार है और शुल्क जमा कर दिया गया है तो वह एक बार में तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिये, जैसी नवीकरण प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित हो, प्रमाण-पत्र का नवीकरण करेगा।";

(ग) उप नियम (11) में, शब्द और अंक "5 रुपये" के स्थान पर शब्द और अंक "10 रुपये" रख दिये जायेंगे;

(6) नियम 25-ख में, उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा, अर्थात्:—

"(2) कोई व्यापारी, जिसके पास मान्यता का प्रमाण-पत्र हो और जो धारा 4-ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट रियायत लेना चाहता हो, उन बिक्री-कर अधिकारी को, जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर उसके व्यापार का मुख्य स्थान स्थित हो, घोषणा का सादा प्रपत्र जारी करने के लिये प्रार्थना-पत्र देगा। बिक्री-कर अधिकारी द्वारा घोषणा का सादा प्रपत्र तब तक जारी नहीं किया जायगा जब तक कि

उसके 25 प्रपत्रों की प्रति पुस्तिका के लिये 3.75 रुपये या प्रति प्रपत्र के लिये 15 पैसे की दर से शुल्क का भुगतान न कर दिया गया हो। प्रार्थना-पत्र पर नियम 25-क के उप नियम (1) में उल्लिखित किसी एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जायगा।"

(7) नियम 41 मे, उपनियम (1) मे निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यथोक्त विवरण-पत्र प्रस्तुत करने के बजाय व्यापारी, ठीक पहले वाले वर्ष में अपने विवरण-पत्र में स्वीकृत विक्रय धन के आधार पर, उस वर्ष का विक्रय धन अनुमानित कर सकता है, उस पर देय कर की धनराशि आकलित कर सकता है और प्रत्येक तिमाही के प्रथम दो मास में प्रत्येक मास में उसके बारहवें भाग के बराबर धन-राशि जमा कर सकता है, तथा प्रसंगोचित तिमाही के लिये अपने विवरण-पत्र में, जो इस उप-नियम में व्यवस्थित रीति से तैयार और प्रस्तुत किया जायगा, स्वीकृत विकय- धन पर देय कर का अवशिष्ट भाग जमा कर सकता है।";

(8) नियम 46—क में, शब्द और अंक "1 रु० 25 पैसे" के स्थान पर शब्द "दो रुपये" रख दिये जायेंगे;

(9) नियम 46-ख में, शब्द और अंक "1 रु0" के स्थान पर शब्द "दो रुपये" रख दिये जायेंगे;

(10) नियम 54 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा, अर्थात्:—

"(2) प्रत्येक प्रार्थना-पत्र के साथ अधिनियम में विनिर्दिष्ट शुल्क और अर्थ-दण्ड, जहां देय हो, जमा करने का सन्तोषजनक प्रमाण होगा।"

(11) नियम 58 में, उपनियम (1) में, शब्द और अंक "और खजाने का चालान संलग्न होगा, जिससे ज्ञात हो कि 10 रु0 का शुल्क खजाने में जमा कर दिया गया है" के स्थान पर शब्द "और शुल्क जमा करने का सन्तोषजनक प्रमाण होगा" रख दिये जायेंगे;

(12) नियम 61 में शब्द और अंक "जिसके साथ खजाने का चालान इस बात का भेजा जायगा कि सरकारी खजाने में 2 रुपये का शुल्क जमा कर दिया गया है" के स्थान पर शब्द और अंक "जिसके साथ 10 रु0 का शुल्क जमा करने का सन्तोषजनक प्रमाण होगा" रख दिये जायेंगे;

(13) नियम 63 निकाल दिया जायगा;

(14) नियम 70 में, उपनियम (2) में, शब्द और अंक "1 रु0 25 पैसे" के स्थान पर शब्द "दो रुपये" रख दिये जायेंगे;

(15) नियम 77-ग में,—

(क) उप नियम (1) में, शब्द "पच्चीस नये पैसे" के स्थान पर शब्द "एक रुपये" रख दिये जायेंगे; और

(ख) उप नियम (3) में, शब्द "पचास नये पैसे" के स्थान पर शब्द "एक रुपये" रख दिये जायेंगे;

(16) नियम 85 के उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(3) बिक्री-कर अधिकारी द्वारा कोई सादा घोषणा-पत्र तब तक जारी नहीं किया जायागा जब तक कि प्रति-प्रपत्र के लिये पन्द्रह पैसे या 50 प्रपत्रों की एक पुस्तिका के लिये 7.50 रु0 की दर से शुल्क का भुगतान नहीं कर दिया गया हो। प्रार्थना-पत्र पर नियम 54 के उप नियम (1) में उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति या नियम 77-क के अधीन यथा विधि प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जायगा।"

(17) नियम 86 के उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा, अर्थात् :—

"(3) कोई प्रमाण-पत्र तब तक नहीं दिया जायगा जब तब कि प्रति प्रमाण-पत्र के लिये बीस पैसे के शुल्क का भुगतान न कर दिया जाय।"

कतिपय विज्ञप्तियों का संशोधन और वैधीकरण

14.— (1) मूल अधिनियम की धारा—4 के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0—2-6623/दस —1012-1972, दिनांक 1 दिसम्बर, 1973 में, शब्द "(1) पुस्तकें तथा पत्रिकायें, और (2) कापियां (Exereise Book) यदि वे उत्तर प्रदेश में खरीदे गये कागज से बनाई गई हों, बशर्ते कि व्यापारी कर निर्धारक अधिकारी के सन्तोषानुसार उसका प्रमाण प्रस्तुत कर दें" के स्थान पर "पुस्तकें तथा पत्रिकायें" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

(2) मूल अधिनियम की धारा 3-क के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सरकारी विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2—6624/दस—1012—1972, दिनांक 1 दिसम्बर, 1973 में, उसकी सूची की क्रम संख्या 4 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्:—

"4 कापियां————————————5 प्रतिशत"

(3) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व इस धारा द्वारा यथा संशोधित उपधारा (2) में निर्दिष्ट विज्ञप्ति के अधीन आरोपित, निर्धारित, उद्गृहीत या वसूल किया गया कोई कर, किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, विधि के अनुसार विधिमान्यतः आरोपित, निर्धारित, उद्गृहीत या वसूल किया गया समझा जायगा, मानों इस धारा द्वारा यथासंशोधित उपर्युक्त विज्ञप्ति सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थी जब ऐसा कर आरोपित, निर्धारित, उद्गृहीत या वसूल किया गया था।

वैधीकरण

15— किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही (जिसमें जारी की गई कोई विज्ञप्ति भी सम्मिलित है), जो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, वैसे ही वैध और विधिपूर्ण होगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह कि खण्ड 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 और खंड 15 इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 ई० का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15, 1948

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी —

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1976, जैसा कि वह संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1976, जैसा कि वह संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

जैसा कि मैंने अभी वोट के लिए रखा था कि खंड 2 का खंड 3 हो जाय, खंड 4 को इस विधेयक का अंग बनाया जाय, खंड 5 को इस विधेयक का अंग बनाया जाय और उसके बाद खंड 2 को अंग बनाया जाय।

जब खंड 2 को विधेयक का अंग बना दिया तो बाद में सेक्शन 3 कैसे आयेगा, इसलिये सचिव ने जो सलाह दी, उससे मैं इत्तफाक नहीं करता हूं। मैं इसके बारे में खुला दिमाग रख रहा हूं। अगर खंड 2 का 3 हो जाय, तो हम 3 को विधेयक का अंग बनायें और तब दो को अंग बन सकते हैं। आपका कहना है कि पहले 2 को विधेयक का अंग बनायें तब 3 को विधेयक का अंग बनावें। मेरा कहना है कि जब उसे अंग बना दिया तो 3 में कैसे जायेगा। यह कोई प्रक्रिया सम्बन्धी दोष नहीं होता, इसलिये मैं आगे चलता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1976 †

परिवहन मंत्री (श्री शिव प्रसाद सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

खंडों में कोई संशोधन नहीं है और इस पर किसी को बोलना भी नहीं है।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)--

श्रीमन्, मैं दो स्पष्टीकरण चाहता हूं। पहला स्पष्टीकरण तो यह है कि जहां रोडवेज की बसेज चलती है वहां मिनी बसेज बिलकुल न चलने दी जाएं।

श्री अध्यक्ष--

यह स्पष्टीकरण नहीं है, आप सुझाव दे रहे हैं। प्रश्न यह है कि इस पर विचार किया जाय या नहीं।

श्री प्यारेलाल--

दूसरा स्पष्टीकरण यह है कि.....

श्री अध्यक्ष--

जब आप समय पर उठ नहीं सकते तो इसके लिये मैं क्या करूं। मैंने कहा कि प्रश्न यह है कि इस पर विचार किया जाय। खंडों में संशोधन भी नहीं है तब आप खड़े नहीं हुए। अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

जैसा कि मैंने कहा कि खंडों में कोई संशोधन नहीं है इसलिये मैं खंडों को रखता हूं।

खण्ड 2 से 16

2--जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में,-- परिभाषायें

(क) पद "अनुमोदित योजना", "अधिसूचित क्षेत्र" और "अधिसूचित मार्ग" के वही अर्थ होंगे जो मूल अधिनियम की धारा 68-डी में दिये गये हैं;

---

†10 मार्च, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकारी से है;

(ग) "निगम" का तात्पर्य स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ऐक्ट, 1960 की धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से है;

(घ) "मिनि-बस" का तात्पर्य उस "आम्नी बस" से है जो ड्राइवर को छोड़कर 35 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित हो;

(ङ) बिनिष्ट सीमा" का तात्पर्य ऐसी सीमा या ऐसे क्षेत्र भागों से है, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिष्ट करे;

(च) उन शब्दों और पदों के, जो यहां पर प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित हैं और मूल अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो मूल अधिनियम में उनके लिए दिये गये हैं।

सक्षम प्राधिकारी

3—(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक प्राधिकारी का गठन करेगी जो "सक्षम प्राधिकारी" कहा जायगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

(एक) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का महाप्रबन्धक;

(दो) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश;

(तीन) राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव।

(2) सक्षम प्राधिकारी की किसी बैठक में उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सदस्यों का प्रतिनिधित्व उप महाप्रबन्धक, उप परिवहन आयुक्त और उप सचिव से अनिम्न श्रेणी के सम्बन्धित अधिकारी कर सकते हैं और इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारियों को मत देने का अधिकार होगा और उस बैठक के प्रयोजनों के लिए उन्हें सक्षम प्राधिकारी का सदस्य समझा जायगा।

(3) एक सदस्य को सक्षम प्राधिकारी के अध्यक्ष के रूप मे कार्य करने के लिए निर्वाचित किया जायगा।

(4) उपधारा (1) में उल्लिखित किसी सदस्य के परिवर्तन से या उपधारा (2) के अधीन किसी प्रतिनिधि के परिवर्तन से कोई प्रभाव किसी विचाराधीन कार्यवाही पर नहींपड़ेगा, जो उस प्रक्रम के आगे, जबकि इस प्रकार का परिवर्तन हुआ, जारी रखी जा सकेगी।

(5) सक्षम प्राधिकारी एक सचिव नियुक्त करेगा, जो राज्य सरकार या निगम का अधिकारी हो सकता है।]

(6) सक्षम प्राधिकारी के समस्त आदेश और विनिश्चय अध्यक्ष के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे, और प्राधिकारी द्वारा निर्गत अन्य लिखत सचिव के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

कतिपय शर्तों पर विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर निजी मिनि-बस के उपयोग का प्राधिकार देना

4—(1) जहां किसी व्यक्ति को जो कोई संस्था या निगमित निकाय नहीं है जिसके पास मिनि-बस है, ऐसी मिनि-बस को संविदा गाड़ी के रूप में उपयोग करने के लिये अनुज्ञा-पत्र दिया गया है, वहां सक्षम प्राधिकारी उसके आवेदन-पत्र पर अनुमोदित योजना के अन्तर्गत आने वाली विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर उसका उपयोग यात्री गाड़ी के रूप में

करने के लिये ऐसे निबन्धन और शर्तों के अधीन जो मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में या किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में हो सकते हैं जैसा वह ठीक समझे, प्राधिकृत कर सकता है और ऐसी अवधि के लिये जिसमें ऐसा प्राधिकरण प्रवृत्त हो अनुज्ञा-पत्र को ऐसे प्राधिकरण की सीमा तक उपान्तरित समझा जायगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकल प्रभाव डाले बिना, ऐसे प्राधिकरण की यह शर्त होगी कि मिनि-बस का स्वामी निगम को ऐसी राशि देगा, जो सक्षम प्राधिकारी मार्ग के प्रकार और श्रेणी, समावृत दूरी, बैठने की जगह और अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निश्चित करें, और निगम के ऐसे प्रशासकीय और परिचालन सम्बन्धी नियंत्रण के अधीन रहेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर आदेश द्वारा निदेश दे ।

(3) यदि किसी समय सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि उन निबन्धनों और शर्तों का, जिनके अधीन उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकरण दिया गया था, उल्लंघन किया गया है तो वह उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, उक्त प्राधिकरण का विखण्डन कर सकता है, और तदुपरान्त यह समझा जायगा कि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञा-पत्र की स्थिति पूर्ववत् हो गई है जिसमें वह प्राधिकरण के पूर्व था ।

सम्पथ और अन्तर्राज्य मार्गों पर अन्य गाड़ियों का उपयोग करने का प्राधिकार देना

5--(1) किसी अनुमोदित योजना में समाविष्ट किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत कर सकता है कि--

(क) यात्री गाड़ी के अनुज्ञा-पत्र का कोई धारक अपनी यात्री गाड़ी को अधिसूचित मार्ग के ऐसे भाग पर, जो विनिर्दिष्ट किया जाय, और ऐसी अवधि के लिये और ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन, जो मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट बातों के सम्बन्ध में या किसी अन्य बात के सम्बन्ध में हो सकते हैं, जैसा वह ठीक समझे, चलायें;

(ख) कोई राज्य परिवहन उपक्रम या उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य या संघीय राज्य क्षेत्र का सांविधिक निगम अपनी सार्वजनिक सेवा गाड़ियों को, उत्तर प्रदेश के राज्य-क्षेत्र में अधिसूचित या अनधिसूचित मार्ग को समावृत्त करते हुए, किसी अन्तराज्य मार्ग पर ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन, जैसा वह ठीक समझे, चलायें; और

(ग) जिस अवधि में ऐसा प्राधिकरण प्रवृत्त रहे, योजना ऐसे प्राधिकरण की सीमा तक उपान्तरित समझी जायेगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे प्राधिकार की यह शर्त होगी कि, यथास्थिति, यात्री गाड़ी, या सार्वजनिक सेवा गाड़ी का स्वामी निगम को ऐसी राशि देगा जो सक्षम प्राधिकारी मार्ग के प्रकार और श्रेणी, समावृत्त दूरी, बैठने की जगह और अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निश्चित करें, और निगम के ऐसे प्रशासकीय और परिचालन सम्बन्धी नियंत्रण के अधीन रहेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर आदेश द्वारा निदेश दे ।

विनियम

6--सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, धारा 4 या धारा 5 के अधीन प्राधिकरण प्राप्त करने की रीति और प्रक्रिया को नियंत्रित करने, और सामान्यतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये विनियम बनायेगा।

सेवाओं की संख्या का विनिर्देश धारा 68-सी या 68-डी की आवश्यक अपेक्षा नहीं होगी

7--मूल अधिनियम की धारा 68-सी या 68-डी की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि किसी अनुमोदित योजना में व्यवस्था की जाने वाली सेवाओं की संख्या को विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षा की गई है या कमी की गई थी।

इस अधिनियम और इसके अधीन आदेश मूल अधिनियम के अध्याय 4 और 4-ए पर अधिभावी होंगे

8--इस अधिनियम और इसके अधीन दिये गये आदेशों के उपबन्ध प्रभावी होंगे, भले ही मूल अधिनियम के अध्याय 4 और 4-ए में या किसी ऐसे अनुज्ञा-पत्र, योजना, अधिसूचना या अन्य लिखत में, जिसका उक्त अध्याय के उपबन्धों के आधार पर प्रभाव है, कोई असंगत बात वी हो।

आदेशों का अन्तिम होना

9--(1) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध राज्य सरकार को प्रत्यावेदन कर सकता है, और तत्पश्चात् राज्य सरकार उस पर ऐसा आदेश दे सकती है जैसा वह उचित समझे और उसका आदेश अन्तिम होगा।

(2) उपधारा (1) में यथा उपबन्धित के सिवाय, धारा 4 या धारा 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी या मूल अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी या न्यायाधिकरण में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जायगा।

निदेशों की अवज्ञा; बाधा तथा सूचना से इन्कार करना

10--इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध रूप से दिये गये किसी निदेश और इस अधिनियम के अधीन उस प्राधिकारी द्वारा किसी कृत्य के निर्वहन के सम्बन्ध में मूल अधिनियम की धारा-113 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

मूल अधिनियम की धारा 133-ए का लागू होना

11--(1) मूल अधिनियम की धारा 43-ए, में, उपधारा (6) में, शब्द और अंक "50 और 57" के स्थान पर शब्द और अंक "50, 57 और 68 एफ" रख दिये जायेंगे।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के सम्बन्ध में मूल अधिनियम की धारा 133-ए, आवश्यक परिवर्तन सहित, उसी प्रकार लागू होगी जिस प्रकार वह मूल अधिनियम के उपबन्धों के सम्बन्ध में लागू होती है।

प्राधिकरण का समाप्त किया जाना

12--जहां राज्य सरकार, किसी समय लोक हित में अधिसूचना द्वारा निदेश देती है कि धारा 4 या धारा 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये सभी या कोई प्राधिकरण अधिसूचित दिनांक से प्रभावी नहीं रहेंगे, वहां उक्त प्राधिकरण प्रभावी नहीं रह जायेंगे और किसी प्राधिकरण के समाप्त होने से राज्य सरकार या निगम या सक्षम प्राधिकारी या उसके सदस्यों के विरुद्ध प्रतिकर के लिये कोई दायित्व उपगत नहीं होगा।

शंका का निराकरण

13--शकाओं के निराकरण करने के लिये एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि धारा 4 या धारा 5 के अधीन कोई विनिश्चय करने या आदेश देने के पूर्व किसी प्रभावित पक्ष या अन्य व्यक्ति की सुनवाई करना सक्षम प्राधिकारी के लिये आवश्यक नहीं होगा।

देयों की वसूली

14--धारा 4 या धारा 5 के अधीन दिये गये किसी आदेश के अनुसार निगम को देय किसी राशि को निगम के महाप्रबन्धक के प्रमाण-पत्र पर भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल किया जा सकता है।

उन्मुक्ति

15--इस अधिनियम के अधीन किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी कार्य के लिये और विशेषतः धारा 12 के अधीन दिये गये किसी निदेश के आधार पर राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी या उसके सदस्यों के विरुद्ध या निगम के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं की जायगी।

वैधीकरण

16--किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, कोई योजना जो मूल अधिनियम की धारा 68-सी के अधीन निर्मित या प्रकाशित की गयी हो या धारा 68-डी के अधीन अनुमोदित या उपान्तरित हो, या निर्मित, प्रकाशित, अनुमोदित या उपान्तरित अभिप्रेत हो, इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जायगी या कभी अविधिमान्य नहीं रही होगी कि उसमें व्यवस्थित सेवाओं की संख्या विनिर्दिष्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तथा 16 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1976

मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 के अधीन मोटर गाड़ियों के वर्तमान अनुज्ञा-पत्रों के सम्बन्ध में और उक्त ऐक्ट के अध्याय 4-ए के अधीन अधिसूचित अथवा अधिसूचित होने के लिये अभिप्रेत योजनाओं, मार्गों और क्षेत्रों के सम्बन्ध में कुछ अस्थायी उपबन्ध करने, तथा सम्बद्ध विषयों के लिए प्राविधान करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रयुक्त

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह अधिनियम केवल इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) अध्याय 4-ए के अधीन अनुमोदित अथवा अनुमोदित होने के लिए अभिप्रेत योजनाओं व अधिसूचित अथवा अधिसूचित होने के लिये अभिप्रेत क्षेत्रों और मार्गों और मूल अधिनियम के अधीन उक्त प्रारम्भ के पूर्व निर्गत अनुज्ञा-पत्रों के सम्बन्ध में लागू होगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शिव प्रसाद सिंह --

श्रीमन्, इसमें एक शाब्दिक संशोधन आया था।

श्री अध्यक्ष--

अब क्या आयेगा।

श्री शिव प्रसाद सिंह --

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

अब आप (श्री प्यारे लाल से) सुझाव दे सकते हैं।

*श्री प्यारे लाल--

मान्यवर, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली तो यह है कि रोडवेज के क्षेत्र में मिनि बसेज न चलायी जाएं, अगर मिनि बसेज चलायी गयीं तो रोडवेज फेल हो जायेगी। दूसरी बात यह है कि डी0 टी0 ओ0 चलाकर रोडवेज को फेल कर दिया गया है। तो आप एक कूपन सिस्टम बना दें जहां सवारी चाहे चढ़े और जहां चाहे उतर जाय। ऐसा न किया गया तो इतना बड़ा डिपार्टमेन्ट फेल हो जायगा, रोडवेज फेल हो जायगी।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

अध्यक्ष महोदय, मैं शर्मा जी की बात का पूरा समर्थन करता हूं। जब भी शासन में जो नये मंत्री आये उन्होंने अपनी एक पालिसी चलायी। मान्यवर, पहले मिनि बसेज बिल्कुल नामंजूर कर दी गयीं थीं। बड़ी कोशिश की गयी थी, मुझे मालूम है कि देहरादून के एक एजेंट साहब थे, उन्होंने मिनि बसेज मंगायीं थीं और तमाम खुशामद की कि उनको परमिट मिल जाय। लेकिन नहीं मिला। कुछ दिनों पहले इनके परिमिट दिये गये जिससे खूब दुरुपयोग हुआ। बजाय उनको सजा देने के अब उनको इनाम दिया जा रहा है कि राष्ट्रीय कृत मार्गों के ऊपर मिनि बसेज चलायीं जायेंगी। तो मेरा निवेदन है कि अगर रोडवेज वहां अपनी गाड़ियां, कहीं पर नहीं चला सकता है तो वहां से हट जाय। दोनों को साथ-साथ लायेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। रोडवेज घाटे में रहेगी। आपने कहा है कि जो नेशनलाइज्ड रूट हैं उन पर मिनि बसें चलेंगी और कारपोरेशन को पैसा देंगे। तो कारपोरेशन को वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काहे का पैसा दें। यह मेरी समझ में नहीं आता। अब है क्या, मान्यवर, पूरा कारपोरेशन घाटे पर जा रहा है। इस घाटे को पूरा करने के लिये आप मिनि बसेज से टैक्स लेंगे ताकि घाटा पूरा हो सके। इस कारपोरेशन के निकम्मेपन की वजह से घाटा बढ़ता चला जा रहा है उसको कवर करने के लिये यह नयी नीति बनायी गयी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप कहीं पर अपनी बसें नहीं चला सकते हैं तो वहां पर प्राइवेट बसेज को, मिनि बसेज को चलने दीजिए उस रूट को खुला छोड़ दीजिए। दोनों को साथ-साथ चलाने से रोडवेज घाटे में चलेगी।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मान्यवर, मैं नेगी जी की बातों को जनहित की नहीं मानता हूं। मैं तो ऐसा महसूस करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी सड़कों पर रोडवेज की या प्राइवेट लोगों की बसें चल रहीं हैं वहां पर पैसेंजरों की काफी भीड़ है। हमारे पास साधन भी नहीं हैं कि हर जगह पर हम अपनी बस चला सकें, या उतनी बसें खरीद सकें। मान्यवर, बलिया उजागर घाट पर बहुत प्रेशर है, इसी तरह से बक्सर में जब मेला होता है तो बड़ी भीड़ होती है और कलेक्टर साहब से कह कर वहां पर मिनी बसेज और प्राइवेट गाड़ियों को डलवाते हैं जिससे आवागमन हो सके। मैंने इसलिए इस बिल को पढ़ा भी नहीं है। मान्यवर, मेरा जिला बिहार से लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी को चाहिये कि वह बिहार के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अध्ययन करें। वहां राष्ट्रीयकृत मार्गों पर तमाम लोगों की प्राइवेट गाड़ियां भी चलती हैं, मिनि बसेज चलती हैं। तो यहां मिनि बसेज को अपने फ्लीट में शामिल किया जाय, तमाम मिनि बसेज बेकार पड़ी हैं। उनका उपयोग करने के लिये विभाग की तरफ से सुविधा देकर जिसमें आवागमन में सुविधा हो तो अच्छी बात है।

*श्री रुद्र प्रसाद--

मान्यवर, यह जो संशोधन आया है उसके पहले जो ऐक्ट था उसमें मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि उससे परेशानी पैदा हो गयी थी। जैसे मिर्जापुर से बनारस तक जाने के लिये एक स्थान पड़ता है नरायनपुर वहां से 13 मील चूंकि वह राष्ट्रीयकृत मार्ग था और गाड़ियां वहां रुक जाया करती थीं। बसें मिल जाती थी तब पैसेन्जर जाते थे। लेकिन यह सुविधा मिलने से अब वह परेशानी दूर हो गयी है। इसके लिये विभाग बधाई का पात्र है।

श्री शिव प्रसाद सिंह--

मान्यवर, बहुत चीजें स्पष्ट हो गयी हैं लेकिन 2-3 बातें रह गयी हैं उसमें मुझे नम्रता से कहना है कि यह संशोधन केवल मिनी बसों के बारे में ही नहीं है। इसमें तीन बातें आयी हैं। एक तो 768 मिनी बसें जिसमें रुपया लाकडअप है उनके ऊपर कर्जा बढ़ रहा है जैसा कि मुझे अभी बताया गया कि कारीगार रिस्ट्रिक्शन की वजह से 70-80 मील का रुट यदि मान लिया जाय। बीच में 8 मील का कारीगार रिस्ट्रिक्शन पड़ गया और वहां चलने की आज्ञा नहीं है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अन्तर्गत होता था कि वहां पर पैसेन्जर को उतार दें और सरकारी गाड़ी आध या एक घंटे में जब आयेगी और अभी-कभी नहीं भी आती है, तो पैसेन्जरों को वहीं रहना पड़ता था, तब ले जायेंगी। लेकिन पैसेन्जरों को किसी को अस्पताल जाना है किसी को कचेहरी जाना है तो उनकी परेशानी को हल करना था और यदि इसमें सरकार को कोई घाटा भी हो लेकिन जनता को सुविधा मिले तो कोई घाटा नहीं होगा। लेकिन जब कारीगार रिस्ट्रिक्शन मार्ग पर चलने की अनुज्ञा प्राप्त होगी तो उनसे रायल्टी ली जायेगी ताकि यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 को कोई नुकसान न हो और जनता को

---

*वक्ता ने भाषण का पूर्वोन्नयन नहीं किया।

[श्री शिव प्रसाद सिंह]

सुविधा भी हो। बीच में यदि ऐसी सड़क पड़ती है जो कि राष्ट्रीय कृत मार्ग है तो उसमें भी ऐसा कर सकते हैं। मान्यवर, तीसरी चीज इन्टर स्टेट एग्रीमेन्ट है जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश आदि इस तरह के बहुत से एग्रीमेन्ट इसलिये इक्जीक्यूट नहीं किये गये चूंकि हमारे पहले के बिल में यह प्राविधान नहीं था। इसलिये इसमें तीन प्राविधान किये गये हैं। इससे सारी दिक्कतें दूर हो जायेंगी और जनता को जल्दी की सुविधा हो जायेगी। साथ ही साथ यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 को कोई नुकसान नहीं होगा। हम तो प्रयास करना चाहते हैं कि जिनकी गाड़ियां खड़ी हैं और परमिट नहीं मिला है तो वह यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 के बेड़े को ज्वाइन कर लें तो हम उनके कर्जे को अदा करते रहेंगे। इस प्रकार यदि 4–6 सर्विसेज हैं तो वह बढ़कर 15–20 सर्विसेज हो जायेंगी और इस तरह से जनता को सुविधा मिल जायेगी। इन शब्दों के साथ मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य-संचालन) (संशोधन) विधेयक, 1976

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य-संचालन) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय। मान्यवर, लोक सेवा अयोग की प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य-संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य-संचालन) विधेयक; 1974 बनाया गया था। इसके अन्तर्गत यह व्यवस्था थी कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियम बना सकते हैं। सर्वाधिकार उनको प्राप्त था। उसमें यह भी व्यवस्था थी कि नियम बनाने से पहले राज्यपाल का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लें। मान्यवर, जबसे यह अधिनियम बना तबसे यह देखा गया कि कई कठिनाइयां पैदा हो गयीं उदाहरणार्थ लोक सेवा आयोग के कुछ सदस्यों को यह शिकायत थी कि सर्वाधिकार अध्यक्ष जी को है और उनका कोई अधिकार नहीं है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये यह महसूस किया गया कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाय कि लोक सेवा आयोग का काम सुचारु रूप से चल सके। अतः इस विधयक के द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि प्रक्रिया विनियमित करने के जो नियम बनाये जाते हैं वह अध्यक्ष और लोक सेवा आयोग के सभी सदस्य मिलजुलकर बनायें और राज्यपाल का जनपूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की व्यवस्था थी उसे भी समाप्त किया जाय। इसीलिए यह छोटा सा विधेयक इस आदरणीय सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य-संचालन) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1 से 4 तथा प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य संचालन) (संशोधन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य-संचालन) अधिनियम, 1974 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य-संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा। — संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य-संचालन) अधिनियम, 1974 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में :— — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1974 की धारा 2 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, शब्द "का अध्यक्ष, राज्यपाल के पूर्वानुमोदन से" निकाल दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (3) में शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "आयोग" रख दिया जायगा।

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, शब्द "आयोग के आदेश तथा निर्णय ऐसी रीति से और ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे राज्यपाल, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करें, प्रमाणित किये जायेंगे" के स्थान पर शब्द "आयोग के आदेश, निर्णय, संस्तुति और परामर्श को आयोग का सचिव, या आयोग का ऐसा अन्य अधिकारी जिसे आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे यथास्थिति, अपने हस्ताक्षर से प्रमाणीकृत संसूचित या प्रकाशित करेगा" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे। — धारा 3 का संशोधन

4—(1) इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम के संशोधित किये जाने पर भी, मूल अधिनियम के, जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधन के ठीक पूर्व था, और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा या उसकी ओर से सभी कार्य, आदेश, निर्णय, संस्तुति, जिसमें कोई साक्षात्कार, चयन या प्रतियोगी परीक्षा का संचालन, या किसी परीक्षाफल की घोषणा भी सम्मिलित है, विधिमान्य और सदैव विधिमान्य समझी जायगी, और किसी साक्षात्कार, चयन या प्रतियोगी परीक्षा के सम्बन्ध में किसी अग्रतर कार्यवाही को, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार उस प्रक्रम से पूर्ववत् जारी रखा जा सकता है जिस पर वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व था। — अपवाद

(2) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि इससे आयोग के अध्यक्ष द्वारा आयोग की बैठक बुलाने या उसकी अध्यक्षता

करने की शक्ति या उन्हें किन्हीं विनियमों द्वारा प्रदत्त या उनमें अन्यथा निहित किसी प्रशासकीय शक्ति पर कोई प्रभाव पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3 और 4 एवं खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य-संचालन) (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य-संचालन) (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में संकल्प

*विद्युत् मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)---

अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करती हूं:---

"चूंकि इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 (ऐक्ट संख्या 54, 1948) की धारा 65 की उपधारा (3) के उपबन्ध के अनुसार राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विधान सभा के अनुमोदन से जो सभा द्वारा 12 मई, 1972 को पारित एवं संकल्प द्वारा प्रदान किया गया था, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा केवल 200 करोड़ रुपये मात्र (दो सौ करोड़ रुपये मात्र) निर्धारित की गई थी;

और, चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने उक्त ऐक्ट की धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन अब तक केवल 198.58 करोड़ रुपये (एक सौ अट्ठानवे करोड़ अट्ठावन लाख रुपये) का ऋण लिया है और आगे पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक निधि उपलब्ध कराने के लिये उसे और अधिक ऋण लेने की आवश्यकता होगी और इस कारण यह आवश्यक समझा गया है कि उक्त धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा 200 करोड़ रुपये (दो सौ करोड़ रुपये) से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये मात्र (चार सौ करोड़ रुपये मात्र) निर्धारित किया जाय, जिससे परिषद् अपने योजना कार्यों को कार्यान्वित करने के लिये जिसके लिये पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं है, अपने साधन में वृद्धि कर सके ।

और चूंकि वित्तीय वर्ष 1975-76 में वार्षिक योजनाओं के कार्यान्वयन के हेतु राज्य विद्युत् परिषद् को जीवन बीमा निगम, ग्रामीण, विद्युतीकरण निगम आदि से तुरन्त ऋण प्राप्त करना नितान्त आवश्यक था और बिना ऋण की उक्त अधिकतम सीमा को बढ़ाये राज्य विद्युत्

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

परिषद् उक्त संस्थानों से ऋण नहीं प्राप्त कर सकता था और राज्य सरकार ने उपर्युक्त परिस्थितियों में दिनांक 9 फरवरी, 1976 से विधान सभा के अनुमोदन की प्रत्याशा में परिषद् की ऋण लेने की उक्त अधिकतम सीमा 400 करोड़ रुपये मात्र (चार सौ करोड़ रुपये मात्र) निश्चित कर दिया है,

अतएव, अब विधान सभा एतद्द्वारा उक्त धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा, पूर्वगामी प्रभाव से, अर्थात् 9 फरवरी, 1976 से 200 करोड़ रुपये (दो सौ करोड़ रुपये मात्र) से बढ़ा कर 400 करोड़ (चार सौ करोड़ रुपये मात्र) निर्धारित करती है।"

श्री अध्यक्ष---

सदन का समय 15 मिनट बढ़ाया जाता है।

*श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)---

मान्यवर, जैसे प्रदेश में विकास योजनायें चल रही हैं और जिस तरह हमारा प्रदेश विकास के लिये बिजली के साधनों की आवश्यकता है उसके अनुसार यह आवश्यक है कि 200 करोड़ रुपये से ऋण लेने की सीमा विद्युत् परिषद् के लिये 400 करोड़ रुपये की जाय। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि हमारे राज्य विधान सभा ऋण लेने की सीमा को चाहे जितना बढ़ाते रहें लेकिन विद्युत् परिषद् में किसी तरह की एफीसियेन्सी नहीं दिखाई पड़ती है और किसान को सस्ता रेट और सुविधा नहीं मिलती है। हम विधान सभा में ऋण देने की स्वीकृति देकर उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं कि विधान सभा ने इतना स्वीकृत कर दिया लेकिन इसके बाद राज्य विद्युत् परिषद् एक आटोनोमस बाडी हो जाती है और विधान सभा का कोई कन्ट्रोल उस पर नहीं रहता है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हम स्वीकृति देने के लिये तैयार हैं परन्तु आज जो विद्युत् परिषद् की स्थिति है उसको वे सम्हालने की कृपा करें क्योंकि किसानों में जो इसके कारण कठिनाइयां पैदा हो गई हैं उनका निराकरण समय से नहीं हो पाता है। उनकी कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुए ही मैं अपनी बात कह रहा हूं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं वे अपनी जगह पर ठीक हैं और हमको उसका पूरा ध्यान रखना ही है।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि विद्युत् तथा स्वायत्त शासन मंत्री के द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प ..

"चूंकि इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 (ऐक्ट संख्या 54, 1948) की धारा 65 की उपधारा (3) के उपबन्ध के अनुसार राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विधान सभा के अनुमोदन से जो सभा द्वारा 12 मई, 1972 को पारित एवं संकल्प द्वारा प्रदान किया गया था उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा केवल 200 करोड़ रुपये मात्र (दो सौ करोड़ रुपये मात्र) निर्धारित की गई थी;

और, चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने उक्त ऐक्ट की धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन अब तक केवल 198.58 करोड़ रुपये (एक सौ अट्ठानवे करोड़

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

अट्ठावन लाख रुपये) का ऋण लिया है और आगे पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वियन हेतु आवश्यक निधि उपलब्ध कराने के लिए उसे और अधिक ऋण लेने की आवश्यकता होगी और इस कारण यह आवश्यक समझा गया है कि उक्त धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा 200 करोड़ रुपये (दो सौ करोड़ रुपये) से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये मात्र (चार सौ करोड़ रुपये मात्र) निर्धारित किया जाय, जिससे परिषद् अपने योजना कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए जिसके लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं है, अपने साधन में वृद्धि कर सके।

और चूंकि वित्तीय वर्ष 1975--76 में वार्षिक योजनाओं के कार्यान्वियन के हेतु राज्य विद्युत् परिषद को जीवन बीमा निगम ग्रामीण, विद्युतीकरण निगम आदि से तुरन्त ऋण प्राप्त करना नितान्त आवश्यक था और बिना ऋण को उक्त अधिकतम सीमा को बढ़ाए राज्य विद्युत् परिषद् उक्त संस्थानों से ऋण नहीं प्राप्त कर सकता था और राज्य सरकार ने उपर्युक्त परिस्थितियों में दिनांक 9 फरवरी, 1976 से विधान सभा के अनुमोदन की प्रत्याशा में परिषद् की ऋण लेने की उक्त अधिकतम सीमा 400 करोड़ रुपये मात्र (चार सौ करोड़ रुपये मात्र) निश्चित कर दिया है--

अतएव, अब विधान सभा, एतद्द्वारा उक्त धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा, पूर्वगामी प्रभाव से, अर्थात् 9 फरवरी, 1976 से 200 करोड़ रुपये (दो सौ करोड़ रुपये मात्र) से बढ़ाकर 400 करोड़ (चार सौ करोड़ रुपये मात्र) निर्धारित करती है।" स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं लेकिन दोनों ही माननीय सदस्य नहीं हैं। अब सिर्फ कार्यवाही के लिये ही उनको भेजा जा सकता है।

श्री श्याम मिश्रा (जिला कानपुर)---

हजारों आदमी के जीवन को खतरा है।

श्री अध्यक्ष---

यह मानते हुए कि खतरा है आवश्यक कार्यवाही के लिये स्वास्थ्य मंत्री के पास भेजे देता हूं क्योंकि अब समय नहीं है।

श्री श्याम मिश्रा---

कोई मंत्री अथवा मंत्राणी वहां जा कर देख लें।

श्री अध्यक्ष---

कोई मंत्राणी नहीं होता। हर एक मंत्री है। आप हमेशा "मिश्रा" लिखते हैं जब कि शब्द "मिश्र" है, "मिश्रा" नहीं है। लिंग भेद का आप ध्यान नहीं रखते।

दूसरा श्री जयराज गौतम का है इसे भी मैं सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजे देता हूं।

श्री जयराज गौतम (जिला सुल्तानपुर)---

यह बहुत ही महत्वपूर्ण है ..

श्री अध्यक्ष---

महत्वपूर्ण है, जनहित में है यह सब माना। लेकिन कल असेम्बली उठ जायगी। इसलिए एक बार नहीं आप हजार बार कहें तब भी मैं यही कह सकता हूं कि इसे आवश्यक कार्यवाही के लिये शासन के पास भेज दिया जाय, जो मैं कर भी रहा हूं। जिलाधिकारी स्थिति के सम्बन्ध में जवाब दे देंगे।

लखनऊ नगर में जूते के कारखाने बन्द कर दिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्रम मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)---

माननीय श्री मोहम्मद शकील ने यह सूचना दी है कि दिनांक 7 मई, 1976 से लखनऊ के जूते के कारखानेदारों ने अपने कारखाने बन्द कर दिये हैं जिससे सभी श्रमिक बेकार हो गये हैं। इसकी स्थिति के बारे में जिलाधिकारी, लखनऊ ने कारखानेदारों और मजदूरों के प्रतिनिधियों से बात कर रिपोर्ट दी है कि कारखानेदारों का कहना है कि श्रमिकों ने बगैर कोई नोटिस दिये कारखानों में काम बन्द कर दिया है। कारखाने वास्तव में खुले हैं और श्रमिक जब चाहें काम पर आ सकते हैं।

श्रमिकों की ओर से आरोप लगाया गया है कि कारखानेदार श्रमिकों को बन्धक प्रथा के अन्तर्गत काम करने के लिये बाध्य करते हैं, तथा शक्ति और बल का प्रयोग करते हैं। यह आरोप सामान्य तौर का है और जब तक बन्धक प्रथा से काम लेने का कोई विशिष्ट उदाहरण सामने नहीं आता, तब तक व्यक्ति विशेष के विरूद्ध कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। यदि बन्धक प्रथा की कोई निश्चित शिकायत आती है तो उस पर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

इस मामले की पृष्ठ भूमि इस प्रकार है कि कारखानेदार श्रमिकों को कुछ अग्रिम धनराशि दे देते हैं और जैसे-जैसे वे काम करते जाते हैं, वह धनराशि समायोजित होती जाती है। फिर इसी प्रकार से और अग्रिम धनराशि दे दी जाती है। प्राप्त सूचना के अनुसार न तो कोई बन्धक पत्र कहीं लिखा गया है और न कहीं लिखा जाता है। कोई कारीगर भी स्थायी रूप से किसी कारखानेदार से हमेशा के लिये संबद्ध नहीं है। श्रमिकों में किन्हीं श्रोतों से यह धारणा हो गई है कि जितनी भी अग्रिम धनराशि उन्होंने प्राप्त की है वह सब बन्धक प्रथा के समाप्त होने पर माफ हो गई है और कारखानेदारों का अब कोई अधिकार नहीं रहा है कि वे उसका हिसाब मांगे। अतः श्रमिकों की ओर से यह प्रयास है कि कारखानेदार दिये हुए अग्रिम धन को भविष्य में अर्जित मजदूरी में समायोजित न करें और अग्रिम माफ समझा जाय। कारखानेदार इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं क्योंकि उनके कथनानुसार यह अग्रिम मानवीय आधार पर दिया गया है। यह ऋण के रूप में नहीं है।

इस विवाद को सुलझाने के लिये प्रयास जारी है।

*श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)---

मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार के मजदूरों के झगड़े होते हैं अगर यह वैसा ही झगड़ा होता तो मैं सवाल न उठाता। मैं 30 वर्ष से मजदूर आन्दोलन में काम कर रहा हूं और यह अजीबो गरीब मामला है जिसे मैंने आज तक देखा ही नहीं। शासन जो है उसकी अथारिटी को लखनऊ राजधानी में ही चैलेंज किया जा रहा है। उसमें पहली बात यह है कि शाप्स एण्ड कमर्शियल इस्टैबलिशमेन्ट्स ऐक्ट, उत्तर प्रदेश सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहम्मद शकील अहमद]

का ऐक्ट है । वह उन पर लागू होता है । वे लोग नहीं मान रहे हैं । कल ही सब लोगों को जिलाधीश ने बुलाया था और उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक सारी बातें सुनी । जिलाधीश ने सारी बातें खुद श्रम विभाग से पूछी कि अगर ये रिपोर्ट न भी करते तब भी उनका काम था कि वह यह देखते कि शाप्स ऐक्ट का वायोलेशन हो रहा है या नहीं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि लखनऊ से लाखों रुपये का माल जूतों की शक्ल में बाहर भेजा जाता है । इसका प्रमाण चुंगी है जहां से होकर जूते बाहर जाते हैं । कोई सेल्स टैक्स उन्होंने नहीं दिया है । एक भी कारखानेदार को रजिस्टर नहीं कराया गया । इस प्रकार करोड़ों रुपया सेल्स टैक्स का मारा गया । इस ओर शासन का ध्यान जाना चाहिये या तो कुछ अधिकारी मिले हुए हैं या कहीं कुछ और गड़बड़ है ।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता था कि उस समय सारे कारखाने बन्द थे । कल जब जिलाधीश महोदय ने बुलाकर कारखानेदार और मजदूरों से बातचीत की तो उसमें करीब-करीब 30–40 कारखाने खुल गये हैं । इसके अतिरिक्त बन्धक प्रथा के बारे में मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह एडवान्स की बात नहीं है बल्कि यह होता है कि जो मजदूर एक जगह काम कर रहा होता है उसको दूसरी जगह काम नहीं करने दिया जाता । अभी-अभी लक्ष्मी फाइनेन्स में 500 रु० निकले और कारखानेदार ने बना लिये । इस प्रकार वे दूसरे, तीसेरे और चौथे के हाथ बेचते रहते हैं । मेरा निवेदन यह है कि सरकार यह हिदायत कर दे कि जो कानून पास हुआ है उसके मातहत वे काम करें और उसका वायोलेशन न हो अन्यथा बान्डेड लेबर कानून के अधीन कड़ी कार्यवाही उसके खिलाफ की जायेगी । यह भी प्रचार होता है कि जूते के कारीगरों के ऊपर यह कानून लागू नहीं होता । हमारा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इसके ऊपर जरूर कार्यवाही करेंगे ।

एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि पिछले दिनों से विभाग की आदतें काफी बिगड़ गई हैं । उनको सुधारने के लिये मंत्री जी को थोड़ी सख्ती करनी होगी । लेबर इन्सेपेक्टर का यह फर्ज है कि वह खुद यह देखे कि ला का वायोलेशन तो नहीं हो रहा है तो ये सारी चीजें हैं जिनके ऊपर शासन को ध्यान देना चाहिए ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि अग्रिम धनराशि दी जाती है । तो यह अग्रिम धनराशि क्या एक साल, दो साल या तीन साल पहले दी जाती है ? साथ ही क्या ब्याज भी उस पर सेवायोजक लगाता है ? तीसरी बात यह है कि यदि कोई श्रमिक उसको वापस करने के लिये तैयार है तो क्या उसको उस मजदूरी से छुट्टी मिल सकती है या नहीं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी . .

यह धनराशि उनको उनकी आगे की मजदूरी के रूप में दी जाती है और उसमें काटी जाती है । ब्याज नहीं लगता है । काम नहीं करते हैं तो वे उससे छुटकारा पा सकते हैं ।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)--

वक्तव्य के पैरा दो में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि श्रमिकों की ओर से आरोप लगाया गया है कि कारखानेदार श्रमिकों को बन्धक प्रथा के अन्तर्गत काम करने के लिये बाध्य करते हैं तो क्या यह आरोप उन्होंने लिखकर दिया है इसकी क्या किसी अधिकारी द्वारा जांच करायी गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

लिखित भी रिपार्ट की गई और काफी संख्या में मुझसे भी वे मिलने आये थे। इस बात पर मैंने श्रम सचिव को बीच में डाला और इस पूरे प्रश्न को देखा। फिर यहां के जो जिलाधिकारी हैं और जो कारखानेदार हैं तथा जो लोग इसमें काम करते हैं उनसे बातें हुईं। दो दिन तक बैठक हुई और मैंने इस प्रश्न को स्पष्ट रूप से हल करने के आदेश दिये थे और कहा था कि मुझे वह बतायें कि यह बौंडेड लेबर में आते हैं या नहीं ? अगर किसी प्रकार भी उसमें आते हैं तो हम कार्यवाही कर सकेंगे। तो इसमें छानबीन करने के बाद जैसा कि माननीय शकील साहब ने कहा, यह शाप एण्ड कामर्शियल ऐक्ट के अन्तर्गत आ सकते हैं। उनके काम के आवर्स क्या हों और उनको वीकली हौलिडे मिलें जो कि मिलना चाहिये। चूंकि यह छोटे लोग हैं, काटेज इंडस्ट्री होती है मजदूर तो गरीब है ही यह कारखाने भी बड़े नहीं होते हैं, 5 से 10 आदमियों तक काम करते हैं। ये लोग इकट्ठा करके दूसरी जगह देते हैं। ये लोग सेल्स टैक्स नहीं देते हैं। दूसरे लोग सेल्स टैक्स देते हैं।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि उनके वक्तव्य की अन्तिम लाइन में लिखा है। तो उनके कथनानुसार यह अग्रिम मानवीय आधार पर दिया गया। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह मानवीय आधार क्या चीज है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जरूरत पर देगा—जैसे त्यौहार पर मजदूर मांगता है या कोई उसे जरूरत आ गई, उसमें देगा।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 14 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्यप्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
11 मई, 1976।

नत्थी 'क'

(देखिए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 366 पर)

संलग्नक (1)

शहर कानपुर के अन्तर्गत डब्ल्यू ब्लाक जुही में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 10 एम0 आई0 जी0 भवनों का विवरण

भवन सं0	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	निर्माण की लागत	आवंटियों द्वारा देय मूल्य
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	422.22	57,265.46	63,000.00
2	377.78	54,221.20	60,000.00
3	377.78	54,221.20	60,000.00
4	377.78	54,221.20	60,000.00
5	377.78	54,221.20	60,000.00
6	377.78	54,976.76	61,000.00
7	377.78	54,976.76	61,000.00
8	377.78	54,976.76	61,000.00
9	377.78	54,976.76	61,000.00
10	377.78	54,976.76	61,000.00

संलग्नक (2)

डब्ल्यू ब्लाक जुही में हायर परचेज पर एलाट होने वाले एम0 आई0 जी0 मकानों की शर्तें

1—एम0 आई0 जी0 मकान का आवंटन उसी समय वैध माना जायगा जबकि उसकी आय 1,500 रु0 प्रति मास से अधिक न होगी।

2—मकान की भूमि 99 वर्ष की लीज पर होगी तथा उसका लीज रेन्ट 10 रु0 वार्षिक होगा।

3—मकान के मूल्य में से 1/4 मूल्य जो अग्रिम रूप से जमा किया गया है। शेष मकान के मूल्य को 9 प्रतिशत व्याज के साथ 6 वर्ष की 12 छमाही किस्तों में देना अनिवार्य है।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

4---मकान की रजिस्ट्री कराने का पत्र प्राप्त होने के दिनांक से यदि एक माह के अन्दर मकान की रजिस्ट्री न कराई जाय तो मकान की शेष रकम पर 9 प्रतिशत ब्याज लगना प्रारम्भ हो जायेगा और यह तब तक लगता रहेगा जब तक रजिस्ट्री नहीं करा ली जाती है।

5---निर्धारित समय पर किश्तों का भुगतान न होने पर अतिरिक्त 9 प्रतिशत ब्याज और पड़ेगा।

6---मकान का एलाटमेन्ट हलफनामा प्राप्त किये बिना कर दिया गया है। अतः निर्धारित फार्म पर हलफनामा देना पड़ेगा। यदि दिये गये हलफनामें में से किसी तथ्य के असत्य ज्ञात होने पर या इन शर्तों के प्रतिकूल कार्यवाही करने पर जिसके एक मात्र निर्णायक उपाध्यक्ष होंगे (स्पष्टीकरण का एक मौका देकर) मकान का एलाटमेन्ट रद्द कर दिया जायगा। तथा जमा किये गये अग्रिम धन को जब्त कर लिया जायगा तथा कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

7---अगर 6 से अधिक किस्तें या पट्टा भाड़ा शेष रह जाता है तो मकान का कान्ट्रैक्ट तथा भूमि का पट्टा समाप्त हो जायेगा और मकान तथा भूमि विकास प्राधिकरण कानपुर को वापस करना होगा।

8---उपाध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति के बिना मकान को हस्तांतरित करने का अधिकार न होगा तथा स्वीकृति प्रदान हो जाने पर भूमि के मुनाफे का 75 प्रतिशत लाभांश विकास प्राधिकारण कानपुर को देना होगा।

9---मकान का अनुमानित मूल्य .....है जिसके मूल्य में से 1/4 धन जो जमा किया जा चुका है को छोड़कर शेष रकम को एग्रीमेन्ट के अनुसार जमा न करने पर एग्रीमेन्ट भी निरस्त किया जा सकता है तथा किसी दूसरे व्यक्ति को मकान एलाट कर दिया जायेगा।

10---यदि मकान की पूरी कीमत को एक मुस्त जमा करने चाहे तो ऐसा किया जा सकता है।

11---मकान में बिजली फिटिंग, सेनेटरी फिटिंग एवं पाइप कनेक्शन आदि एलाटी स्वंय अपने खर्च पर करना होगा।

12---मकान की वास्तविक कीमत ज्ञात होने पर मूल्य में बढ़ोत्तरी या घटोत्तरी भी हो सकती है जिसे पूरा करने के लिये एलाटी बाध्य होंगे।

13---मकान का कब्जा उसी समय दिया जायेगा जब कि एलाटी एग्रीमेन्ट की रजिस्ट्री करा लेगा।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर 381 पर।)

तालिका

आय

नाम मद		8-11-74 से 31-3-75 तक	1-4-75 से 29-2-76 तक
		रु0	रु0
सरकारी अनुदान	..	2,62,319	4,54,692
लाइसेन्स शुल्क	..	33,481	1,00,577
पाण्ड	..	18,925	59,120
चिकित्सा (लेबी)	..	1,726	9,712
पशु चिकित्सा (लेबी)	..	526	1,660
मेले	..	34,409	67,841
संपत्ति से आय	..	22,247	93,001
तरु पालन	..	5,065	6,062
ब्याज	..	14,625	12,014
प्रकीर्ण (मृतक पशुओं के ठेके)		2,59,772	1,32,778
असाधारण एवं ऋण	..	23,668	41,285
सार्वजनिक नौका घाट	..	4,250	50
		6,810 13	9,78,792
		व्यय	
सामान्य प्रशासन	..	96,297	1,50,617
पाण्ड	..	23,380	49,576
चिकित्सा	..	1,09,140	1,24,211
टीका	..	27,029	37,866
पशु चिकित्सा	..	27,594	45,803
मेले	..	57,860	48,850
तरुपालन	..	2,515	5,845
सार्वजनिक निर्माण	..	63,021	2,25,347
प्रकीर्ण	..	13,520	3,02,407
असाधारण एवं ऋण	..	5,01,890	2,89,435
शिक्षा	..	349	..
		9,22,595	12,79,957

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारंकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 384 पर)

संलग्नक–1, 11–3–76

मैनेजर, श्री रघुराज सिंह इण्टर कालेज, खेड़ा, बझेड़ा द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र की जांच

मैनेजर, श्री रघुराज सिंह, इण्टर कालेज खेड़ा बझेड़ा द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र की की जांच मैंने सहायक विकास अधिकारी, (अल्प सिंचाई) से दिनांक 20–1–76 को कराई थी। सहायक विकास अधिकारी, (अल्प सिंचाई,) ने अपनी जांच में लिखा है कि कालेज के फार्म में 2 बोरिंग ब्लाक एजेन्सी द्वारा किये गये है जिसका व्यय कालेज ने बहन किया है। बोरिंग चालू हालत में है। स्कूल फार्म में पहिले पहल इंजन भी था जो अब नहीं है। स्कूल के पास 135 बीघा जमीन प्राधानाचार्य के कथनानुसार कृषि योग्य है। परन्तु स्कूल बाटिका की स्थापना नहीं हुई है। फार्म में रबी-खरीफ की खेती होती है। बच्चों का दोपहर के जलपान वितरण की कोई व्यवस्था नहीं है।

इसी पर मैंने भी दिनांक 11–3–76 को मौके पर जांच की और जो सहायक विकास अधिकारी (अल्प सिंचाई) ने लिखा वह ठीक था। प्रधानाचार्य से बात की स्कूल फार्म में 2 बोरिंग है पहिले इंजिन भी था जो अब नही है। बोरिंग चालू हालत में है। स्कूल बाटिका की की स्थापना नहीं हुई है। फार्म में खेती होती है और बच्चों को दोपहर जलपान वितरण की कोई व्यवस्था भी नहीं है। अतः ऐसे परिस्थित में कालेज को पौटिष्क आहार योजना से संबंधित वित्तीय सहायता देना नियामनुसार उचित नहीं होगा, राठौर।

(ह०) नरेन्द्र सिंह राठौर,
क्षेत्र विकास अधिकारी,
जैतीपुर।

विधानसभा सचिवालय राजस्थान

संलग्नक — 2

प्रेषक,

प्रबन्धक,

श्री रघुराज सिंह इण्टर कालेज, खेड़ा बझेड़ा (शाहजहांपुर)।

पत्रांक 213/ 75— 76, दिनांक 2—1—76

सेवा में,

श्रीमान् विकास क्षेत्र अधिकारी,

विकास क्षेत्र, जैतीपुर (शाहजहांपुर)—

विषय :—पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत श्री रघुराज सिंह इन्टर कालेज, खेड़ा बझेड़ा में नलकूप के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि कई मास पूर्व जब आप यहां पधारे थे तो आपने श्री रघुराज सिंह इन्टर कालेज खेड़ा, बझेड़ा में पौष्टिक आहार योजना (ए0 एन0 पी0) के अन्तर्गत नलकूप व पम्पिंग सेट आदि के लगाने के लिये कहा था। इस विषय में अनेक बार आपसे सम्पर्क भी स्थापित किया गया और आपने बराबर आश्वासन भी दिया कि शीघ्र ही औपचारिकता पूर्ण कराकर कार्य शुरू कर दिया जायेगा क्योंकि वित्तीय वर्ष मार्च, 1976 में समाप्त हो जायेगा और जो धन इस विकास क्षेत्र में शासन द्वारा दिया गया है वह वापस हो जायेगा। अतः मैं यह पत्र श्री नारायण सिंह ग्राम सेवक न्याय पंचायत खेड़ा रठ द्वारा आपकी सेवा में भेज रहा हूं। अतः आप शीघ्र ही इस विषय में आप नियमानुसार कार्य आरम्भ करा दें और जो औपचारिकतायें मुझे पूरी करनी हैं उनसे मुझे अवगत करा दें जिससे मैं उन्हें पूरी कर सकूं। आपकी जानकारी के लिये यह भी लिख रहा हूं कि कालेज के पास लगभग 30 एकड़ भूमि है और उसमें नलकूप नहीं है।

भवदीय

सील प्रबन्धक

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु एक प्रति कृषि उत्पादन आयुक्त, लखनऊ को प्रेषित।

एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान् जिलाधिकारी, शाहजहांपुर की सेवा में प्रेषित।

भवदीय

(ह0)

प्रबन्धक

श्री रघुराज सिंह इन्टर कालेज,

खेड़ा बझेड़ा, शाहजहांपुर।

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 58 वि0 सभा—1976—(2759)—840 (प्रो0)।